

Vol. 264
No. 2



Friday,
28th June, 2024
7 Ashadha, 1946 (Saka)

PARLIAMENTARY DEBATES

RAJYA SABHA

OFFICIAL REPORT (FLOOR VERSION)

CONTENTS

Birthday Greetings (pages 1 - 2)

Obituary References (pages 2 - 4)

Observations by the Chair (page 4 and pages 35 - 36)

Regarding Acceptability of Notices Received under Rule 267 (pages 4 - 7)

Papers Laid on the Table (pages 7 - 8)

Recommendation of the Business Advisory Committee (page 8)

Panel of Vice-Chairpersons (page 9)

Motion of Thanks on the President's Address - *Discussion not concluded* (pages 9 - 35 and pages 36 - 80)

©

RAJYA SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Special Mentions -

Demand for establishment of Sports ground and Racing track in rural areas of Uttar Pradesh under Khelo India (pages 80 - 81)

Concern over arbitrariness by dealers under the Garib Kalyan Anna Yojana (page 81)

Demand for a probe into post poll violence against persons belonging to SC and ST in West Bengal after the recently held general elections (pages 81 - 82)

Mandatory self-declaration certificates for advertisements (page 82)

Website : <http://rajyasabha.nic.in>
<http://parliamentofindia.nic.in>

E-mail : rsedit-e@sansad.nic.in

RAJYA SABHA

Friday, the 28th June, 2024 / 7 Ashadha, 1946 (Saka)

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

BIRTHDAY GREETINGS

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I am pleased to extend birthday greetings to hon. Member of Parliament, Prof. Ram Gopal Yadav. His birthday is tomorrow, 29th June. It is always good to wish in advance rather than later.

A fifth term Member of Rajya Sabha, since 1992, Prof. Yadav also served as a Member of Lok Sabha from 2004 to 2008. A grassroot politician, Prof. Yadav is currently General Secretary and the floor leader of Samajwadi Party.

Prof. Ram Gopal Yadav was twice part of Indian Parliamentary delegation to United Nations in 2011 and 2015. His address in the United Nations General Assembly in 2015 was impactful and widely appreciated. Prof. Yadav, an educationist, has authored several books. His book "Dr. Lohiya Ka Samajwad" is a treatise to be read and his another book "Sansad Main Meri Baat" lays bare his heart. Prof. Yadav is a gifted man with captivating smile and amiable temperament. He exemplifies parliamentary decorum worth emulating.

He is blessed with two sons, Akshay and Anupam, and daughter Anuradha. His son, Akshay Yadav, has recently been elected to the Lok Sabha and this is the second term of Akshay in Lok Sabha. Hon. Members, on behalf of this House, I wish him a long, healthy and happy life and extend greetings to his family and friends. I have been captivated by his smile a number of times. I am sure that during Session and further Sessions, he would spare me.

Hon. Members, I am pleased to extend my birthday greetings to Shri Harivansh, hon. Deputy Chairperson. His birthday is on 30th June. Shri Harivansh, erudite and scholarly, has been a journalist of eminence committed to ethics and public cause. He also served as Additional Media Advisor to former Prime Minister Shri Chandrashekha, when I was a Member of Ninth Lok Sabha. His journalistic sense smelt scams that have contributed to public accountability. His impactful contributions, while being part of parliamentary delegations abroad, have made us proud. He espoused the stance of the nation with dignity and firmness, premised on

factful foundations. As Chairman, Rajya Sabha, I am fortunate to be enormously benefited from his wide experience in public life and counsel in taking several initiatives and innovative steps in Rajya Sabha, including human resource capacity building, Rajya Sabha Fellowships and Internship Programmes as also digitization. He is blessed with son - Vikas Singh, daughter - Richa Singh and his talented spouse, Shrimati Asha -- *Asha* of his life-- is his spinal strength. His life is exemplified by simplicity, amiability, receptivity and dignity.

Hon. Members, on your and my behalf, I wish him a long, healthy, happy life and extend greetings to his family members.

OBITUARY REFERENCES

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I refer with profound sorrow to the passing away of former Members of this House, Dr. Ram Prakash, Shri Fali S. Nariman, Shri Sushil Kumar Modi and Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare.

Dr. Ram Prakash passed away on the 13th of December, 2023. He served as a Member of this House representing the State of Haryana for two consecutive terms, from March, 2007 to April, 2014. He also served as a Member of the Haryana Legislative Assembly and as a Cabinet Minister in the Government of Haryana holding the Science, Technology, and Electronics portfolios.

Dr. Ram Prakash, a Professor of Chemistry, remained associated with several educational institutes in different capacities and worked assiduously to build public opinion against female foeticide.

In his passing away, the country has lost an eminent educationist, a dedicated social worker, and an able parliamentarian.

Shri Fali S. Nariman, a renowned legal luminary, a jurist, passed away on the 21st of February, 2024. He served as a Nominated Member of this House, from November, 1999 to November, 2005.

Born on 10th January, 1929, at Rangoon in erstwhile undivided India, Shri Nariman embarked on a journey that would shape the course of legal history in India. Throughout his illustrious career spanning over seven decades, Shri Nariman distinguished himself as a formidable advocate, known for his incisive arguments and profound understanding of the law.

He resigned from the post of Additional Solicitor General in 1975 in protest against the imposition of Emergency. In his autobiography 'Before Memory Fades' he reflects, I quote, "One of the lessons of the Internal Emergency (of June, 1975) was

not to rely on constitutional functionaries. These functionaries failed us--Ministers of Government, Members of Parliament, Judges of the Supreme Court, even the President of India. It was because the President of India so readily agreed to sign the Proclamation of Emergency on the night of 25-6-1975, even before the Cabinet (Council of Ministers) knew anything about it."

For his distinguished services in the field of jurisprudence, Shri Fali S. Nariman was conferred several prestigious awards, notable being Padma Bhushan in 1991, International Justice Prize in 2002 and Padma Vibhushan in 2007 among others.

In the passing away of Shri Fali S. Nariman, the country has lost a shining beacon of jurisprudence, a champion of civil liberties and constitutional rights and an able parliamentarian.

Shri Sushil Kumar Modi passed away on the 13th of May, 2024. He served as a Member of this House representing the State of Bihar from December, 2020 to April, 2024. Shri Sushil Kumar Modi was deeply committed to development of the State of Bihar and nation at large. He served as a Member of the Bihar Legislature for three terms between 1990 to 2020 and held the office of Deputy Chief Minister, Minister of Parliamentary Affairs and Finance and Leader of Opposition in his long career. He was also a Member of the 14th Lok Sabha. In the passing away of Shri Sushil Kumar Modi, the country has lost an able administrator, a committed leader and an experienced legislator.

Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare passed away on the 15th of June, 2024. He served as a Member of this House representing the State of Maharashtra for three consecutive terms from June, 1980 to April, 1994.

Shri Bhandare also served as the Governor of the State of Odisha from 2007 to 2013. As senior advocate, Shri Bhandare was the President of the Supreme Court Bar Association from 1986 to 1988. He championed the cause of common man in his profession as well as in his capacity as parliamentarian.

In the passing away of Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare, the country has lost an eminent legal luminary, a champion of the rights of common man and a distinguished parliamentarian.

Hon. Members, I have received 22 notices on the subject to discuss on the situation arising out of...

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): जब हम obituary complete करते हैं, तो silence रखते हैं।

श्री सभापति: अभी करते हैं। I stand corrected and I am grateful to the Leader of the Opposition.

(Hon. Members then stood in silence for one minute)

MR. CHAIRMAN: Secretary-General will convey to the members of the bereaved families our sense of profound sorrow and deep sympathy.

OBSERVATIONS BY THE CHAIR

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I have received 22 notices on the subject to discuss on the situation arising out of irregularities, cheating and paper leakage in the National Eligibility Cum Entrance Test (NEET), 2024, conducted by National Testing Agency (NTA).

Hon. Members, hon. Rashtrapati*ji*, in her Address, delivered yesterday to the Members of both the Houses assembled together, had in paragraph 20 *inter alia* indicated that there would be a fair investigation ensuring strict punishment to the culprits and that the Government is working towards major reforms in examination-related bodies, their functioning and all aspects of the examination process. ... *(Interruptions)*... One minute, please take your seat. Would you care to read para 20? It is not good to rise suddenly. I have gone through it. Read para 20, please. There is an express reflection therein. Hon. Members, the discussion on the Motion of Thanks on the hon. President's Address will be initiated in the House today. Thus, all hon. Members will have ample adequate opportunity to put forth their views in the matter. Under these circumstances, I am constrained not to accept these notices under Rule 267.

REGARDING ACCEPTABILITY OF NOTICES RECEIVED UNDER RULE 267

MR. CHAIRMAN: Now, Papers to be laid on the Table. ...*(Interruptions)*... Please...
...*(Interruptions)*... Mr. Shaktisinh, ...*(Interruptions)*... All of you please sit down.
...*(Interruptions)*... A Member is raising a point of order. I think it is time we really exemplify decorum. I am here to afford opportunity to every Member, and every

Member is expressing to the entire country. Yes, Mr. Pramod Tiwari, what is your point of order?

SHRI PRAMOD TIWARI (Rajasthan): Kindly read Rule 267 of the Rules book. "कोई सदस्य, सभापति की सहमति से, यह प्रस्ताव कर सकेगा कि उस दिन राज्य सभा के समक्ष सूचीबद्ध कार्य से संबंधित किसी प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलम्बित कर दिया जाए और यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो संबंधित नियम उस समय के लिए निलम्बित कर दिया जाएगा।"

मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि...

श्री सभापति: प्रमोद जी, please formulate your point of order.

SHRI PRAMOD TIWARI: I am formulating it.

MR. CHAIRMAN: Yes. What is your point of order?

श्री प्रमोद तिवारी: मैंने आपके सामने रख दिया है कि रूल 267 क्या कहता है। उसके अनुसार मेरा भी नोटिस है, एलओपी का भी नोटिस है, तमाम दलों के नेताओं के भी नोटिस हैं। सर, हम लोगों का भी अनुभव इस सदन में है, थोड़ा-बहुत उतना तो नहीं, जितना बड़े लोगों का है।

श्री सभापति: आप गलत कह रहे हैं। आपका अनुभव दशकों तक का है।

श्री प्रमोद तिवारी: फिर तो आप हमारी बात मान जाइए।

श्री सभापति: नहीं। इसलिए नहीं कि जब experienced Member of the House रूल को पढ़ता है, तो रूल में क्या लिखा है - Any Member may, with the consent of the Chairman,...
...(Interruptions)...

SHRI PRAMOD TIWARI: Sir... ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Now, sit down for a minute.

SHRI PRAMOD TIWARI: Sir, let me finish!

MR. CHAIRMAN: Sit down. I have got your point.

श्री प्रमोद तिवारी: सर, आप मुझे अपनी बात तो कह लेने दीजिए।

MR. CHAIRMAN: Okay. And, please allow him to speak.

श्री प्रमोद तिवारी: सर, मैंने जो नियम आपके सामने रखा है, सवाल यहां सीधा सा है। हम यहां इस सदन में आते हैं जन समस्याओं को उठाने के लिए। *

MR. CHAIRMAN: Sorry, Pramodji, I can't. Nothing will go on record now. Pramodji, nothing will go on record.

SHRI PRAMOD TIWARI: *

MR. CHAIRMAN: Pramodji, it is not expected of a leader of your stature to misuse the platform. ...(*Interruptions*)... No, Pramodji; you are misusing the indulgence accorded. You have to raise the point of order. Now, have my ruling. Rule 267 allows every Member of the House to move that any rule may be suspended,... ...(*Interruptions*)... I have received 22 notices... ...(*Interruptions*)... Please take your seat. Now, why is it said, 'with the consent of the Chairman'? It is because the Chairman has to apply his mind. If the Chairman finds that the matter can be discussed immediately, without wait, by the debate on the President's Address, then, why raise this? This cannot be accepted. Some Members met me in my Chamber. They raised the issue. I tried to persuade them and I gave them an illustration. I told them, "If you are taking a flight to Kolkata and the flight is waiting, seats are booked and still, you want to argue, then, let us argue if I can take this flight." The opportunity is available at your door. The next item will be only this. The Address of the hon. President will be debated here. You will get all the opportunities. ...(*Interruptions*)... Please, please. ...(*Interruptions*)... Leader of the Opposition.

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): सर, यह स्पेशल फ्लाइट है। यह जब चाहे तब जा सकती है।

श्री सभापति: सर, स्पेशल फ्लाइट ही वेट कर रही है। खरगे जी, बेंगलुरु जाने के लिए स्पेशल फ्लाइट ही वेट कर रही है ताकि आपका वे अभिनंदन कर सकें।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: सर, उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर टाइम हो, कभी अपने को extend करना हो, तो उसके लिए हम इस बार हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, वे

* Not recorded.

हैदराबाद के ही हैं, मैं उनसे पूछकर extend कर लूंगा। लेकिन बात यह है कि रूल 267 इसलिए मंशन किया गया है कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक केसेज़ आते हैं कि आपकी कंसेंट लेकर, आपको मनवा कर, आपके दिल को छूने तक हम इस बात को करेंगे। उसी के लिए यह रूल 267 है, नहीं तो इस रूल 267 को रखने के मायने क्या हैं? * ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... The Leader of the Opposition is expected to confine to the issue. ...*(Interruptions)*... No; Sorry, please. ...*(Interruptions)*... Please take your seat. ...*(Interruptions)*... आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**... Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... Dr. Jitendra Singh.

PAPERS LAID ON THE TABLE

- I. Notification of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
- II. Reports and Accounts (2022-2023) of the Karmayogi Bharat, New Delhi and CSIR, New Delhi and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; AND THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (DR. JITENDRA SINGH): Sir, I lay on the Table -

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) Notification No. G.S.R. 102(E)., dated the 6th February, 2024, publishing the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Amendment Rules, 2024, under sub-section (2) of Section 3 of the All India Services Act, 1951.

[Placed in Library. See No. L.T. 04/18/24]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers: -

- (i) First Annual Report and Accounts of the Karmayogi Bharat, New Delhi, for the period from 31st January, 2022 to 31st March, 2023 together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013.

[Placed in Library. See No. L.T. 05/18/24]

* Not recorded.

- (ii) (a) Annual Report of the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), New Delhi, for the year 2022-23.
- (b) Annual Accounts of the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), New Delhi, for the year 2022-23 and the Audit Report thereon.
- (c) Statement by Government accepting the above Report.
- (d) Statement showing reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) and (b) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 06/18/24]

Report and Accounts (2022-23) of NCDFI, Anand, Gujarat and related papers

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी. सिंह बघेल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (a) Annual Report and Accounts of the National Cooperative Dairy Federation of India Limited (NCDFI), Anand, Gujarat, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the Cooperative Society.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 91/18/24]

RECOMMENDATION OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

MR. CHAIRMAN: I have to inform hon. Members that the Business Advisory Committee in its meeting held on the 27th June, 2024 has allotted time for Government Business as follows:

BUSINESS

Discussion on the Motion of Thanks
on the President's Address

TIME ALLOTTED

Twenty-one Hours

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, these 21 hours have to be utilised for issues you seek to raise. ...(*Interruptions*)... It will be walking away from your constitutional obligations, when you can discuss it right away.

PANEL OF VICE-CHAIRPERSONS

MR. CHAIRMAN: I have to inform hon. Members that the Panel of Vice-Chairpersons for this Session has been reconstituted and their details are as under. I have continued with the practice to have 50 per cent of our hon. women Members as part of the Panel.

1. Shri Sukhendu Sekhar Ray
2. Shri Ghanshyam Tiwari
3. Shri Narain Dass Gupta
4. Shrimati Rajani Ashokrao Patil
5. Dr. Sonal Mansingh
6. Shrimati Medha Vishram Kulkarni
7. Shri Sujeet Kumar
8. Dr. Fauzia Khan

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, Dr. Sudhashu Trivedi, to move that the Address be presented to the President in the following terms:

"That the Members of the Rajya Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which she has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on June 27, 2024."

डा. सुधांशु त्रिवेदी (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि राष्ट्रपति के प्रति निम्नलिखित रूप में कृतज्ञता ज्ञापित की जाए :

"कि राष्ट्रपति ने 27 जून, 2024 को संसद की दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक में जो अभिभाषण दिया है, उसके लिए राज्य सभा के सदस्य, जो सभा के वर्तमान सत्र में उपस्थित हैं, राष्ट्रपति के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।"

महोदय, आज मैं इस नई लोक सभा के गठन के बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जो-जो बातें कही हैं, मैं प्रयास करूंगा कि उनका क्रमवार, बिंदुवार वर्णन करूँ और कुछ बिंदुओं के बारे में अपना और अपनी पार्टी का पक्ष रखने का प्रयास करूँ। राष्ट्रपति महोदया ने प्रथम तीन बिंदुओं में इस बात का उल्लेख किया है कि एक नई सरकार

और नई लोक सभा का गठन हुआ है और यह इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत के अमृतकाल की पहली लोक सभा है, भारत की नई संसद बनने के बाद की पहली लोक सभा है। उन्होंने अपने भाषण के क्रमांक बिंदु तीन में यह कहा है कि यह चुनाव नीति, नीयत, निष्ठा और निर्णय पर विश्वास का चुनाव था। मैं यहाँ यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि नीति, नीयत और निष्ठा के हमारी पार्टी और हमारी सरकार ने वे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि अपनी स्थापना - 1951 से लेकर आज तक, इन 73 वर्षों में हमने न अपनी कोई नीति बदली है, न निष्ठा बदली है। ...**(व्यवधान)**... इन 73 वर्षों में हमारा एक भी आइडियोलॉजिकल मुद्दा ऐसा नहीं है, जिसमें हमने अपना स्टैंड चेंज किया हो। ...**(व्यवधान)**... दूसरी तरफ, जो हमारा विपक्षी दल है, उनका एक भी ऐसा आइडियोलॉजिकल मुद्दा नहीं है, जिस पर उन्होंने स्टैंड चेंज न किया हो। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, those of the Members who are present in the Well, I will be constrained to name the Members. ...**(Interruptions)**... I will be constrained to name the Members who are present here in the Well. Ms. Sagarika Ghose, is it for this purpose that you have come to this House? ...**(Interruptions)**... Nothing will go on record. ...**(Interruptions)**... Saket, you are virtually becoming. ...**(Interruptions)**... Mr. Derek O'Brien, you are becoming a director. ...**(Interruptions)**...

The House is adjourned to meet at 12 noon today.

The House then adjourned at twenty-seven minutes past eleven of the clock.

The House reassembled at twelve of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

श्री उपसभापति: माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी ...**(व्यवधान)** ... कृपया सुधांशु त्रिवेदी जी अपनी बात रखें ...**(व्यवधान)** ... उन्हें बोलने दें। ...**(व्यवधान)** ... आप सबसे आग्रह है कि आप कृपया अपनी जगह बैठें। ...**(व्यवधान)** ... माननीय सुधांशु त्रिवेदी ...**(व्यवधान)** ...

डा. सुधांशु त्रिवेदी: उपसभापति महोदय, जैसा कि मैं उस समय चर्चा कर रहा था कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में हाल ही में संपन्न चुनावों के विषय में जो बात कही गई, उस संदर्भ में मेरा कहना था कि यह जनादेश नीति, नीयत, निष्ठा और निर्णय के विकास और विश्वास के प्रति समर्पित था। ...**(व्यवधान)** ... इस चुनाव में कई और विशेषताएं रहीं। भारत के लोकतंत्र को एक नए स्वरूप में और एक नया विस्तार पाने का अवसर प्राप्त हुआ जम्मू-कश्मीर में जिस प्रकार से चुनाव संपन्न हुए और ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: प्लीज़, आप बोलने दें। ...**(व्यवधान)** ... आप अपनी जगहों पर बैठें। ...**(व्यवधान)** ... कोई और बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। ...**(व्यवधान)**... माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी, सिर्फ आपकी बात रिकॉर्ड पर जा रही है।

डा. सुधांशु त्रिवेदी: लोगों ने जिस प्रकार की बढ़-चढ़कर सहभागिता की, यह लोकतंत्र के लिए एक बहुत सुखद संयोग रहा। ...**(व्यवधान)** ... अगर जम्मू और उधमपुर में 68 और 72 प्रतिशत वोटिंग हुई, तो यह भी देखने को मिला कि कश्मीर घाटी में अनन्तनाग में 53 प्रतिशत और बारामुला में 59 प्रतिशत पोलिंग हुई। आज तक कभी भी चुनावों में इतनी सहभागिता नहीं रही थी। ...**(व्यवधान)** ... लोकतंत्र के इस पर्व के इस अवसर को निश्चित रूप से हमें एप्रिशीएट करना चाहिए। यद्यपि हमारे विरोधी कुछ अधिक उत्साह और उच्छृंखलता में दिखाई पड़ते हैं, परंतु इन चुनावों में हमारी सरकार की स्वीकार्यता और विस्तार एक नए आयाम तक पहुंचा है। ...**(व्यवधान)**... हमने पहली बार ओडिशा में स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है और हमारे विरोधी शायद भूल ही गए कि श्री नवीन पटनायक जी से पहले वहां कभी कांग्रेस का मुख्य मंत्री हुआ करता था। ...**(व्यवधान)** ... अंतिम मुख्य मंत्री गिरिधर गमांग जी थे, जो कांग्रेस के थे और ऐसा प्रतीत होता है कि उनको अब वह विषय विस्मृत हो गया है ...**(व्यवधान)** ... यानी उन्होंने मान लिया है कि वे ओडिशा में अब सत्ता की लड़ाई में ही नहीं हैं। ...**(व्यवधान)** ...

दूसरा विषय इन चुनावों के संदर्भ में दक्षिण भारत का आया था। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे विरोधी और विशेषकर कांग्रेस पार्टी, इस विषय को बहुत उठाते थे कि दक्षिण भारत में उनका बहुत प्रभाव है ...**(व्यवधान)** ... तो मैं बताना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गठबंधन ने और भारतीय जनता पार्टी में दक्षिण भारत में भी कांग्रेस से अधिक वोट प्राप्त करके दिखाए हैं। ...**(व्यवधान)**... तेलंगाना में हमारी आठ सीटें ही नहीं हैं, हमारा मत प्रतिशत 35 प्रतिशत है। ...**(व्यवधान)** ... कर्णाटक में हमारा मत प्रतिशत 45 प्रतिशत है। केरल में हमारी एक सीट आई है, मगर 17 प्रतिशत मत है। ...**(व्यवधान)** ...

उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तमिलनाडु में कांग्रेस को 10.25 प्रतिशत वोट मिला है और भारतीय जनता पार्टी को 11.5 प्रतिशत वोट मिला है। ...**(व्यवधान)** ... यानी तमिलनाडु में भी हमने पहली बार दहाई अंक में मत प्रतिशत प्राप्त किया है और कांग्रेस से अधिक वोट प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। ...**(व्यवधान)** ... यानी किसी जमाने में जब उनका नारा हुआ करता था कि सारे भारत से नाता है, तो सरकार चलाना आता है ...**(व्यवधान)** ... आज वस्तुस्थिति यह हो गई है कि इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में सारे भारत से नाता स्थापित करके एक वास्तविक अर्थों में पूरे भारत में अपना प्रभाव रखने वाले और जन समर्थन प्राप्त करने वाले एकमेव राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में अपने को स्थापित किया है। ...**(व्यवधान)** ...

यह चुनाव पिछले लोक सभा चुनावों के मुकाबले बहुत अलग था। बिंदु क्रमांक 5 पर राष्ट्रपति महोदय ने स्मरण दिलाया कि हम इन पांच वर्षों में पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने। महोदय, हम सिर्फ पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बने ...**(व्यवधान)** ... पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था किसको पीछे छोड़कर बने, उस ब्रिटेन को पीछे छोड़कर बने, जिसने कभी हमारे ऊपर हुकूमत की थी। हम सिर्फ पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बने, हम दुनिया के चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने। ...**(व्यवधान)**... हम दुनिया के तीसरे बड़े सोलर एनर्जी के मैनुफैक्चरर बने। ...**(व्यवधान)**... हम दुनिया के तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैनुफैक्चरर बने। ...**(व्यवधान)**... आज भारत का डोमेस्टिक सिविल एविएशन का सेक्टर दुनिया में तीसरे नंबर का हो गया है ...**(व्यवधान)**... और हम दूसरे नंबर के मोबाइल हैंडसेट बनाने वाले देश बने। ...**(व्यवधान)**... इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट

करने वाले हम दुनिया के नंबर वन देश बने और डिजिटल पेमेंट में हम दुनिया में नंबर वन देश बने। ...**(व्यवधान)**... महोदय, इतना ही नहीं हुआ, पिछली लोक सभा और इस लोक सभा के बीच में चाँद के अछूते कोने, दक्षिणी ध्रुव को छूने वाले हम दुनिया के पहले देश बने, जिसका राष्ट्रपति महोदया ने उल्लेख किया। ...**(व्यवधान)**... निश्चित रूप से उसमें हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, परंतु प्रधान मंत्री जी का निरंतर संवर्धन, सहयोग और संबल उन्हें प्राप्त होता रहा। ...**(व्यवधान)**... महत्वपूर्ण बात यह रही कि उस प्वाइंट का नाम प्रधान मंत्री जी ने 'प्वाइंट शिवशक्ति' रखा। ...**(व्यवधान)**... यानी हमारी स्त्री शक्ति को वह स्थान चाँद की ऊँचाई तक देने का काम किया। ...**(व्यवधान)**... उपसभापति महोदय, यहीं पर मैं बताना चाहता हूँ कि इसी समय इस देश में कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं, जो यह कहते हैं कि हिन्दू धर्म में जो शक्ति है, उससे हमें लड़ना है ...**(व्यवधान)**... और दूसरी तरफ हमारा संकल्प यह है कि उस शक्ति को चाँद की ऊँचाई तक ले जाकर स्थापित करना है, जो माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। ...**(व्यवधान)**...

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। ...**(व्यवधान)**... चुनाव संपन्न हुए, मगर ये चुनाव एक मामले में इस देश के अद्भुत चुनाव थे। ...**(व्यवधान)**... सामान्यतः चुनाव होते हैं, तो चुनाव परिणाम के दिन एक पार्टी के कार्यालय में मिठाई बँटती है, धूम-धड़ाका होता है, दिवाली होती है ...**(व्यवधान)**... और दूसरी जगह गलियारे खाली नजर आते हैं। ...**(व्यवधान)**... महोदय, मगर ये चुनाव एक ऐसे चुनाव थे, जहाँ दोनों जगह मिठाई बँट रही थी, दोनों जगह पटाखे छूट रहे थे, भाजपा कार्यालय में भी और कांग्रेस कार्यालय में भी। ...**(व्यवधान)**... ऐसा क्यों हो रहा था? ...**(व्यवधान)**... हमें तो स्पष्ट बहुमत मिला, लगातार हमने तीसरी बार सरकार बनाई, मगर वहाँ पर तालियाँ क्यों बज रही थीं? ...**(व्यवधान)**... महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जो थर्ड अटेम्प्ट में तीन डिजिट की संख्या नहीं प्राप्त कर पाए, चुनाव के बाद उनके चेहरे की चमक देखिए, उनकी आवाज की खनक देखिए, उनके जलवे में धमक देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। ...**(व्यवधान)**... महोदय, इसका कारण यह है कि एक बच्चा होता है, जो टॉपर होता है, जिसे डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलने थे, अगर वह फर्स्ट डिविजन मार्क्स पाए, तो उसके चेहरे पर वह खुशी नहीं होती है ...**(व्यवधान)**... और धड़ाधड़ फेल होने वाला बच्चा अगर ग्रेस मार्क्स पाकर थर्ड डिविजन पास हो जाए, तो उसके चेहरे पर बहुत खुशी होती है। ...**(व्यवधान)**... महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारे कांग्रेस के साथियों में बहुत उत्साह और उल्लास नजर आ रहा है, तो मैं अपना एक अनुभव बताना चाहता हूँ। ...**(व्यवधान)**... जो लोग हमारे इस जेनरेशन में हैं, उन्हें याद होगा कि उस जमाने में जब परीक्षा का परिणाम आता था, तो सिर्फ डिविजन पता लगता था। ...**(व्यवधान)**... फर्स्ट डिविजन, रोमन में 'I', सेकंड डिविजन 'II' और थर्ड डिविजन 'III'। ...**(व्यवधान)**... हम लोगों के मोहल्ले में एक लड़का था, वह थर्ड डिविजन पास हुआ और एक लड़का फर्स्ट डिविजन पास हुआ। ...**(व्यवधान)**... फर्स्ट डिविजन वाला मेरिट एक्सपेक्ट कर रहा था, तो फर्स्ट डिविजन वाले के यहाँ खुशी नहीं थी। ...**(व्यवधान)**... इस पर दूसरे ने पूछा कि तुम थर्ड डिविजन पास हुए हो, तो तुम्हारे अंदर इतनी खुशी क्यों है? ...**(व्यवधान)**... आप जानते हैं कि थर्ड डिविजन वाले ने क्या जवाब दिया? ...**(व्यवधान)**... साहब, ये तो फर्स्ट डिविजन आए हैं न, हमारे तो तीन हैं, 1st division with two body guards. ...**(Interruptions)**... ये हमारे सहयोगी '1st division with two body guards' का जो उल्लास मना रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि वस्तुस्थिति यह है कि

तीन बार मिला कर, 44, 52 और 99 मिला कर इनके उतने नहीं हैं, जितने अकेले भारतीय जनता पार्टी के 240 हैं। ...**(व्यवधान)**... मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि 1984 के बाद से आज तक 40 साल में कभी कांग्रेस को 240 सीटें नहीं मिली हैं। ...**(व्यवधान)**... पी.वी. नरसिम्हा राव जी के समय में 232 सीटें मिली थीं, बाद में उनकी कुछ सीटें बढ़ी थीं। ...**(व्यवधान)**... यानी 40 साल में जो मुकाम नहीं हासिल हो पाया, उसके बावजूद इन लोगों की जिस प्रकार की उच्छृंखलता दिखाई पड़ती है, उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कितनी कोशिश कर ली, ...**(व्यवधान)**... मगर प्रधान मंत्री जी तीसरी बार स्पष्ट बहुमत के साथ प्रधान मंत्री बनने में सफल हुए। ...**(व्यवधान)**... मैं इन लोगों के लिए एक बात कहना चाहूँगा, प्रधान मंत्री जी की तरफ से एक लाइन कहना चाहूँगा कि

*"दरिया का सारा नशा उतरता चला गया,
वह मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया।
और यह 44, 52, 99, अरे, मंजिल समझ कर बैठ गए जिस पे चंद लोग,
मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया।"*

महोदय, राष्ट्रपति महोदया ने बिंदु क्रमांक 3 में एक और बात स्पष्ट की है कि 60 साल के बाद एक ऐसा मौका आया है, जब लगातार तीसरी बार किसी प्रधान मंत्री को जनता ने बहुमत प्रदान कर के, आशीर्वाद देकर सदन में भेजा हो। ...**(व्यवधान)**... जिस समय प्रधान मंत्री जी के बारे में यह विषय आया था, उस समय हमारे विपक्ष के साथी लोगों ने बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस भी की थी। ...**(व्यवधान)**... उनके अन्दर कुछ एक बेचैनी नज़र आ रही थी, क्यों - क्योंकि मोदी जी ने लगातार 3 बार स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके वह कार्य किया है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है और शायद इसलिए हमारे विरोधियों ...**(व्यवधान)**...

SHRI H.D. DEVEGOWDA (Karnataka): Sir, ... *...(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do you want to speak? ...*...(Interruptions)*... माननीय सुधांशु जी, माननीय एच.डी. देवेगौड़ा जी, एक्स प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलना चाहते हैं। अगर आप उन्हें बीच में समय दे सकते हैं, तो वे बोलें। ...**(व्यवधान)**...

डा. सुधांशु त्रिवेदी: जी। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. H.D. Devegowda.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: Sir, I have got the highest regard for all our senior Members who want to raise the issue of NEET. Due to what has happened, lakhs and lakhs of students are suffering in the country. ...*...(Interruptions)*... Please. I have no objection. But the point is, the Government has already taken the decision and ordered for a CBI inquiry. The inquiry has not been completed. In two or three States,

they have arrested the people who are responsible for this type of damage. ...*(Interruptions)*... I am sitting in this House and I don't want to take sides but so far as the NEET examination is concerned, on what has happened, yes, I do agree. You can't fix the responsibility because there are thousands of examiners in the whole country. Is it so easy to fix the responsibility on an individual? ...*(Interruptions)*... The examination has, of course, gone wrong, and the Government has taken the decision. It is a right decision. ...*(Interruptions)*... The concerned Minister has taken the decision. ...*(Interruptions)*... Till the inquiry is completed, you can't take the responsibility and damage the image of the Government. ...*(Interruptions)*... I don't agree. ...*(Interruptions)*... We have got sufficient scope to debate on this issue on the President's Address, and the President's Address is being discussed. ...*(Interruptions)*... But this is not the way. ...*(Interruptions)*... Unless and until the enquiry is completed, you can't fix the responsibility. ...*(Interruptions)*... I am not going to take sides. ...*(Interruptions)*... But the way in which all our elders ...*(Interruptions)*... They are all senior leaders, they are all mature leaders. I don't know. ...*(Interruptions)*... When the enquiry is going on, how can they go on attacking the Government? ...*(Interruptions)*... This is not the way. ...*(Interruptions)*... I only appeal to all matured leaders, senior leaders. ...*(Interruptions)*... Please. Knowing fully well ...*(Interruptions)*... You know the entire issue. ...*(Interruptions)*... I only appeal to you not to unnecessarily blame the Government. ...*(Interruptions)*... The Government has done its duty, and the inquiry is going on. ...*(Interruptions)*... Till the inquiry report comes, the HRD Minister cannot take any decision or the Government cannot take any decision till the inquiry is completed and the culprit is known. ...*(Interruptions)*... Then only we can discuss about the concerned persons who are responsible for it. ...*(Interruptions)*... I, therefore, appeal to all the Members to see to it that the House runs smoothly. That is all I can appeal. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is an ex-Prime Minister. माननीय देवेगौड़ा जी बहुत मैच्योर नेता हैं, देश के बड़े सम्मानित नेता हैं। उन्होंने जो कहा, उसको आपने सुना। प्लीज
...*(व्यवधान)*... माननीय सुधांशु जी, please continue with your speech.

डा. सुधांशु त्रिवेदी: माननीय उपसभापति महोदय, अभी इस सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य, वयोवृद्ध नेता, पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय एच. डी. देवेगौड़ा जी ने जो विचार कहे, ...*(व्यवधान)*... बड़े दुख का विषय है कि 21 घंटे का समय आवंटित होने के बावजूद सबसे वरिष्ठ सदस्य के द्वारा यह अनुरोध करने के बावजूद जिस प्रकार का आचरण दिखाया जा रहा है, इससे साफ समझ में आता है कि इनका उद्देश्य सवाल, सवाल का जवाब और जवाब के सवाल में नहीं

है, इनका उद्देश्य बवाल में अधिक दिखाई पड़ रहा है। ...**(व्यवधान)**...इसलिए यह अपोजिशन की इस नीयत को भी स्पष्ट करता है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया आप विषय पर बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

डा. सुधांशु त्रिवेदी: महोदय, अब मैं विषय पर आता हूँ। जो मैं बता रहा था कि बिन्दु क्रमांक 5 पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि इस देश के इतिहास में, 60 साल के बाद यह पहली बार एक घटना हुई, जब लगातार तीन बार किसी प्रधान मंत्री ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया हो। जिस समय महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने यह शब्द बोला था, हम सबको ध्यान है कि अनेक विपक्षी सदस्यों ने अपनी-अपनी सीट पर आवाज़ें करते हुए इसका प्रतिवाद किया था। ...**(व्यवधान)**... संभवतः उनके मन में इस बात के लिए स्वीकार्यता नहीं हो पा रही थी कि यह कैसे हो गया कि लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया और पं. जवाहरलाल नेहरू जी का वह रिकॉर्ड, जिसके ऊपर वे बहुत इतराते थे, उसकी बराबरी हो गई। ...**(व्यवधान)**... महोदय, मगर हमारे बहुत-से विपक्षी सदस्य कहते हैं कि साहब, नेहरू जी की बराबरी तो मोदी जी से नहीं हो सकती, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि तीसरी बार मोदी जी चुनकर आए हैं और यह मैं भी मानता हूँ कि नेहरू जी और मोदी जी में बराबरी नहीं हो सकती, इसलिए तीसरी बार आने पर मैं सिर्फ तीन बिन्दु दूँगा, जिनके आधार पर हम मानते हैं कि नेहरू जी और मोदी जी की बराबरी नहीं हो सकती। ...**(व्यवधान)**... नंबर वन, उपसभापति महोदय, जब मोदी जी इस देश के प्रधान मंत्री के कैंडिडेट चुने जाने थे, मुझे आज तक याद है, 13 सितम्बर, 2013, शाम 6 बजे भाजपा की पार्लियामेंटरी बोर्ड की बैठक होनी थी और मोदी जी स्वयं उसके मेम्बर थे, मगर उन्होंने कहा, मैं उस बैठक में नहीं आऊँगा, जिसमें मेरे बारे में विचार हो रहा हो। यह होता है - नैतिकता के आधार के ऊपर निर्णय। ...**(व्यवधान)**... उस समय राजनाथ सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष थे और मुझे ही यह दायित्व दिया गया था कि मैं मोदी जी को रिसीव करके अध्यक्ष के कमरे में बैठा लूँ और जब बैठक समाप्त हो जाए, तब हम एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित करने के लिए जाएँगे। महोदय, पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड एकमत था, सारे कार्यकर्ता एकमत थे और पूरा देश एकमत था और तब मोदी जी प्रधान मंत्री के कैंडिडेट घोषित हुए। ...**(व्यवधान)**... उधर पं. जवाहरलाल नेहरू को जब केबिनेट मिशन प्लान के तहत 26 अप्रैल, 1946 को कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाना था और उसके लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी थी और 20 अप्रैल को मौलाना आज़ाद को गाँधी जी ने लेटर लिखा कि आप अपना दावा वापस ले लीजिए और मैं चाहता हूँ कि नेहरू जी प्रधान मंत्री बनें, परंतु इसके बावजूद उस बैठक के अंदर क्या हुआ, उसका रिकॉर्ड आचार्य कृपलानी ने अपनी किताब 'Gandhi - His Life and Thoughts', मौलाना आज़ाद ने अपनी किताब 'India Wins Freedom', राजमोहन गाँधी ने अपनी किताब 'Patel: A Life' और उस समय के सबसे प्रख्यात पत्रकार दुर्गा दास ने अपनी किताब 'India - From Curzon to Nehru and After' में लिखा है कि एक वोट पट्टाभि सीतारमैया को मिले, शायद एक या दो वोट्स आचार्य कृपलानी को मिले, शेष सारे वोट्स सरदार पटेल को मिले और शून्य वोट मिले जवाहरलाल नेहरू जी को। ...**(व्यवधान)**... वाकई कैसे तुलना हो सकती है? ...**(व्यवधान)**... सर्वसम्मति से प्रधान मंत्री के कैंडिडेट बनने वाले मोदी जी और शून्य

वोट पाकर प्रधान मंत्री के कैंडिडेट बनने वाले हमारे नेहरू जी, एक वह नेता, जिसको पूरे देश ने नेता माना और एक वह नेता, जिसको उसकी पार्टी में किसी ने नेता नहीं माना, इसलिए वाकई तुलना नहीं हो सकती। ...**(व्यवधान)**... बल्कि मैं तो कहना चाहूँगा कि आज खरगे जी को अध्यक्ष बनना था और यह सोनिया गाँधी जी की इच्छा थी, तो सारे डेलिगेट्स ने खरगे जी को वोट कर दिया और शशि थरूर जी ने नामांकन वापस ले लिया। ...**(व्यवधान)**... उस समय गाँधी जी की इच्छा के बावजूद किसी ने नेहरू जी को वोट नहीं किया, तो मैं कह सकता हूँ कि आज खरगे जी की स्थिति उस समय के नेहरू जी से बेहतर है। ..**(व्यवधान)**...

महोदय, अब मैं दूसरा बिन्दु कहना चाहता हूँ कि इसमें वाकई प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और नेहरू जी में तुलना नहीं हो सकती। ..**(व्यवधान)**... नेहरू जी के विषय में प्रख्यात शायर मजरूह सुल्तानपुरी ने एक आर्टिकल लिख दिया था कि उनकी कार्यशैली में हिटलर की झलक दिखती है और उसके बाद उपसभापति महोदय, वे दो साल जेल में रहे थे। यहाँ मोदी जी के समय में हिटलर की मौत, मोदी जी की मृत्यु की कामना और कब्र खुदेगी जैसी बात कहने वाले लोगों को तो छोड़िए, जिन्होंने मोदी जी की बोटी-बोटी करने की बात कही थी, वे सम्मानित सदस्य होकर अगले सदन में आ गए और इसके बावजूद किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मैं मानता हूँ कि मोदी जी और नेहरू जी की कोई तुलना नहीं है, अपनी आलोचना को लेकर दोनों की एप्रोच में जमीन-आसमान का अंतर है। ..**(व्यवधान)**...

महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जो कि तीसरा बिन्दु है। हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को कितने ही देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, जिनमें भूटान, फ्रांस, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, रूस और मालदीव हैं। मेरे विरोधी विशेष रूप से यह सुनें कि इनके अतिरिक्त तमाम मुस्लिम देश, जैसे इजिप्ट, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, अफगानिस्तान और विशेषकर फिलिस्तीन ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को दिया, जो भारत के इतिहास में किसी प्रधान मंत्री को नहीं मिला। प्रधान मंत्री जी ने किसको सर्वोच्च सम्मान दिया? हमारी सरकार ने और सरकार की बनाई समिति ने सिर्फ हमारे नेताओं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी को ही भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं दिया, हमने कांग्रेस के नेताओं को भी सम्मान दिया। कांग्रेस के तीन बड़े नेताओं को भारत रत्न मिला। हमारी सरकार में मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न मिला, हमारी सरकार में प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न मिला, हमारी सरकार में पी.वी. नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न मिला। वे हमारी पार्टी के नहीं थे, परंतु कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला और कांग्रेस के नेता एस.सी. जमीर तथा तरुण गोगोई जी को पद्म अवार्ड मिला। दूसरी तरफ, नेहरू जी ने क्या किया? न किसी से अवार्ड मिला, ..**(व्यवधान)**... देने के मामले में दूसरी पार्टी छोड़िए, अपनी पार्टी के सरदार पटेल और बाबा साहेब अम्बेडकर को भी नहीं दिया, उन्होंने अपनी ही सरकार से खुद ही भारत रत्न ले लिया। यानी, एक मोदी जी, जिन्होंने विरोधियों को भी भारत रत्न दिया और एक नेहरू जी उनकी सरकार, जिसमें खुद को भारत रत्न मिल गया, तो मैं मानता हूँ कि इन तीनों बिन्दुओं पर नेहरू जी और मोदी जी में कोई तुलना नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी नेहरू जी की तुलना में एक अतुलनीय प्रधान मंत्री हैं और उन्होंने यह अतुलनीय उपलब्धि हासिल की है। ..**(व्यवधान)**...

महोदय, मैं अंत में एक और बात कहूँगा कि वाकई दोनों में बराबरी नहीं है। हम लोग बचपन में एक गीत सुनते थे, जिसे हमारी पीढ़ी और हमसे पहले वाली पीढ़ी ने अवश्य सुना होगा। वह गीत था - "दे दी हमें आजादी बिना खड़्ग बिना ढाल...", जिसमें एक लाइन थी कि "फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल!" वे तो फूलों की सेज पर थे और हमारे प्रधान मंत्री जी चाय की केतली लेकर प्लेटफॉर्म पर दौड़े नरेन्द्र लाल! दोनों में जमीन-आसमान का अंतर था। वे जवाहरात के लाल थे और नरेन्द्र मोदी जी गुदड़ी के लाल थे। उनका बचपन हीरे-जवाहरात के बीच में गुजरा और गुदड़ी के लाल ने निकलकर आज भारत माता का भाल जिस ऊँचाई तक पहुँचाया है, उसके लिए सारा देश उन पर गर्व करता है। ..(व्यवधान)...

अब मैं पिछली बात को छोड़कर इस पर आता हूँ कि इस तीसरे टर्म में हमारी सरकार किस प्रकार की बातों पर विचार करने की तरफ ध्यान दे रही है। राष्ट्रपति महोदया ने बिन्दु क्रमांक पाँच में इस बात का उल्लेख किया है - Reform, Perform और Transform. आने वाले समय में हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है, वह है एनर्जी, और एनर्जी में ग्रीन एनर्जी। हमारी सरकार ने, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस विषय का बहुत पहले से ध्यान कर इस बात को समझ लिया कि आने वाला एरा, ग्रीन एरा है। याद कीजिए कि हमारी सरकार ने आने के बाद यह किया था कि उसने एलईडी बल्ब्स देने शुरू किए थे। अब तक 37 करोड़ एलईडी बल्ब्स डिस्ट्रिब्यूट किए जा चुके हैं, जो अमेरिका की कुल आबादी से अधिक हैं। उस समय हमारा अधिकतम पावर कंजम्पशन, 50 परसेंट से अधिक कोयले से होता था। अगर हम विकसित राष्ट्र बनना चाहते थे और केवल कोयले से कंजम्पशन करते, तो भारी मात्रा में कार्बन डिपोजिशन होता। हमारी सरकार में प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में ग्रीन एनर्जी के संबंध में यह टारगेट रखा गया कि 2030 तक भारत की इंस्टाल्ड कैपेसिटी पावर जेनरेशन के 40 परसेंट क्लीन एनर्जी से होगी। महोदय, सरकारों में कार्य अक्सर देर में होता है, मगर मैं बताना चाहता हूँ कि भारत के इतिहास में पहली बार वह 40 per cent installed capacity by clean energy का टारगेट 8 साल पहले 2022 में ही अचीव कर लिया गया और अब 2030 के लिए क्लीन एनर्जी का रिवाइज्ड टारगेट 50 परसेंट हो गया है, जो यह दर्शाता है कि हमने कितनी महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। इसीलिए सोलर एनर्जी के संदर्भ में हम तीसरे नम्बर के देश बन गए हैं। सोलर एनर्जी के संदर्भ में वर्ष 2014 में जहां सोलर एनर्जी 2.6 गीगावॉट थी, वहीं वर्ष 2023 में 66.7 गीगावॉट हो गई है और इतना ही नहीं, अब प्रधान मंत्री जी ने जो एक 'प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना' शुरू की, उसका उल्लेख राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में है। मैं बताना चाहता हूँ कि लोगों के घर पर सोलर रूफ टॉप्स लगेंगे, मुफ्त की बिजली प्राप्त हो रही है, मुफ्त की बिजली के साथ-साथ जो लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक कार चलाएंगे, उनके व्हीकल की चार्जिंग भी मुफ्त में हो जाएगी। आप सोचिए कि एक ऐसी योजना है, जिसमें किसी भी प्रकार का पर्यावरण पर आक्षेप नहीं आ रहा है, पर्यावरण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मुफ्त की ऊर्जा मिल रही है, वह भी सरकारी खजाने पर बगैर कोई बोझ डाले मिल रही है। जो लोग मुफ्त-मुफ्त की बात करते थे, अगर देखा जाए तो प्रधान मंत्री जी ने ईमानदारी से एक ऐसी योजना के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त बिजली देने का प्रयास किया है जो अपने आप में अद्भुत और अलग है। हम भविष्य में भी 'हाइड्रोजन एनर्जी मिशन' की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।

राष्ट्रपति महोदया ने उल्लेख किया कि स्टार्टअप्स के मामले में हम दुनिया के तीसरे बड़े ईको सिस्टम बन गए हैं, मगर हम तीसरे बड़े ईको सिस्टम सिर्फ संख्या के आधार पर नहीं बने। जब हमारी सरकार नहीं थी, तब कुछ सौ स्टार्टअप्स थे, आज एक लाख से ऊपर स्टार्टअप्स हैं। उपसभापति महोदय, एक लाख की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, 675 जिलों में से 600 जिलों में स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, यह हमारी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्टार्टअप्स का मतलब केवल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद ही नहीं है, बल्कि 675 में 600 जिलों में स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं।

डोमेस्टिक फ्लाइट्स के मामले में हम तीसरे बड़े सिविल एविएशन सेक्टर हो गए हैं। राष्ट्रपति महोदया ने इस बात का उल्लेख किया कि वर्ष 2014 में 209 हवाई मार्ग थे, लेकिन अब 905 हवाई मार्ग हो गए हैं। अब लगभग हर राज्य में एक एयरपोर्ट जरूर है। महोदय, किस प्रकार का बदलाव आया है यह देखिए कि आज दुनिया में सबसे ऊंचा पुल कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर हमारी सरकार के समय में बनकर तैयार हुआ, समुद्र के ऊपर एशिया का सबसे लम्बा पुल मुंबई में हमारी सरकार के समय में तैयार हुआ है, सबसे बड़ा केबल पुल गुजरात में हमारी सरकार के समय में तैयार हुआ है और नदी के नीचे से चलने वाली मेट्रो कोलकाता में हमारी सरकार के समय में तैयार हुई है। यह दर्शाता है कि विकास के नए प्रतिमानों पर किस प्रकार से इस सरकार के दौरान हम आगे बढ़े।

महोदय, बड़े विषयों की तरफ तो अकसर लोगों का ध्यान काफी जाता है, परंतु मैं एक चीज़ पर और ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मोदी जी की सरकार के समय में बहुत छोटी-छोटी चीज़ों की देश के विकास में क्या भूमिका हो सकती है, उस तरफ ध्यान दिया गया है। मैं तीन छोटी चीज़ों पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। शहद हम सब बहुत सामान्य रूप से इस्तेमाल करते हैं। शहद का निर्यात वर्ष 2014 में 445 करोड़ रुपए का था और 9 सालों में वह बढ़कर 1,623 करोड़ रुपए हो गया। महोदय, जब हम चाइना की बात करते थे, तो बहुत सी बातें होती थीं कि खिलौने हमारे यहां क्यों नहीं बन सकते। इन 9 सालों में हमने 1,844 करोड़ रुपए के खिलौने एक्सपोर्ट किए हैं। यह हमने छोटी सी चीज़ में आगे बढ़ने का प्रयास किया और दूसरी चीज़ जो हमारे विरोधियों को शायद याद हो, खादी, जिसका महात्मा गांधी जी के साथ बड़ा संबंध माना जाता था, हमारे मोदी जी के प्रयासों से 2014 में जो खादी की मार्केट 31,000 करोड़ रुपए की थी, वह अब बढ़कर 1 लाख 35 हजार करोड़ रुपए की हुई है, यानी हमने खादी में 4 गुना अधिक वृद्धि प्राप्त की है। अगर हम बड़े स्तर पर देखें तो डिफेंस मैनुफैक्चरिंग, जो कि हमारी सरकार आने से पहले लगभग होती नहीं थी, जिसकी वजह से हम सिर्फ हथियार खरीदते थे, उन्हें और अपने आप बनाने का हमारे अंदर सामर्थ्य तो था, पर सरकारों में इच्छाशक्ति नहीं थी। अब स्थिति यह आई है कि अब एक लाख करोड़ रुपए की डिफेंस मैनुफैक्चरिंग इस सरकार के कार्यकाल में हो रही है। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 18 गुना बढ़ा है। उपसभापति महोदय, डिफेंस के हमारे 500 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जिनके लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि इनका इम्पोर्ट बैन हो, यानी जो पहले विदेश से आते थे, अब वे 500 प्रोडक्ट्स भारत में ही बनेंगे, वे इक्विपमेंट्स विदेश से नहीं लिए जाएंगे। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए, जिनका उल्लेख राष्ट्रपति महोदया ने किया है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल बनने का उल्लेख भी उन्होंने किया है, जो भारत की पहली Intermediate Range Ballistic Missile है और जिसे हमने एक्सपोर्ट करने की शुरुआत की और

फिलिपींस पहला देश बना जिसने वह एक्सपोर्ट का ऑर्डर लिया है। उपसभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। वहाँ ब्रह्मोस मिसाइल का कोई पार्ट बने, कोई कम्पोनेंट बने, यह अपने आपमें कितने बड़े गर्व का विषय है। मुझे याद है कि हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश की छवि क्या बनाकर रखी गई? उत्तर प्रदेश पर सिनेमा क्या बनता था- जिला गाजियाबाद, लखनऊ सेंट्रल, मिर्जापुर सीरीज बनती थी, ओमकारा फिल्म में मेरठ के गैंगवार को दिखाया गया, बाबर फिल्म में कानपुर के गैंगवार को दिखाया गया और कंपनी फिल्म में दिखाया गया था कि जैसे मुंबई का सारा माफिया पूर्वी उत्तर प्रदेश से आ रहा है। आप सोचिए उस समय अवैध हथियारों के बनने के समाचार आते थे और अब Intermediate-range ballistic missiles उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर में बनने जा रही हैं। इतना बड़ा नजारा बदलने के बाद भी जिनकी नजरें ही न हों, तो उनको नजारा कैसे नज़र आ सकता है, यह समझा जा सकता है। अभिभाषण के बिंदु क्रमांक 17 में राष्ट्रपति महोदय ने भारत के पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में अपना विचार व्यक्त किया है, जिसमें विशेषकर मैं सिर्फ तीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का उल्लेख करना चाहूंगा। इनका उल्लेख इसलिए करना चाहूंगा, क्योंकि इनके बारे में एक, डेढ़ साल पहले बहुत वितंडावाद मचाया गया।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: प्लीज़, अपनी-अपनी सीट्स पर जाइए।

डा. सुधांशु त्रिवेदी: मात्र एक-डेढ़ साल पहले बहुत वितंडावाद मचाया गया कि एसबीआई डूब रहा है, एलआईसी डूब रहा है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स नीचे जा रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय ने बताया कि इस साल पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 1,40,000 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। पिछले क्वार्टर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुनाफा केवल एक तिमाही का 21,000 करोड़ रुपये है, जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की सारी कंपनियों में मिलाकर सबसे ज्यादा है। पहली बार एसबीआई ने रिलायन्स से भी ज्यादा मुनाफा कमा के दिखाया है। एलआईसी का पिछले क्वार्टर का मुनाफा 19,000 करोड़ रुपये है, जो एलआईसी का ऑल टाइम हाई है। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: माननीय एलओपी कुछ बोलना चाहते हैं।

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): सर, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर रेज़ करने के लिए भी हमें सरकार से पूछना पड़ता है, तो यह बहुत ही Undemocratic system है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्रियंका चतुर्वेदी जी ने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया है। अब आपने आदेश दिया कि सब लोग बैठिए और हम बैठ गए। In spite of that, if they are not honouring, सब बैठे भी नहीं और फिर उन्होंने अपना भाषण शुरू कर दिया। आपका भाषण कौन सुनने वाला है, हम तो नहीं सुन रहे हैं।...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please. ..(*Interruptions*)..मैंने आग्रह किया कि सभी लोग अपनी सीट पर जाएं, जब तक नहीं गए थे, आपने कहा...(व्यवधान)...प्लीज़, माननीय एलओपी को बोलने दीजिए।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: उन्होंने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया है। जो भी प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है, you allow that.

श्री उपसभापति: जब बाहर लोग थे, अपनी सीट पर नहीं गए थे, तब मैंने कहा। He has to yield. प्रियंका जी प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहती हैं।

डा. सुधांशु त्रिवेदी: उपसभापति जी, आप तय कीजिए प्वाइंट ऑफ ऑर्डर।

श्री उपसभापति: प्रियंका जी, आप किस नियम के तहत प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहती हैं?

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी (महाराष्ट्र): सर, मैं आपको नियम भी बताऊंगी। I am also a Member of Parliament, and I have been given this right to raise a point of order. It is unfair that I have been screaming non-stop and the Members of the Opposition have been asking you to yield.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, raise your point of order.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Sir, my point of order is on Rule 259: Chairman to preserve order and enforce decisions. "The Chairman shall preserve order and shall have all powers necessary for the purpose of enforcing his decisions." Sir, we have been protesting non-stop. We cannot hear what he is speaking. He is being allowed to speak while we are not being allowed to even raise a point of order. Isn't it your responsibility, Sir, with all due respect, to ensure that even the Opposition's voices can be heard? ..(*Interruptions*)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I know the rules. ..(*Interruptions*).. Please take your seat. ..(*Interruptions*)..

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Yes, I will sit. ..(*Interruptions*)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is not a point of order. ..(*Interruptions*).. सुधांशु जी, आप बोलें।

डा. सुधांशु त्रिवेदी: उपसभापति महोदय, मेरा विचार यह था कि हमारा विपक्षी दल यदि हाउस ऑर्डर में होता, तो प्वाइंट ऑफ ऑर्डर ज्यादा उपयुक्त नजर आता, परंतु मैं अब अपना विषय आगे रखने का प्रयास करता हूं। स्टेट बैंक, एलआईसी ने पिछले क्वार्टर में ऑलटाइम हाई प्रॉफिट दर्ज किया है और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को 29 हजार करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला है और 80 हजार करोड़ रुपये उनका ऑर्डर पाइपलाइन में है, जो एचएएल को आज तक नहीं मिला था। यह दर्शाता है कि एसबीआई, एलआईसी और एचएएल ने इस सरकार के कालखंड में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल किया है। और यह दर्शाता है कि किस प्रकार का दुष्प्रचार था तथा किस प्रकार का यथार्थ आज आंकड़ों के आधार पर देखने को मिलता है।

(सभापति महोदय पीठासीन हुए।)

सभापति महोदय, मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि भारत का विश्व की विकास दर में योगदान 15 प्रतिशत होने जा रहा है, यानी इस प्रकार से भारत अब दुनिया के विकास में एक अग्रणी भूमिका निभाने जा रहा है। इसी संदर्भ में मैं उन्हीं की बात को पुष्ट करते हुए ... (व्यवधान)... यह बताना चाहता हूं कि Chief of International Monetary Fund (IMF), Kristalina Georgieva, ने यह स्टेटमेंट दिया है कि भारत 15 परसेंट ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करके दुनिया में ग्रोथ का इंजन बनने की भूमिका निभाने जा रहा है। ... (व्यवधान)... एक दौर था, ... (व्यवधान)... जब हम आईएमएफ जैसे संगठनों से charity expect करते थे, हम उनके सामने याचक बनकर खड़े होते थे और आज आईएमएफ की चीफ यह कह रही है कि भारत अर्थव्यवस्था के विकास में याचक नहीं, उसका संचालक बनकर खड़ा हुआ है, यह बात राष्ट्रपति महोदय की उस बात से बहुत स्पष्ट होती है। ... (व्यवधान)... इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने अपने समय में जिस प्रकार की सूचना-क्रांति और डिजिटल रिवोल्यूशन लाया है, उससे देश के अंदर ट्रांसपेरेंसी और त्वरित end-mile delivery को ensure किया है।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण के बिंदु क्रमांक 28 पर नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना के संदर्भ में यह कहा कि यह भारत की सांस्कृतिक चेतना की पुनर्स्थापना का प्रतीक था। नालंदा सिर्फ भारत में ज्ञान का प्रतीक नहीं था, उस ज्ञान के प्रतीक को जिस ढंग से ध्वस्त किया गया, उस ज्ञान के प्रतीक को जिस ढंग से नष्ट किया गया ... (व्यवधान)... यह भारत की सांस्कृतिक चेतना की उस जीवनी शक्ति का प्रतीक था। हमारी सरकार ने उसको जिस ढंग से स्थापित किया है, वह कितना गहरा घाव भारत के ऊपर था, इसको मैं बाबा साहेब अम्बेडकर के शब्दों में क्वोट करना चाहता हूं। ... (व्यवधान)... बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब, Writings and Speeches of Babasaheb Ambedkar, was published by the Maharashtra Government in 1987 and then re-published by the Central Government in January 2014, इन्हीं की सरकार में, Ministry of Social Justice and Empowerment के द्वारा, उनमें decline of Buddhism में उन्होंने लिखा है, जिसे मैं उनके उस आर्टिकल से क्वोट कर रहा हूं। ... (व्यवधान)... "How the Buddhist priesthood perished by the sword of the Muslim invaders has been recorded by the Muslim historians themselves - summarizing the evidence relating to the slaughter of

the Buddhist Monks by the Musalman General in the course of his invasion of Bihar in 1197 A.D." और आगे उन्होंने Vincent Smith को क्वोट किया है कि नालंदा विश्वविद्यालय के एक-एक भिक्षु को पकड़कर किस प्रकार से मार दिया गया और कुछ लोग अपनी जान बचाकर नेपाल और तिब्बत चले गये। ...**(व्यवधान)**...

महोदय, प्रधान मंत्री जी ने कहा कि आप पुस्तकों को जला सकते हो, आप इमारतों को जला सकते हो, पर भारत के ज्ञान और संस्कृति की परम्परा को नहीं जला सकते हो। इसलिए हमारी सरकार ने नालंदा की पुनर्स्थापना करने का प्रयास किया है, भारत की ज्ञान परम्परा को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है। ...**(व्यवधान)**...

सभापति महोदय, जब भारत की सांस्कृतिक चेतना की बात आती है, तो निश्चित रूप से हमारे मन में नालंदा, बोधगया और उसी के साथ-साथ भव्य श्रीराम मंदिर का विषय भी आता है। परन्तु इस बार बड़ी मजेदार बात है कि अयोध्या की लोक सभा सीट पर हमें वांछित सफलता नहीं मिली और उसको लेकर इनके चेहरों के ऊपर जो चमक दिखाई पड़ती है, यह अपने आप में राजनैतिक विश्लेषकों के लिए food for thought है। ...**(व्यवधान)**... क्योंकि इस प्रकार का वातावरण इस देश में बनाया गया कि एक वर्ग के लिए, 'all eyes should be on Rafah' चाहे किसी को पता हो कि Rafah है क्या, कहां है यह न पता हो, पर दूसरे वर्ग के लिए, 'all eyes should not be on Ayodhya.'

सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि ये लोग समझ नहीं पाए। अयोध्या में जब हमें वांछित सफलता नहीं मिली, तो हमारे विरोधी बता क्या रहे हैं, देखिए साहब, आप अयोध्या हार गए, बस्ती हार गए, प्रयागराज हार गए, चित्रकूट हार गए, नासिक, रामटेक और रामेश्वरम, यानी भगवान राम से जुड़े सारे स्थलों के बारे में बता रहे हैं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी को वांछित सफलता नहीं मिली। इनमें कई तो ऐसी सीटें थीं, जैसे रामेश्वरम कभी नहीं जीते थे, परन्तु महोदय, मैं कह रहा हूँ कि ये समझ नहीं पाए कि प्रभु की लीला क्या है ? ...**(व्यवधान)**... जो लोग ये कहते थे कि राम हुए नहीं, इसका सबूत दो, वे उत्तर से दक्षिण तक राम से जुड़े स्थानों का सबूत दे रहे हैं कि अयोध्या भी राम से जुड़ी थी, बस्ती भी जुड़ी थी और प्रयागराज भी था, रामटेक भी था, रामेश्वरम भी था। आपको लगता है कि भगवान हमको हरवाने के लिए आए थे, नहीं, वे आपको अपना अस्तित्व मनवाने के लिए आए थे। महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूँ, रामचरितमानस और रामायण में भी इसका उल्लेख है कि एक बार भगवान राम को भी नागपाश बाण लगा था। नागपाश बाण लगने के कारण उन्हें एक मूर्छा आ गई थी और तब राम विरोधी दल में बड़ी खुशियाँ छा गई थीं, मगर वह सिर्फ हनुमान जी को अपनी शक्ति याद दिलाने के लिए प्रभु की लीला का हिस्सा था। महोदय, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। ... **(व्यवधान)**...

सभापति महोदय, आज से तीस साल पहले - मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन सभी ने मिलकर सरकार बनाई थी, सपा, बसपा और कांग्रेस (आई) ने मिलकर सरकार बनाई थी, तब एक नारा लगा था कि 'मिले मुलायम, कांशीराम, हवा में उड़ गये जय श्रीराम।' मगर हम तब भी नहीं डिगे थे और जो हवा में उड़ाने की बात कर रहे थे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमने तीन साल में केंद्र में सरकार बनाकर दिखा दी थी और उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनी थी। अब तो इतना अंतर आया है - तब आप हवा में उड़ाने की बात कर रहे थे, अब आप एक-एक इंसान को श्री राम से जुड़े स्थान बता रहे हैं। आप निश्चित

रहिए। हम लोग एक प्रसिद्ध भजन सुनते थे, जो हनुमान जी का प्रसिद्ध भजन है, उसमें यह कहा गया है कि

'रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग कि फांस सबै सिर डारो।'

परंतु आप चिंता मत कीजिए, वह शक्ति आज पुनः जाग्रत हो रही है और वह जाग्रत होकर हमें पुनः वहां तक पहुंचाने का प्रयास करेगी।

महोदय, मैं एक और गंभीर बात कहना चाहता हूँ। श्रीराम का विषय हमारे लिए हार-जीत का विषय नहीं है। जब हम दो सीटों की पार्टी थे, तब भी उतनी श्रद्धा और निष्ठा के साथ खड़े थे। महोदय, हम 86 सीट पर भी वैसे ही खड़े थे, 120 सीट पर भी वैसे ही खड़े थे, 182 सीट पर भी वैसे ही खड़े थे, 282 भी पर वैसे ही खड़े थे, 303 पर भी वैसे ही खड़े थे और 240 पर भी वैसे ही खड़े हुए हैं। यह आपके लिए चुनावी हार-जीत का विषय होगा, हमारे लिए चुनावी हार-जीत का विषय नहीं है, परंतु हमें लगता है कि भारतीय समाज में कुछ लोगों के मन में अभी भी इसको लेकर परेशानी है। हो सकता है कि हमारी तपस्या में कोई कमी रही हो, उसके लिए मैं भारत के सभी लोगों से अटल बिहारी वाजपेयी जी कविता की पंक्ति कहना चाहूंगा। महोदय, उनकी कविता थी, आओ मिलकर दीया जलाएं, मैं उसके लिए कहना चाहूंगा कि अभी हमारा यह प्रयास बाकी है। मैं उस कविता की एक प्रसिद्ध पंक्ति क्वोट करना चाहता हूँ जो आज की इन परिस्थितियों पर बहुत समीचीन लगती है। वह पंक्ति इस प्रकार है:

*"आहुति बाकी यज्ञ अधूरा
अपनों के विघ्नों ने घेरा।
अंतिम जय का वज्र बनाने
नव दधीचि हड्डियाँ गलाएँ
आओ फिर से दिया जलाएं।"*

सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण और शपथ में हमारे विरोधियों ने बहुत बार संविधान का विषय उठाया। राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण के क्रमांक बिंदु 28 पर संविधान और संविधान से जुड़े विषयों के बारे में बात कही है, मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान इस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इन लोगों ने अपने समय में संविधान में क्या किया तथा किस भावना से प्रेरित होकर किया, यह मैं तीन उदारहणों के कंपैरिजन से बताना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, सितम्बर, 1934 में नाज़ी पार्टी का न्यूरम्बर्ग में कंवेंशन हुआ, जिसमें नाज़ियों की बड़ी प्रसिद्ध फिल्म Triumph of the Will का मंचन हुआ और उस मंचन के बाद हिटलर के राइट हैंड आदमी रुडोल्फ हेस ने नारा लगवाया था - Hitler is Germany and Germany is Hitler. ठीक वही नारा 1976 में कांग्रेस के देवकांत बरुआ, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने लगाया - India is Indira and Indira is India. आप सोचिए कि ये किन विचारों से प्रेरित थे और संविधान कितने बड़े खतरे में था!

महोदय, मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ। 26 अप्रैल 1942 को जर्मनी की संसद रीचस्टैग को संबोधित करते हुए हिटलर ने जर्जों के लिए कहा था कि जो जजेज़ आज के युग की आवश्यकता नहीं समझते, मैं उनके लिए intervene भी करूंगा, उनको सुपरसीड भी करूंगा और

उन्हें पद से भी हटाउंगा। ठीक यही काम 24 अप्रैल, 1973 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था, जब उन्होंने जजेज को सुपरसीड किया और committed judiciary की बात कही। अर्थात् संविधान के ऊपर खतरा! और संविधान की किस प्रकार की परिस्थितियाँ थीं, आज की पीढ़ी को याद नहीं होगा 38वें और 39वें संविधान संशोधन के द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। यानी कोई ज्यूडिशियरी इस पार्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती है। वे लोग आकर आज कहते हैं कि वे संविधान की रक्षा करने वाले हैं!

सभापति महोदय, मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि श्री जॉर्ज फर्नांडीस जैसे नेता को हाथ में हथकड़ी लगाकर सड़क पर चलाया गया था और वे लोग आज कहते हैं कि इनको संविधान की रक्षा करने की आवश्यकता है। महोदय, 42वाँ संविधान संशोधन ऐसा संविधान संशोधन था, जिसमें 40 आर्टिकल बदले गए, 14 आर्टिकल नए जोड़ दिए गए, दो नए चैप्टर जोड़ दिए गए और बाबा साहेब अंबेडकर ने जिस Preamble to the Constitution of India को संविधान की आत्मा कहा था, उस आत्मा को भी बदल दिया गया। ...**(व्यवधान)**... आज वे लोग प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं! ...**(व्यवधान)**... उस समय जो अखबार छपते थे, उन्हें पीआईबी से एक-एक लाइन वेट करानी पड़ती थी, तब जाकर समाचार पत्र में कुछ छपता था। ...**(व्यवधान)**... इसके लिए उस जमाने में एक मशहूर शेर बोला गया था। ...**(व्यवधान)**... आप सबको पता होगा कि उर्दू के बड़े प्रसिद्ध शायर गालिब हुए हैं, मीर तक़ी मीर हुए हैं, शेख इब्राहिम जौक़ हुए हैं। ...**(व्यवधान)**... लोगों ने दिल से दुखी होकर कहा था कि

*“अब तो गालिब, जौक़, साहिर, मीर सरकारी,
शायरी की हो गई तासीर सरकारी!”*

महोदय, मगर इतना ही नहीं था, यह सिर्फ़ इमरजेंसी का विषय नहीं था। ...**(व्यवधान)**... मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब-जब ये सत्ता में आए हैं, संविधान खतरे में आया है। ...**(व्यवधान)**... जब श्री राजीव गांधी जी सत्ता में आए और सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया तथा वह निर्णय शरिया के विरुद्ध नजर आया, तो इस देश की संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंदकर शरिया को संविधान से ऊपर कर दिया, तब यह संविधान खतरे में था। ...**(व्यवधान)**... तब हमने उसका विरोध किया था। ...**(व्यवधान)**... मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई एक सेक्युलर देश बताइए, जहां शरिया संविधान से ऊपर होता हो? ...**(व्यवधान)**... यह सिर्फ़ हमारे देश में था और संविधान सबसे बड़े खतरे में था। ...**(व्यवधान)**... अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि 1992 में पी. वी. नरसिम्हा राव जी के समय में ढांचा गिरने पर हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार बरखास्त कर दी गई, यह समझ में आता है। ...**(व्यवधान)**... भाजपा की सारी सरकारें किस आधार पर बरखास्त कर दी गईं! ...**(व्यवधान)**... यह संविधान खतरे में था। ...**(व्यवधान)**... झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, 1993, जिसमें यह साबित हो गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तीन सांसदों ने पैसा लेकर काँग्रेस की सरकार को बचाया है। ...**(व्यवधान)**... उस समय ज्यूडिशियल इम्युनिटी थी, अब कोर्ट ने उसे हटाया है। ...**(व्यवधान)**... यह संविधान खतरे में था। ...**(व्यवधान)**... जब-जब ये सत्ता में आते हैं, संविधान खतरे में आता है। ...**(व्यवधान)**... सभापति महोदय, अब मैं यह कहना चाहूंगा कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई ...**(व्यवधान)**... मैं देश की प्रबुद्ध जनता से

पूछना चाहता हूँ कि यह बताइए कि संविधान के हिसाब से देश की सर्वोच्च एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी है - यूनियन कैबिनेट। ...**(व्यवधान)**... इस यूनियन कैबिनेट के ऊपर नेशनल एडवाइज़री काउंसिल किसने बनाई? ...**(व्यवधान)**... क्या यह संविधान को खतरे में डालना नहीं था? ...**(व्यवधान)**... संविधान खतरे में था। ...**(व्यवधान)**... नेशनल एडवाइज़री काउंसिल के चेयरमैन को कैबिनेट का रैंक प्राप्त था और वह रैंक असंवैधानिक था। ...**(व्यवधान)**... लोगों को याद नहीं होगा कि मार्च, 2006 में श्रीमती सोनिया गाँधी जी को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मुद्दे के ऊपर इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि वह पद असंवैधानिक था। ...**(व्यवधान)**... यह भी याद होना चाहिए कि इसी सदन की सदस्या, श्रीमती जया बच्चन जी को पहले इस्तीफा दिलवाया गया था, उस चक्कर में खुद भी इस्तीफा देना पड़ गया था। ...**(व्यवधान)**... बाद में, जब वे री-इलेक्ट होकर आईं, उस बीच में संविधान संशोधन करके, चेयरमैन, नेशनल एडवाइज़री काउंसिल के पद को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर कर दिया गया। ...**(व्यवधान)**... संविधान से खिलवाड़ करने वाले लोग आज हमें यह बताते हैं! ...**(व्यवधान)**... दस साल तक इस देश ने सुपर पीएम-सुपर पीएम सुना। ...**(व्यवधान)**... क्या तब संविधान खतरे में नहीं था? ...**(व्यवधान)**... संविधान खतरे में था। ...**(व्यवधान)**... जिस समय देश की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी, यानी यूनियन कैबिनेट कोई प्रस्ताव पारित करती है और उसके प्रस्ताव को कोई कहे कि मैं पब्लिकली चीर कर फेंक दूंगा, यह संविधान के चिन्ने चिन्ने उड़ाना है। ...**(व्यवधान)**... यह संविधान खतरे में था। ...**(व्यवधान)**... संविधान उनके जमाने में हमेशा खतरे में रहा है और हमने हमेशा संविधान का बचाव किया है। ...**(व्यवधान)**... सभापति महोदय, मैं एक घटना याद दिलाना चाहता हूँ। ...**(व्यवधान)**... संविधान को इतना ही खतरे में नहीं डाला है। ...**(व्यवधान)**... मार्च, 2006 में केरल की विधान सभा में एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होता है कि कोयंबटूर हमले के ब्लास्ट का मुख्य आरोपी अब्दुल नासिर मदनी, जो तमिलनाडु की जेल में बंद है, उसे रिहा कर दिया जाए। ...**(व्यवधान)**... 117 के 117 विधायक, सारे कांग्रेसी, सारे कम्युनिस्ट उसके पक्ष में वोट करते हैं, यानी आतंकवाद के एक आरोपी के पक्ष में विधान सभा का प्रयोग करना - इससे यह संविधान खतरे में था। ...**(व्यवधान)**... जब-जब इनके हाथ में सत्ता आई है, संविधान खतरे में रहा है। ...**(व्यवधान)**... सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि यह कहानी यहीं पर नहीं रुकी। ...**(व्यवधान)**... अब, जब हम सत्ता में हैं और ये विपक्ष में हैं, याद करिए इन्होंने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। ...**(व्यवधान)**... सीएए केंद्र के द्वारा पारित कानून है। ...**(व्यवधान)**... क्या संसद के द्वारा पारित कानून के विरुद्ध कोई राज्य विधान सभा प्रस्ताव पारित कर सकती है - नहीं। ...**(व्यवधान)**... ऐसा करना संविधान को खतरे में डालना है। ...**(व्यवधान)**... इनके समय में संविधान को इन्होंने फिर खतरे में डाला। ...**(व्यवधान)**... मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि सीएए नागरिकता से जुड़ा विषय था। ...**(व्यवधान)**... नागरिकता केंद्र का विषय है। ...**(व्यवधान)**... उसका प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। ...**(व्यवधान)**... इसके बावजूद, नागरिकता से जुड़े केंद्र के कानून पर प्रदेश की इनकी सरकारें प्रस्ताव पारित कर रही हैं, तो ये संविधान खतरे में डाल रहे हैं। सभापति महोदय, मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि दो नेता जेल में चले गए, तो इनको लगता है कि संविधान खतरे में आ गया है। ...**(व्यवधान)**... इनको लगता है कि वे न्यायिक कार्रवाई के तहत नहीं गए, तो मैं अपने विरोधियों के सुलभ संज्ञान के लिए याद दिला देना चाहता हूँ कि क्या यह 2014 के बाद ही हुआ है? सोनिया जी और राहुल जी को जिस

National Herald Case में बॉन्ड लेना पड़ा, वह अक्टूबर 2013 में दर्ज हुआ, उस समय हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोजी जी और ए. राजा जेल गए, 2011 में हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कलमाड़ी जी जेल गए, 2010 में हमारी सरकार नहीं थी। मधु कोड़ा जी, सीएम, झारखंड जेल गए, 2008 में हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, उस समय हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह जी और मायावती जी पर 2006-07 में disproportionate assets का केस हुआ, उस समय हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि सन् 2000 में जेल गए, लालू यादव 1997 में जेल गए, जयललिता 1996 में जेल गईं, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, राजीव गांधी पर आरोप 1987 में लगे और एफआईआर 1990 में हुई।

सभापति महोदय, मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि 30 साल से देख रहे हैं - हम लोग छात्र जीवन से प्रौढ़ावस्था में आ गए, जेल में अंदर-बाहर, अंदर-बाहर आने-जाने का खेल देखते हुए, पर अब हमसे कहते हैं कि 2014 के बाद ऐसा है। वास्तविकता यह है कि संविधान के साथ खिलवाड़ सदैव इन्होंने किया है। इसलिए मैं इनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा - उसके बावजूद ये किस ढंग की भाषा और आचरण का प्रयोग करते हैं, तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि

*"लहजे में बदजुबानी और चेहरे में नकाब लिए फिरते हैं,
जिनके खुद के बहीखाते बेहिसाब बिगड़े हैं,
वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं।"*

राष्ट्रपति महोदय ने अंतिम बिंदु में यह कहा कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और विकसित राष्ट्र के लिए उन्होंने यह बताया कि किस प्रकार से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। ...**(व्यवधान)**... मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि digital revolution एक ऐसा revolution था - भारत, जिसके बारे में कहा जाता था कि यहां साक्षरता और समझ की दर कम है, तो यह देश कैसे एडॉप्ट होगा। ...**(व्यवधान)**... मोदी जी ने आने के बाद जो digital revolution आया है, आज दुनिया में होने वाले digital transaction का 46 परसेंट भारत में होता है, जो हमारे बाद आने वाले चार देशों का मिलाकर भी हमसे कम है। ...**(व्यवधान)**... मैं यहां पर एक और बात भी कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अंतिम बात करते हुए एक चीज़ क्वोट की थी। राष्ट्रपति महोदय ने वेदों के एक वाक्य को क्वोट किया। उन्होंने कहा था - *"समानो मंत्रः समितिः समानी"*, अर्थात् सभी लोग समान रूप से आएँ, एक समान रूप से आगे पढ़ें और एक साथ आगे आएँ। ...**(व्यवधान)**...

सभापति महोदय, आज से कुछ साल पहले डिस्कवरी चैनल पर एक प्रोग्राम आता था, 'Michael Wood The Story of India', जिसमें उसने कहा कि इंडिया में वह potential है कि अगर इंडिया अपने potential का सही ढंग से प्रयोग करेगा, तो by the mid of this century, India will be the biggest nation and richest nation on this earth. सभापति महोदय, यह important नहीं है, उसने कहा, India will be the biggest and richest nation on this earth, the place at which it remained most of the time in the history. ...**(Interruptions)**... अर्थात् जो हमारा अतीत था, उसे हम प्राप्त करके रहेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। ...**(व्यवधान)**... हमारे विरोधी लोग किस विचार की बात करते हैं - इनके एक बहुत बड़े ideological thinker थे, वे चुनाव के दौरान क्या बोले कि उत्तर भारतीय यूरोपियों से हैं, पश्चिम

वाले अरब वालों से जुड़े हैं, तो पूरब वाले चीन वालों से जुड़े हैं, दक्षिण वाले अफ्रीका वालों से जुड़े हैं। ...**(व्यवधान)**... उन्होंने इस्तीफा दिया और वे फिर रीइन्स्टेट हो गए हैं, यानी ऐसा केवल चुनाव के लिए था। चेहरे का वह नकाब उतर गया है। ...**(व्यवधान)**... मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि महोदय, आपको पता नहीं है कि भारत के भारतीयों की क्या वास्तविकता थी और आपके मन में गुलामी की क्या मानसिकता भरी हुई है। ...**(व्यवधान)**... मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि अरब के लोग भारत के बारे में क्या सोचते थे या अरब के कई historians जिसमें इब्न-ए-असीर, इब्न-ए-कतीर, इब्न-ए-खलदूम ने यह भाव व्यक्त किया है - अजीजुल इलमीन इलबिलादुल हिंद अर्थात् 'The cool breeze of wisdom comes from the land of India' और हमको समझाते हैं कि हम उधर से आए हैं। मैं प्रबुद्ध लोगों से कहना चाहता हूँ कि जाकर चैक कर लीजिए ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Take your seat. ...*(Interruptions)*... Would you like to make an appeal to them? ...*(Interruptions)*...

सभा के नेता (श्री जगत प्रकाश नड्डा): सभापति जी, सदन के नेता के रूप में मुझे पहली बार बोलने का सौभाग्य मिला है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ...**(व्यवधान)**... मैं सोचता था कि मेरी शुरुआत कोई अच्छी प्लीजेंटरीज के साथ होगी और हम प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ चल रहे विषयों के बारे में प्रजातांत्रिक तरीके से चर्चा करेंगे, ...**(व्यवधान)**... लेकिन मुझे दुख के साथ बताना पड़ता है कि यह जो एल्डर्स हाउस है, यह जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का हाउस है, यहाँ पर एक तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को ताक पर रख कर हाउस को होस्टेज बनाने का प्रयास हो रहा है, एक तरीके से हाउस के कार्य करने में रुकावट पैदा की जा रही है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Sit down. ...*(Interruptions)*... Hon. Members, ...*(Interruptions)*... One minute....*(Interruptions)*... Hon. Members, what is happening? ...*(Interruptions)*... Is this what you should be doing? You are virtually dancing. ...*(Interruptions)*... And Shrimati Sagarika Ghose, you write columns every week. This is what you have earned all your life! What is wrong with Priyankaji. Shrimati Priyanka Chaturvedi, what is wrong with you? Hon. Members, it has been a day... ...*(Interruptions)*...

श्री जगत प्रकाश नड्डा: कल बिजनेस एडवाइजरी कमिटी में बाकायदा डिस्कशन हुआ, जिसमें डिप्टी लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी भी उपस्थित थे, तृणमूल कांग्रेस के लोग भी उपस्थित थे, सभी पार्टीज के लोग उपस्थित थे ...**(व्यवधान)**... और वहाँ यह निर्णय हुआ था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन के लिए, we will allocate 21 hours, 21 घंटे दिए जाएंगे, जो अपने आपमें एक रिकॉर्ड है। ...**(व्यवधान)**... इससे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन के लिए 21 घंटे कभी भी एलोकेट नहीं हुए हैं। ...**(व्यवधान)**... मैं चेयर का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। ...**(व्यवधान)**... लेकिन वहाँ सहमति होने के बावजूद आज सवेरे सर्पेंशन ऑफ

बिजनेस का जो विषय लाया गया, ऐसा नहीं है, एनईईटी पहले भी था, एनईईटी का विषय बीएसी में भी आ सकता था, लेकिन मंशा नहीं थी, मंशा हाउस को डिस्टर्ब करने की थी। ...**(व्यवधान)**... इसलिए ये आज सस्पेंशन ऑफ बिजनेस लेकर आए और सस्पेंशन ऑफ बिजनेस लाकर इस तरीके की स्थिति खड़ी की गई। ...**(व्यवधान)**... सभापति महोदय, मैं यहाँ आपसे बोलना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी कमिटेड थी कि उसको डिस्कशन नहीं करना है। They were pre-decided and they were predetermined. That is why I find that in the speakers' list, there is no name from the Congress Party. This shows that they were not serious about the debate. राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद ज्ञापन में 21 घंटे में आपको एनईईटी पर जितनी बात करनी है, उसका पूरा मौका मिलता है और सरकार जवाब देने के लिए तत्पर भी है और जवाब देगी, यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: माननीय सदस्यगण, ...**(व्यवधान)**... माननीय सदस्यगण, आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ...**(व्यवधान)**... ऐसा कभी नहीं हुआ है। ...**(व्यवधान)**... मैं पीड़ित हूँ, मैं अचम्बित हूँ कि भारतीय संसदीय परम्परा इतनी गिर जाएगी कि विपक्ष के नेता वेल में आएँगे, डिप्टी लीडर वेल में आएँगे! ...**(व्यवधान)**... The House is adjourned to meet at 2.00 p.m.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled at two of the clock,

MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

MR. CHAIRMAN: Dr. Sudhanshu Trivedi to resume the discussion.

डा. सुधांशु त्रिवेदी: महोदय, जैसा कि मैं उस विषय पर बता रहा था कि इस कालखंड में जब राष्ट्रपति महोदय ने अपने भाषण में कहा कि भविष्य में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा और 21वीं सदी भारत की होगी, तो वहीं इस देश में कुछ ऐसे भी लोग थे, जिनके दिमाग में गुलामी की मानसिकता अभी भी ऐसी पैवस्त थी कि वह अपना हर स्रोत बाहर से ढूँढ़ते थे।...**(व्यवधान)**... कोई कहता था कि पश्चिम वाले अरब से आए, उत्तर वाले यूरोप से आए, पूरब वाले चीन से आए और दक्षिण वाले अफ्रीका से आए। ...**(व्यवधान)**... इसलिए मैं इन तीनों जगहों का सिर्फ एक-एक उदाहरण बताता हूँ कि भारत का इन पर इन्फ्लुएंस था या इनका इन्फ्लुएंस भारत पर था।...**(व्यवधान)**... जो मैंने बताया कि अरब के तमाम हिस्टोरियन्स, जिनमें Ibn-e-Aseer, Ibn-e-Al Khaldoom हैं, उन्होंने लिखा है, 'Azizul ilmeen ilbiladul hind' - यह अरेबिक वर्ड है, जिसका मतलब होता है कि हिंद यानी भारत से cool breeze of knowledge and wisdom आती है, वह भारत को मानते थे कि हमने ज्ञान यहाँ से सीखा है और ये कहते हैं कि हम वहाँ से आए। ...**(व्यवधान)**... यूरोप वालों के लिए बताना चाहता हूँ कि Sanskrit is the mother of all European languages. यह हमने नहीं कहा, बल्कि एक European William Jones ने कहा। जो एक अंग्रेज था और कोलकाता हाईकोर्ट का जज था यानी वे कहते हैं कि उन्होंने ज्ञान हमसे सीखा

है और ये हमको बताते हैं कि हमने उनसे सीखा है। ...**(व्यवधान)**... यह गुलामी की मानसिकता है। मैं हमारे विरोधियों को चीन के बारे में बताना चाहता हूँ। यह एक फैक्ट है, जो शायद हमारे बहुत-से लोगों को न पता हो। चीन की संस्कृति में भारत का प्राचीन नाम क्या है? मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ कि एनशिअंट चाइनीज में भारत को "Tianzhou" कहते हैं। ...**(व्यवधान)**... कोई जाकर चेक कर ले कि चाइनीज भाषा में 'Tian' का मतलब क्या है और 'Zhou' का क्या मतलब है। 'Zhou' का मतलब होता है केन्द्र, जैसे हमारे यहाँ पुर है, नागपुर, कानपुर, जयपुर आदि, वैसे ही वहाँ पर Honzhou, Gonzhou होता है और 'Tian' का मतलब होता है स्वर्ग, यानी चीन मानता था कि India is the centre of heaven और ये कहते हैं कि हमने चीन से सीखा है।...**(व्यवधान)**... इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अंग्रेज चले गए, मगर अंग्रेजियत अभी तक नहीं गई। जिसके लिए हम लोग कभी बोलते थे कि

*"अंग्रेज बेचारे चले गए भारत को देकर आजादी,
पर अभी तलक तुम गई नहीं चर्चिल बाबा की परदादी"*

यानी अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत नहीं गई।...**(व्यवधान)**... इसलिए मैं इन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि इनके दिमागों में अभी भी वह गुलामी की मानसिकता भरी है कि :-

*"न संयम व्यवस्था, न एकात्मता है,
भरी है अभी तक मनो में गुलामी
वही राग अंग्रेजियत का अभी तक
सुनाते बड़े लोग नाम-गिरामी।"*

ये लोग उसी अंग्रेजियत के राग में फँसे हुए हैं, परंतु राष्ट्रपति महोदया ने जो यह बात बतायी कि भारत का एक परिवर्तन का समय आ रहा है, तो प्रधान मंत्री जी ने उसको किस रूप में आगे बढ़ाया है, उसको मैं बताना चाहता हूँ।...**(व्यवधान)**... यदि भारत को विश्व का नेतृत्व करना है, तो नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना होगा। हम विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता भी हैं और सबसे युवा देश भी हैं। इसलिए डिजिटल टेक्नोलॉजी आज फ्यूचर की होने वाली टेक्नोलॉजी है, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई कंप्यूजन होने की संभावना नहीं है।...**(व्यवधान)**... आप देखिए कि हमारी सरकार आने के बाद प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में किस ढंग से सिस्टेमेटिकली उसमें मामले आगे बढ़ा। इंटरनेट के यूजर्स 2014 में 24 करोड़ थे और अब 82 करोड़ हो गए। इस प्रकार तीन गुनी संख्या बढ़ी है। यह 2023 का आँकड़ा है। 1.2 बिलियन मोबाइल फोन हैंडसेट्स के यूजर्स हो गए हैं और 67 करोड़ स्मार्ट फोन्स के यूजर्स हो गए हैं। ...**(व्यवधान)**... एवरेज स्पीड ऑफ इंटरनेट, जो इनके जमाने में 1.7 मेगाबाइट प्रति सेकंड होती थी, वह अब 30 मेगाबाइट प्रति सेकंड है।...**(व्यवधान)**... महोदय, इतना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि डाटा की स्पीड के साथ डाटा की कॉस्ट भी कम होनी चाहिए और एक जीबी डाटा की कीमत इनके जमाने में 270 रुपए थी और वह अब घट कर 19 रुपए हो गई है यानी 25 गुना कर किया है। यह जरूरी था कि भारत को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आगे बढ़ना है और हम आगे बढ़ें, इसलिए हम आज डिजिटल

ट्रांसफॉर्मेशन में 46 प्रतिशत वर्ल्ड के हिस्से के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए मोबाइल फोन के प्रोडक्शन में भी हमने लंबी छलांग मारी है। 2014 में मोबाइल हैंडसेट बनाने की केवल दो फैक्ट्रियां थी, आज 200 से अधिक फैक्ट्रियां हैं। आज 4 लाख, 10 हजार करोड़ रुपए के मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और भारत में मैन्युफैक्चर होने वाले 100 परसेंट भारत में कंज्यूम भी हो रहे हैं। इन्नोवेशन इंडेक्स में भारत 78वें स्थान से 40वें स्थान पर पहुंच गया है। पेटेंट्स, जो 2014 में 4,000 थे वे आज 41,000 हो गए हैं। महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि जब हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं तो विश्व में भी हमारी स्वीकार्यता किस रूप में आगे बढ़ रही है। ...**(व्यवधान)**...

यहां विदेश मंत्री जी स्वयं बैठे हुए हैं। आज प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में सक्षम विदेश नीति के द्वारा भारत उस मुकाम तक पहुंचा है कि रशिया कहता है, India is our traditional ally और अमेरिका कहता है, India is our strategic ally. यह बात सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। ...**(व्यवधान)**... हमने रशिया से S-400 anti-missile system लिया है, जिसे रूस ने किसी को नहीं दिया। हमने अमेरिका से Predator drone लिए हैं, जो नाटो के बाहर उसने किसी को नहीं दिए। आप सोचिए, अगर यह सक्षम विदेश नीति न हो, तो क्या यह संभव है कि रूस और अमेरिका दोनों अपने सबसे सक्षम हथियार भारत को देने के लिए तैयार हों? ...**(व्यवधान)**... मैं एक वाक्या बताना चाहता हूँ। हमारे विरोधी विदेश नीति को हमारी डोमेस्टिक पोलिटिक्स के चश्मे से देखते रहते थे और उसमें देश का नुकसान होता रहता था। कोई इजरायल जाता था तो वह फिलिस्तीन नहीं जाता था, वह अगर फिलिस्तीन से बात करेगा तो इजरायल से बात नहीं करेगा, पर मैं एक घटना बताना चाहता हूँ। ...**(व्यवधान)**... माननीय प्रधान मंत्री महोदय जब एक बार फिलिस्तीन जा रहे थे तो वे जॉर्डन में रुके। जॉर्डन के शाह ने उनसे कहा कि वे उनको अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर में फिलिस्तीन भेजेंगे। ...**(व्यवधान)**... यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि जॉर्डन के शाह हुसैन प्रोफेट मोहम्मद की direct descendancy में हैं, एक ही परिवार है, जो प्रोफेट मोहम्मद की direct descendancy में है। ...**(व्यवधान)**... आप सोचिए, जॉर्डन का हेलीकॉप्टर था, वह फिलिस्तीन जा रहा था और उसको इजरायल के फाइटर्स एस्कॉर्ट कर रहे थे। ...**(व्यवधान)**... आप सोचिए कि इजरायल और फिलिस्तीन कभी किसी एक देश के साथ अगर एक रूप में कभी हुए तो वह प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के लिए हुए। ...**(व्यवधान)**... चाहे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो या डिप्लोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों में भारत एक नए सिरे से, एक नए स्वरूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ...**(व्यवधान)**... परंतु अफसोस की बात यह है कि हमारे जो विरोधी हैं, वे इस विषय को लेकर -- जिस प्रकार का वातावरण इन चुनावों के दौरान दिखा, उसमें भी एक विदेश का संबंध दिखा। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारत का यह चुनाव भारत के इतिहास का इकलौता चुनाव था, जब विदेश में बैठे हुए किसी धन कुबेर ने यह कहा हो कि मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए वह एक बिलियन डॉलर खर्च करेगा। ...**(व्यवधान)**... यह चुनाव भारत के इतिहास का इकलौता चुनाव था, जब चुनाव भारत में हो रहा था और कांग्रेस के नेता आर्टिकल विदेश के अखबारों में लिख रहे थे। ...**(व्यवधान)**... शशि थरूर जी ने बंगलादेश के अखबार "डेली स्टार" में आर्टिकल लिखा - 'Modi has to go.' आप विदेश के अखबार में क्यों लिख रहे हो, 'Modi has to go?' यह इतिहास का पहला चुनाव था जब पाकिस्तान के मंत्री स्तर के एक व्यक्ति ने कांग्रेस और राहुल गांधी जी की भूरि-भूरि प्रशंसा ही नहीं की, बल्कि फवाद चौधरी का वर्ड था कि बीजेपी हटनी चाहिए, मोदी जाना चाहिए, उसके

बाद जो मर्जी वह कर लेंगे, यानी in verbatim वही था, जो था।...(व्यवधान)... तब आपने क्यों नहीं बोला कि आप कौन होते हैं हमारे बारे में बोलने वाले?...(व्यवधान)... मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब डा. मनमोहन सिंह प्रधान मंत्री थे और श्री नरेन्द्र मोदी जी मुख्य मंत्री थे, उस समय पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधान मंत्री नवाज शरीफ जी ने मनमोहन सिंह जी के बारे में आपत्तिजनक बात बोली थी, तब उस समय नरेन्द्र मोदी जी ने दहाड़ कर कहा था - "कौन होता है पाकिस्तान का PM 120 करोड़ देशवासियों के हमारे प्रधान मंत्री के बारे में बोलने वाला?" मगर अफसोस, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत का यह बदलाव एक बड़ा बदलाव हो रहा है।...(व्यवधान)...

सभापति महोदय, इन चुनावों ने एक निष्कर्ष और दिया है कि कांग्रेस पार्टी को आज बड़ा उत्साह नजर आ रहा है कि वह उभरकर सामने आ गई है, मगर इस चुनाव में एक बात ध्यान देने योग्य है कि जहां हमारा और कांग्रेस का मुकाबला था, वहां तो कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, लेकिन उसने अपने सहयोगियों के कंधे पर चढ़कर बहुत कुछ प्राप्त किया है।...(व्यवधान)... उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आए हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये लोग जिस वोट बैंक के चक्कर में साथ-साथ आए हैं, वह एक के लिए बड़ी चिंता का सबब बनने वाला है।...(व्यवधान)...महोदय, यह कुछ हिन्दी फिल्मों की पुरानी स्टोरी की तरह है कि पुराना आशिक लौट कर आ रहा है। अगर वह पुराना इश्क जाग गया तो आप यह समझिए कि यह समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि सपा कहती है कि मेरा कारनामा तो देख, तो कांग्रेस कहती है, मैं तेरा आशिक पुराना तो देख, उधर एक हैदराबादी हज़रत हैं, जो कहते हैं कि मेरा घराना तो देख, इस triangle से एक नया स्वरूप इस चुनाव में उभरता हुआ नज़र आया है।

मैं इस चुनाव में एक विषय और कहना चाहूंगा कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर जिस प्रकार के आक्षेप-आरोप लगाए गए, आज मैं अपेक्षा करूंगा कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बात के लिए माफी मांगें कि उन्होंने विदेश की धरती पर जाकर कहा था कि Democracy in India is finished. उन्होंने यह कहा था कि judicial process समाप्त हो गया है, अब उसी डेमोक्रेसी के चलते आपकी अनेक सरकारें बनी हैं और आप स्वयं हार कर भी जीत की बात कह रहे हैं। इसका अर्थ बहुत स्पष्ट रूप से यह हो गया कि अपने राजनीतिक नफे-नुकसान के तराजू पर तौल कर आप देश की गरिमा को गिराने का प्रयास भविष्य में न करें।

महोदय, मैं नीट के विषय में भी एक बात कहना चाहता हूँ। नीट को लेकर हमारी सरकार पूरी तरह संवेदनशील भी है और सतर्क भी है। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि किसी एक भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, मगर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब एनटीए के चीफ को हटा दिया गया, जांच constitute हो गई, मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो ये क्या अपने को सर्वोच्च न्यायालय के wisdom से ऊपर समझते हैं? यदि विषय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो उससे पहले इस प्रकार का वातावरण बनाने का अर्थ यह हो गया कि न्यायालय उस पर टिप्पणी देने जा रहा है, मगर हम उससे पहले उसके ऊपर विवाद करना चाहते हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि आज जो लोग बोल रहे हैं, वे सुन लें कि राजस्थान में डेढ़ दर्जन पेपर लीक आउट हुए थे, हमारी सरकार ने तो संवेदनशीलता की बात कही, लेकिन उनके मुख्य मंत्री का तो एक चर्चित बयान आया था कि मैं तो जादूगर हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मुझे सब कुछ पता

रहता है। इसलिए मैं यह बताना चाहता हूँ कि छात्रों के विषय को लेकर हमारी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, पूरी तरह से सतर्क है और शिक्षा मंत्री ने भी यह बात बिल्कुल स्पष्ट की है।

सभापति महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति महोदया ने यह बताया कि हमारी सरकार ने क्या काम किए और अमृतकाल में आगे क्या काम करने जा रहे हैं, उन्होंने अपने अभिभाषण के अंतिम चरण में यह शब्द प्रयोग किया था कि 25 वर्ष का यह अमृतकाल है, यह भारत का वह आधार बनाएगा, जो आने वाले एक हजार वर्ष तक भारत के भविष्य का निर्धारण करेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा 10 साल का परफॉर्मेंस है, 25 साल का प्रोग्राम है, 1 हजार साल की दृष्टि है और हम 10 हजार साल पुराने भारत से भी प्रेरणा लेते हैं - यानी हमारी सोच चुनावमूलक नहीं, सभ्यतामूलक है, our vision is not electoral, it is civilizational. इसीलिए हम एक हजार साल आगे के भारत के बारे में भी सोचते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 20 साल बाद क्या होगा, 25 साल बाद क्या होगा, पर हम एक हजार साल आगे के भारत के बारे में सोचते हैं, 25 साल आगे के भारत के बारे में योजना बनाते हैं और हजारों साल पहले के भारत से प्रेरणा लेते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे विरोधी चाहे जो भी कर लें, मगर हमारी राष्ट्रपति महोदया ने जो कहा था कि सब लोग आएँ, तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि आइए, साथ में मिलकर विचार कीजिए और उसके बाद देश के विकास के लिए एक साथ आगे बढ़िए। अभी आपको जो प्राप्त हुआ है, इसको मंज़िल नहीं समझिए, अभी हम सबको मिलकर देश के लिए बहुत आगे तक चलना है और अंत में मैं एक वाक्य ज़रूर कहना चाहूंगा कि 21वीं सदी भारत की होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है और इस प्रकार के वाद-विवाद के बावजूद होती रहेगी, इस प्रकार के वितंडावाद के बावजूद हम आगे बढ़ते रहेंगे और यह उसी विचार को लेकर आगे बढ़ेगी। राष्ट्रपति महोदया ने यह बात भी बताई कि आज दुनिया में सभ्यताओं के संघर्ष की बात कही जाती है। उस संघर्ष का समाधान कौन देगा? सिर्फ भारत से, जहां पर सभ्यताओं के समन्वय का आधार बनता है और उन सभ्यताओं के समन्वय का आधार भारतीय संस्कृति और हमारे हिंदू धर्म की वह अवधारणा ही बनेगी, जिससे लड़ने का संकल्प आप लेते हैं। इसलिए 21वीं सदी का भारत आगे बढ़कर उठने जा रहा है। We are all set to rise, not to dominate the world, but to motivate the world. हम विश्व को दबाने के लिए नहीं, विश्व के बंधु बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उस विचार से आगे बढ़ रहे हैं, जो हजारों वर्षों की हमारी प्रेरणा है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रसिद्ध पंक्ति कहना चाहता हूँ। मैं "हिंदू तन मन, हिंदू जीवन रग-रग हिंदू मेरा परिचय" के आखिरी छंद को कहकर अपना विषय समाप्त करूंगा, जो यह बताएगा कि भारत किस रूप में विश्व में आगे बढ़ने वाला है।

" होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, कर लूं जग को गुलाम?"

हमने किसी को परेशान नहीं किया।

" होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, कर लूं जग को गुलाम?"

मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम

गोपाल-राम के नामों पर कब हमने अत्याचार किया?

कब दुनिया को हिन्दू करने घर-घर में नर-संहार किया?
कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी?
भू-भाग नहीं शत-शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय।
हिन्दू तन-मन, हिन्दू जीवन रग-रग हिन्दू मेरा परिचय॥"

अंत में मैं कहता हूँ, इसलिए आश्वस्त रहिए, आप चाहें या न चाहें।

"अरुण गगन पर महा प्रगति का अब फिर मंगल गान उठा
करवट बदली अंगड़ाई ली सोया हिन्दुस्तान उठा॥"

MR. CHAIRMAN: Ms. Kavita Patidar to make her speech seconding the Motion.

सुश्री कविता पाटीदार (मध्य प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा दिए गए प्रेरणादायी अभिभाषण के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ और इसके साथ ही धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करती हूँ। माननीय प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी की दूरदर्शी और नैतिक नेतृत्व वाली सरकार के पिछले दस साल की उल्लेखनीय यात्रा को बताते हुए माननीय राष्ट्रपति जी ने नवनिर्वाचित सदस्यों को राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपने दायित्व के निर्वहन की शुभकामनाएं भी दीं और साथ ही चुनाव आयोग का भी आभार माना।

महोदय, हम जानते हैं कि 2024 के लोक सभा के चुनाव की चर्चा आज पूरी दुनिया में है। एक भारत, श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित हमारी सरकार के निर्णय का ही सुखद परिणाम है कि जम्मू-कश्मीर में जो बंद, हड़ताल और हिंसा जैसा वातावरण हुआ करता था, आज पहली बार धारा-370 के हटने के बाद वोटिंग में कई दशकों के रिकॉर्ड को तोड़ने का काम हुआ है और विरोधी ताकतों को करारा जवाब देने का काम जम्मू और कश्मीर में हुआ है। भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पर भरोसा जताया है, क्योंकि

"आंखों के सामने विकसित भारत का लक्ष्य था,
हम दृढ़ संकल्पित होकर चलते रहे,
विरोधी हवाओं ने तो बहुत कोशिश की,
मगर राष्ट्रहित के दीये आंधियों में भी जलते रहे।"

महोदय, हमारे भारत की जनता ने, हमारी सरकार पर भरोसा इसलिए जताया, क्योंकि यह चुनाव नीति, नीयत, निष्ठा, ईमानदारी, योजना और सुशासन का चुनाव था, इसलिए भारत की जनता ने आदरणीय मोदी जी और हमारी सरकार पर विश्वास जताया। महोदय, राष्ट्र के विकास से हमारी सरकार विकास पथ पर आगे बढ़ रही है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रत्येक संस्था और व्यक्ति को इसलिए संकल्पित होना चाहिए कि हर प्रयास एक विकसित भारत की सफलता हेतु हो। सफल चंद्रयान मिशन से लेकर जी20 शिखर सम्मेलन की

मेजबानी तक, इटली में हुई जी-7 समिट में भारत को देखने के विश्व के बदलते नजरिए से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकलने तक ऐसे कई उदाहरण हैं, जो साबित करते हैं कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी और हमारी सरकार अपने संकल्प पर कायम हैं और इसी संकल्प के साथ दस साल में भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। आज भारत अकेले ही ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: One minute. Pramodji, please help out. Kirenji, please help out. The House is adjourned to meet at 2.30 p.m.

The House then adjourned at twenty-one minutes past two of the clock.

The House reassembled at thirty minutes past two of the clock,

MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir...

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Tiruchi Siva. What are you raising? Is it a point of order?

SHRI TIRUCHI SIVA: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: Raise it.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, the Member who fainted has developed a blood pressure of 213/114.

MR. CHAIRMAN: Mr. Tiruchi Siva...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, she has developed a blood pressure of 213/114. We have been pleading since morning.

MR. CHAIRMAN: Mr. Tiruchi Siva, please take your seat.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, the Chair should have concern upon us. You are our protector.

MR. CHAIRMAN: Take your seat. ...*(Interruptions)*... Can you take your seat for a minute? ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I want to say one thing. You are our protector. How can we see our colleague like this?

MR. CHAIRMAN: One minute. Take your seat. I have taken all steps, suspended the working of the House, made immediate arrangements and that was the most that could be done. Everything is being taken care of.

SHRI SHAKTISINH GOHIL (Gujarat): Sir, can we say something if you permit us?

MR. CHAIRMAN: No, no. ...*(Interruptions)*... Ms. Kavita Patidar, please continue. ...*(Interruptions)*...

सुश्री कविता पाटीदार: माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं बता रही थी कि आज भारत अकेले ही दुनिया की ग्रोथ में 15 परसेंट का योगदान दे रहा है। वैश्विक महामारी के कालखंड को झेलने के बावजूद रफ्तार से विकास दर हासिल करते हुए हमारी सरकार भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने में जुटी हुई है।

(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)

महोदय, हम जानते हैं कि विकसित भारत का सार चार स्तंभों में निहित है, जो इस प्रकार हैं - युवाओं की ताकत, किसानों के लिए समर्थन, गरीबों का उत्थान और महिलाओं का सशक्तिकरण। मुझे इस बात को कहते हुए बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है कि महिला सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ाते हुए महिलाओं के अधिकारों, सुरक्षा और विकास के अवसरों को सुनिश्चित करने हेतु हमारी सरकार का व्यापक दृष्टिकोण सराहनीय रहा है। एक और नए युग की शुरुआत हमारी सरकार के द्वारा की जा रही है। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जहाँ एक ओर शक्ति से लड़ने की बात कही जाती है, वहीं दूसरी ओर हमारे माननीय प्रधान मंत्री *नार्यस्तु राष्ट्रस्य स्वः* में विश्वास करते हुए शक्ति की वंदना करने का काम करते हैं और "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" द्वारा नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का सम्मान देते हैं। सरकार की योजनाओं की वजह से महिलाओं का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ा है। पिछले दस वर्षों में चार करोड़ पी.एम. आवास ज्यादातर महिलाओं के नाम पर आवंटित किए गए हैं। सरकार के प्रयास से तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही 3 करोड़ नए घर बनाए जाने की भी स्वीकृति दे दी गई है। आज 10 करोड़ महिलाएँ..*(व्यवधान)*..

OBSERVATIONS BY THE CHAIR

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, this kind of conduct, ignoble conduct, a conduct that will hurt every Indian, will put this institution to shame. We are here elected, get

the prestige of being Members of the Upper House, the House of Elders. If, in this House, we conduct ourselves in this unruly manner, it is most unfortunate. I had reflected that it was very painful for me, unbelievable for me, to see Shri Mallikarjun Kharge, a leader with parliamentary experience of over five decades, having held the position of the Leader of the Opposition both in the State and in Parliament, walking into the Well of the House. The Deputy Leader of the Party, Shri Pramod Tiwari, also walked in. Senior leader, Shri Mukul Wasnik, was also there. It was a very painful moment for me. We expect the Leader of the Opposition and the Leader of the House to exemplify their conduct that is worth emulating. He came into the Well. The entire House saw it. But what is more painful and hurtful for me is that he has misreported and misrepresented outside and has spoken untruth. I don't want to use stronger words about what happened. He is in denial mode and his statement which has been put on Twitter of ANI is self-contradictory. At one point of time, he says that he did not get into the Well and, at the other time, he says that they had to walk in there. Now, the second part is far more serious. What I have seen is that this institution was tarnished, tainted and demeaned. It was the worst sacrilege that could be committed for this temple of democracy, and if this happens from those who have to lead as custodians to preserve the order, nothing can be more unfortunate.

As regards the recent incident, all steps have been taken that are required to be taken. Everyone has been alerted and my office is in action. Now, Ms. Kavita Patidar.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS - Contd.

सुश्री कविता पाटीदार: सभापति महोदय, जैसा कि मैं कह रही थी कि आज दस करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का व्यापक अभियान भी हमारी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, महिलाओं के कौशल, कमाई और सम्मान को बढ़ाने में "नमो ड्रोन दीदी योजना" भी सहायक बन रही है। हाल ही में सरकार ने कृषि सखी कार्यक्रम की भी शुरुआत की है, जिसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप की 30,000 महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र देकर, उन्हें आधुनिक खेती की तकनीक से प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही, "सुकन्या समृद्धि योजना", मुफ्त राशन, गैस सिलेंडर, "पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना" से भी महिलाओं को बहुत अधिक लाभ पहुँच रहा है। इस हेतु मैं हमारी सरकार और माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ।

(उपसभापति महोदय पीठासीन हुए।)

माननीय उपसभापति महोदय, जय जवान, जय किसान के मंत्र पर काम करते हुए, नए कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। सरकार द्वारा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत, 3,20,000 करोड़ से भी ज्यादा राशि दी जा चुकी है। श्री अन्न को बढ़ावा देने के साथ ही, सरकार किसान उत्पादन संघ, एफपीओ और पैक्स जैसे सहकारी संगठनों का भी एक बड़ा नेटवर्क बना रही है। आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि व्यवस्था में भी बदलाव किया जा रहा है। आने वाला समय हरित युग का है। हमारी सरकार इसके लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। आज आईटी से लेकर टूरिज्म तक, हेल्थ से लेकर वेलनेस तक, हर सेक्टर में भारत लीडर बन रहा है। भारत में आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन रही है। दस वर्षों में देश के 21 शहरों तक मेट्रो सुविधाएं पहुंच रही हैं। वंदे मेट्रो जैसी कई योजनाओं पर आज काम चल रहा है। आज सरकार उन आधुनिक मानदंडों पर काम कर रही है, जिससे भारत विकसित देशों के सामने बराबरी से खड़ा हो सके। माननीय उपसभापति महोदय, योग और आयुष को बढ़ावा देकर भारत एक स्वस्थ विश्व के निर्माण में मदद कर रहा है। सरकार के प्रयासों से आज भारत विश्व बंधु के रूप में दुनिया को नया भरोसा दे रहा है। कोरोना का महासंकट हो, भूकंप जैसी कई त्रासदियाँ हों या फिर युद्ध की परिस्थितियाँ हों, भारत मानवता को बचाने में हमेशा आगे रहा है। गुलामी की निशानी को खत्म करते हुए, नई न्याय प्रणाली को सुनिश्चित करने का काम भी आज हमारी सरकार कर रही है। इतना ही नहीं, मैं उन पंक्तियों को याद करना चाहूँगी, जिनमें कहा गया है -

“पूत सपूत तो क्यों धन संचय,
पूत कपूत तो क्यों धन संचय।”

संचय ही करना है, तो हम हमारी संस्कृति का संचय करें, जो भावी पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम करेगी। इस भाव के साथ हमारी सरकार भविष्य निर्माण के प्रयासों के लिए भारतीय संस्कृति के वैभव और विरासत को फिर से स्थापित कर रही है। नालंदा यूनिवर्सिटी के भव्य कैम्पस के रूप में प्रेरणा देने का काम विरासत के माध्यम से सरकार कर रही है। मैं इस हेतु पुनः सरकार को बहुत धन्यवाद देती हूँ। महोदय, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का मानना था कि किसी समाज की प्रगति निचले तबके की प्रगति पर निर्भर करती है। इसे अपनाते हुए पिछले 10 वर्षों में राष्ट्र की उपलब्धियों और विकास का आधार भी गरीब का सशक्तिकरण ही रहा है। कोरोना के कठिन समय में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की अन्न योजना हो या स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने का काम हो, 55 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हो या 25 हजार जन औषधि केंद्रों को खोलने का काम हो, हमारी सरकार ने अक्षरशः बाबा साहेब अम्बेडकर के आदर्शों का पालन किया है। सरकार की योजना का ही परिणाम है कि 25 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, हर समाज और हर क्षेत्र के परिवार हैं।

महोदय, मुझे गर्व है कि संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म स्थली अम्बेडकर नगर, महू की मैं खुद निवासी हूँ। हम जानते हैं कि देश में भारत का संविधान बीते दशकों में हर चुनौती और हर कसौटी पर खरा उतरा है। जब संविधान बन रहा था तब भी दुनिया

में ऐसी ताकतें थीं, जो भारत के असफल होने की कामना कर रही थीं और संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। भ्रम फैलाने वाले उन सभी लोगों को मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि जब काला दिवस, आपातकाल 25 जून, 1975 को हुआ था, तब संविधान पर सीधे हमले का काला अध्याय लिखा गया था और पूरे देश में हाहाकार मच गया था। कई निर्दोष लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। जिन लोगों को जेल में बंद किया, उनके जीवन तो तबाह हुए ही, लेकिन उनके पीछे कई परिवार भी तबाह हो गए। कई घरों के कमाने वाले जेल में बंद थे। कई घरों से एक-एक नहीं, बल्कि दो-दो, तीन-तीन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। इस पीड़ा और दंश को कई परिवारों ने झेला, उन परिवारों में से एक परिवार मेरा भी था, जिसने उस दंश और उस पीड़ा को झेला। आज भी जब आपातकाल के उन दिनों को याद करते हैं, तो पीड़ा से कराह उठते हैं। हम जानते हैं कि एक तरफ यह पीड़ा और दर्द देने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है, जो संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम नहीं बना रही है, बल्कि यह जन आधार का आधार बने, जन-कल्याण का आधार बने, इसलिए हमारी सरकार दिन रात अथक परिश्रम भी कर रही है।

महोदय, पिछले दशक में हमारी सरकार की कई प्रमुख उपलब्धियाँ रही हैं। मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहूँगी कि सरकार ने अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज सार्वजनिक सेवाएँ दूरदराज के कोनों तक भी पहुँची हैं और हम इस प्रगति के लिए प्रतिबद्ध भी हैं। हमारे दूरदर्शी नेतृत्व के साथ भारत खुद को एक वैश्विक गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए आज तैयार है। आने वाला दौर भारत का है और राष्ट्र हित में हमारे संकल्प की सिद्धि है। इस हेतु अटल जी की उन पंक्तियों को मैं याद करना चाहूँगी, जिसमें माननीय अटल जी ने कहा था कि यह भारत देश मात्र एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि जीता-जागता राष्ट्रपुरुष है। यह अभिनंदन की धरती है, यह वंदन की धरती है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी-नदी हमारे लिए गंगा समान है, यहाँ का कंकड़-कंकड़ हमारे लिए शंकर के समान है। हम जिएँगे तो इस भारत देश की खातिर और मरेंगे तो इस भारत देश की खातिर और जब मरेंगे, तो गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों से भी अगर कान लगा कर पूछेंगे, तो उसमें से एक ही आवाज आएगी - भारत माता की जय! इस भारत माता की जय के लिए ही और इस भारत को परम वैभव पर पहुँचाने के लिए विकसित भारत के संकल्प को साथ लेकर हमारी सरकार दिन-रात अथक परिश्रम कर रही है। हम जानते हैं पिछले 10 सालों का वह सफर, जिसमें पार्टी ने हर क्षेत्र, हरेक वर्ग की प्रगति को सुनिश्चित करने का काम किया है, पूरे देश की दिशा और दशा को परिवर्तित करने का काम किया है। माननीय राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में इसको संदर्भित किया है कि हमारा संकल्प इस देश को विकसित बनाने का है, परम वैभव पर पहुँचाने का है। इसलिए हम सबको मिल कर साझा प्रयास करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं सभी से यह निवेदन करना चाहती हूँ कि भारत के लिए जियें, भारत को विकसित बनाने के लिए जियें और सब मिल कर अगर प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही हमें उसमें सफलता मिलेगी।

मैं पुनः इस आशा के साथ एक बार फिर से माननीय राष्ट्रपति जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए इस धन्यवाद प्रस्ताव का पुनः समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(MR. CHAIRMAN *in the Chair.*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, the Motion that has been moved and seconded is:

That an Address be presented to the President in the following terms:

"That the Members of the Rajya Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which she has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on June 27, 2024."

There are 108 Amendments to the Motion which may be moved at this stage.

Amendments (Nos. 1 and 2) by Dr. Kanimozhi NVN Somu, Shri R. Girirajan and Shri M. Mohamed Abdulla. As the hon. Members are not present in the House, Amendments are not moved. Amendment (No. 3) by Dr. Kanimozhi NVN Somu and Shri R. Girirajan. As the hon. Members are not present in the House, Amendment is not moved. Amendment (No. 4) by Dr. Kanimozhi NVN Somu and Shri M. Shanmugam. As the hon. Members are not present in the House, Amendment is not moved. Amendment (No. 5) by Shri R. Girirajan and Shri M. Mohamed Abdulla. As the hon. Members are not present in the House, Amendment is not moved. Amendments (Nos. 6 to 10) by Dr. Kanimozhi NVN Somu. As the hon. Member is not present in the House, Amendments are not moved. Amendments (Nos. 11 to 17) by Shri Shaktisinh Gohil. As the hon. Member is not present in the House, Amendments are not moved. Amendments (Nos. 18 to 26) by Shri Ramji Lal Suman. As the hon. Member is not present in the House, Amendments are not moved. Amendments (Nos. 27 and 28) by Dr. Ashok Kumar Mittal. As the hon. Member is not present in the House, Amendments are not moved. Amendments (Nos. 29 to 31) by Shri A.A. Rahim. As the hon. Member is not present in the House, Amendments are not moved. Amendments (Nos. 32 and 33) by Shri Sandosh Kumar P. As the hon. Member is not present in the House, Amendments are not moved. Amendments (Nos. 34 to 41) by Shri Pramod Tiwari. As the hon. Member is not present in the House, Amendments are not moved. Amendments (Nos. 42 to 50) by Shri A.D. Singh. As the hon. Member is not present in the House, Amendments are not moved. Amendments (Nos. 51 to 57) by Dr. V. Sivadasan and Shri Elamaram Kareem. As the hon. Members are not present in the House, Amendments are not moved. Amendments (Nos. 58 to 62) by Shri R. Girirajan. As the hon. Member is not present in the House, Amendments are not moved. Amendments (Nos. 63 to 71) by Shri M. Shanmugam. As the hon. Member is not present in the House, Amendments are not moved. Amendments (Nos. 72 to 78) by Shri M. Mohamed Abdulla. As the hon. Member is not present in the House, Amendments are not moved. Amendments (Nos. 79 to 85) by Shri Tiruchi Siva. As

the hon. Member is not present in the House, Amendments are not moved. Amendments (Nos. 86 to 91) by Shri Manoj Kumar Jha. As the hon. Member is not present in the House, Amendments are not moved. Amendments (Nos. 92 to 97) by Shrimat Jebi Mather Hisham. As the hon. Member is not present in the House, Amendments are not moved. Amendments (Nos. 98 to 103) by Dr. John Brittas. As the hon. Member is not present in the House, Amendments are not moved. Amendments (Nos. 104 to 108) by Shri P. Wilson. As the hon. Member is not present in the House, Amendments are not moved.

Hon. Members, the Motion is now open for discussion.

The question was proposed.

MR. CHAIRMAN: I now call upon the Members whose names have been received for participation in the discussion. Shri Mallikarjun Kharge, hon. Leader of the Opposition; not present. Shri Golla Baburao.

SHRI GOLLA BABURAO (Andhra Pradesh): Thank you, Sir. I am a newly-elected Member from Andhra Pradesh. First of all, I want to introduce myself. My name is Golla Baburao. I have been sent to Rajya Sabha with the blessings of our former Chief Minister, Shri Jagan Mohan Reddy. In fact, I am the first *dalit* Member from Andhra Pradesh who has been sent to Rajya Sabha. I really feel very proud and on behalf of the entire *dalit samaj*, I thank our former Chief Minister, Shri Jagan Mohan Reddy. Before I respond to the President's Speech made on 27th June, I want to congratulate this House for the fact that Shrimati Droupadi Murmu is a tribal woman who has occupied the position of the President of India. I congratulate the BJP Government and the entire Indian voters for selecting Shrimati Droupadi Murmu as the President of our nation. At the same time, I want to congratulate the hon. Prime Minister for two to three important decisions he has taken in these ten years. He is now a great statesman of the country because he has enacted the Women's Reservation Bill in the Parliament and reserved 33 per cent of seats for women in the Lok Sabha and State Legislatures. In fact, Dr. B.R. Ambedkar demanded women equality in the Hindu Code Bill in 1950s, but because of certain problems, that Bill could not be passed. But that desire was fulfilled by Shri Modi and the BJP Government. So many achievements are there. There have been marvellous developments in all spheres of life in the country. He abolished Article 370 and made Kashmir a Union Territory. I am proud to say that I was a senior Government Officer in Andhra Pradesh for 25

years. I was a three-time MLA in Andhra Pradesh Assembly. Through all these things, I want to introduce myself to the august House.

Coming to the President's Address, hon. President has highlighted wonderful developments in all spheres of life in her Address. I want to mention the most important things. These are industrial sector, start-up sector, agriculture sector and social sector. All these sectors should be developed in *Viksit Bharat*. *Viksit Bharat* is the most important motto not only for the BJP Government but it is also a motto for the entire nation to develop all the sectors, namely social sector, economic sector, industrial sector and farming sector. My request to the BJP Government is this. Kindly take important measures for the social sector. I have read the Address given by the hon. President. Twenty-five crore poor people have been brought out of poverty. This is also a very important point to recall. My request to the BJP Government is that there are 60 per cent poor people living in India. Your *Viksit Bharat* will become a success only when you take measures for the social sector, for the development of the poor people.

There is not a single programme for the youth in the country. My request to the BJP Government is that you formulate schemes for the youth. On the one hand, you have to look for creation of jobs. On the other hand, the Government should come up with important self-employment schemes for the unemployed youth in almost all the States.

As far as farming sector is concerned, I am satisfied that under the PM Kisan Yojana, nearly Rs.3,20,000 crore have been spent for the farming sector. This is a very good achievement of the Modi ji's Government. There are four categories. You have the poor people, the youth, the farming sector and the women. Women have been neglected since time immemorial. Some new schemes should also be brought for the betterment of women in the entire country.

Now I want to highlight some important problems of our State in this august House. I want to bring this issue to the notice of the House. The State was divided on 2nd June, 2014. Just before dividing the State into two States, namely Telangana and Andhra Pradesh, the Lok Sabha and the Rajya Sabha agreed to give Special Category Status to Andhra Pradesh. That issue has not been resolved. Ten years have passed. I request the Government of India and the Government of Andhra Pradesh to rethink and sanction Special Category Status to Andhra Pradesh. In Andhra Pradesh, the newly-formed Government is of the NDA. And at the Centre also, the newly-formed Government is of the NDA. Our Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu *garu*, is now a partner in the Union NDA Government.

3.00 P.M.

What I request now is that the time has come for Chandrababu Naidu *Garu* to demand special status category for Andhra Pradesh with the support of Modiji. Otherwise, our State of Andhra Pradesh has almost become an orphan in all sectors. There are lakhs of unemployed youth who are not getting any jobs. There are no industries, no incentives, etc. Andhra Pradesh has been without any help from the Government of India. We don't have any funds; we don't have any funds to develop Andhra Pradesh with our own hands. That is why, I request the hon. Prime Minister to rethink with the Chief Minister of the State, Chandrababu Naidu *Garu*, and try to help Andhra Pradesh which is lagging behind in many sectors. That is why, this is the desire of five crore people in Andhra Pradesh. Now, five crore people will be satisfied once special status category is sanctioned. Otherwise, the same thing, which happened to previous Governments, will also happen to the present Governments. Once again, I request the Government of India not to give any packages; packages will not help in forming new industries or creation of employment or any other thing. What I request is for only special category status, which is the main demand of Andhra Pradesh people. I want to bring forth this small request before this House, Rajya Sabha and, through you, I request Modiji to rethink about the special category status.

The second issue in Andhra Pradesh is the Polavaram project. It is really the *jeevanaadi* in Andhra Pradesh, and not only in Andhra Pradesh, but in the entire South India. The Polavaram project is neglected because of one reason or the other. In fact, the Polavaram project is a national project. National project has to be constructed by the Government of India only. Unfortunately, the then Government in the State of Andhra Pradesh agreed for some sort of packages. That is why, they could not take up the Polavaram project and it is delayed for almost ten years. Now, the people are also demanding more funds for the construction and completion of the Polavaram project in Andhra Pradesh. That is why, I request the BJP Government to rethink and allot a minimum of Rs.25,000 crore to complete the Polavaram project. In the same way, the most important problem is privatization of the Vizag Steel Plant. It is *Andhrula hakku* and *Andhrula rightu*. Many people died before we got the steel plant in Vizag. You may not understand. Now, really, our entire steel or *ukku* factory is almost in doldrums. I request the BJP Government to sanction iron ore and iron ore mines to Vizag Steel Plant. I really wonder how other private steel industries are getting iron ore and iron ore mines. But why should iron ore not be given to Vizag Steel Plant? I want to question the Union Government. If you do not concede to these

two or three important demands, our Andhra Pradesh will lose many sectors. That is why, once again, I request the hon. Prime Minister and the Union Government to rethink about the pending issues in the State.

Lastly, there is an issue of a separate railway zone in Visakhapatnam. It is also neglected for ten years. Only papers say that railway zone is sanctioned but no railway zone is sanctioned physically so far in our State. That is why, I request hon. Prime Minister to reconsider these demands. Now, a new Government has emerged in Andhra Pradesh. Post poll violence is going on in Andhra Pradesh. Post poll violence should not be continued. Now, once they have emerged as the Government, they do not need any sort of violence. But I do not know how they are promoting violence in the State of Andhra Pradesh. That is why I would request the hon. Union Home Minister to involve in this matter and see that no violence takes place in Andhra Pradesh. I request hon. *Sabhapatiiji* to convey my feelings to the Union Government and do justice to Andhra Pradesh, at least, in future. Thank you very much.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I have got feedback from the hospital about Shrimati Phulo Devi Netam. She is recovering. Doctors have said so. According to doctors, she would be there for two to three hours for some tests. The officials of Rajya Sabha are also there. The Deputy Leader of the House has also sent a similar message to my office that, according to him, there is nothing to worry about.

Now, Shri Tiruchi Siva; not present. Shri Sanjay Singh; not present. Shri Debashish Samantaray; not present. Shri A.D. Singh; not present. Shri Bikash Ranjan Bhattacharyya; not present. Shri Birendra Prasad Baishya; not present. Shri Rakesh Sinha, eight minutes.

SHRI RAKESH SINHA (Nominated): Eight minutes!

MR. CHAIRMAN: Actually, it is '7.59' but I have been indulgent for that one second.

श्री राकेश सिन्हा: सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वास्तव में राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण जो कहा, वह निरंतरता में है। वर्ष 2014 में जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन की किरणें इस देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दिखाई पड़ रही हैं, चाहे वह समाज हो, संस्कृति हो या अर्थव्यवस्था हो, चाहे देश के भीतर हो या देश के बाहर हो, वह जो सूर्योदय वर्ष 2014 में हुआ उसकी किरणें सर्वत्र दिखाई पड़ रही हैं। जनतंत्र में जब हम मुद्दों के ऊपर तर्क और तथ्य के साथ बहस करते हैं, तो शायद जनता का प्रबोधन होता है और सदन इसलिए बना है। मुझे दुख है कि विपक्ष flexible morals के साथ चलता

है। यह लचीली नैतिकता क्या होती है, इसका उदाहरण आज भी है और कल का चुनाव भी था। जब इनकी सीट्स कहीं बढ़ती हैं और किसी राज्य में इनकी सरकार बनती है, तो ये ईवीएम की पूजा करने लगते हैं, जब ये अपने कारण से चुनाव हारते हैं, तब ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हैं, इसलिए मैं भारत के विपक्ष को कहता हूँ कि They are living with the flexible morals. जिस जनतंत्र में यह दोहरापन होता है, वह जनतंत्र कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है, जहां एक बड़ा तबका जनता को बरगलाने की कोशिश करता है। सभापति महोदय, मैंने जिन किरणों की चर्चा की, उनमें कुछ ऐसी बुनियादी चीजें होती हैं, जो पीढ़ियों को लाभ पहुंचाती हैं। मैं बड़ी बातों को छोड़कर जिन दो बातों की चर्चा करना चाहता हूँ, वह पानी और ऊर्जा है, जो आज पूरी दुनिया में बहस का मुद्दा है। मैं ये दो उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि देश की जनता को यह पता चलेगा कि माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपनी दृष्टि से किस प्रकार से देश के उन आयामों को परिवर्तित किया है। नारे लगाना आसान है, विरोध करना आसान होता है, लेकिन देश की बुनियाद को मजबूत करने के लिए दृष्टि चाहिए। साढ़े आठ साल में renewable energy के क्षेत्र में, non-conventional energy के क्षेत्र में सिर्फ साढ़े आठ साल में 396 परसेंट की उन्नति हुई है। पूरी दुनिया में भारत तीसरे स्थान पर पहुंचा है और पूरी दुनिया भारत के इस मॉडल से आश्चर्यचकित है। महोदय, मैंने 1872 से लेकर 1941 तक की सेंसस रिपोर्ट को पढ़ा। मैं देखता था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद में कमियां तो थी हीं, लेकिन उनकी कुछ अच्छाई भी थी। वे किसी भी समाज, राज्य में जाकर सूक्ष्म स्तर पर सर्वेक्षण करते थे और जो best talent होता था, उसका उपयोग करते थे। भारत में वॉटर बॉडीज का सर्वे कब हुआ था, कांग्रेस के लोगों को जवाब देना चाहिए, जो पांच दशकों तक इस देश में शासन करते रहे। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान 1921 में वॉटर बॉडीज का सर्वे हुआ, उसके बाद से लेकर पहली बार 2018-19 में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी दृष्टि से देश में वॉटर बॉडीज का सर्वे हुआ। प्रधान मंत्री जी ने पीढ़ियों के लिए पानी की आवश्यकता को समझा। जिस देश में 140 करोड़ की पॉप्यूलेशन हो और सिर्फ चार प्रतिशत पीने का स्वच्छ पानी हो, उस देश का प्रधान मंत्री, उस देश की सरकार यदि पीढ़ियों के लिए नहीं सोचती है, सिर्फ नारेबाजी से सत्ता चलती है, तो वह देश नहीं चल सकता है और उस सर्वे में क्या आया? हमारे पास 24 लाख, 24 हजार, 570 वॉटर बॉडीज हैं। आज उनको revive करने की लगातार कोशिश होती रही। मैं इन दो बातों के साथ एक तीसरी बात बताना चाहता हूँ। मैं प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को निष्पक्ष पक्षपाती कहता हूँ। यह निष्पक्ष पक्षपाती क्या होता है? जब आप गरीबों के लिए, उन गरीबों में न जाति देखते हैं, न धर्म देखते हैं, न संप्रदाय देखते हैं, न क्षेत्र देखते हैं, चाहे 80 करोड़ वे गरीब, जिन तक अनाज पहुंचता है, 11 करोड़ वे लोग, जिन तक टॉयलेट्स पहुंचे हैं, यह काम प्रधान मंत्री जी ने किया, इसलिए मैं उनको कहता हूँ कि दलितों के लिए, वंचितों के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए खड़ा होने वाला यह प्रधान मंत्री निष्पक्ष पक्षपाती है। वे पक्षपात करते हैं, तो गरीबों के लिए करते हैं, पक्षपात करते हैं, तो उन लोगों के लिए करते हैं, इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि इस देश की बुनियाद को बदलने के लिए संस्कृति से लेकर व्यवस्था तक उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाया।

सभापति महोदय, विपक्ष बार-बार संविधान का सवाल उठा रहा है। मेरे पास वक्त कम है और विपक्ष तो यहां नहीं है, लेकिन देश के लोगों को कुछ बातें जाननी चाहिए। संविधान की बात कहने का हक उन्हें होता है, जो संविधान की बुनियाद को मजबूत करते हैं। देश 1947 में आजाद

हुआ। 15 अगस्त, 1947 को देश आजाद हुआ और पांच महीने बाद क्या हुआ। 27 जनवरी, 1948 को संविधान सभा में एच.वी. कामथ जी ने एक सवाल उठाया। उस समय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेहरू जी का नाम सुनते ही विपक्ष संवेदनशील हो जाता है, लेकिन हम विपक्ष से पूछना चाहते हैं कि श्री बी.डी. त्रिपाठी जी, जो Civil Disobedience Movement में जेल गए, Quit India Movement में जेल गए, जो इंडियन नेशनल आर्मी में थे, जो Forward Bloc में थे, वे जब सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने के लिए जा रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जवाहरलाल नेहरू को न सुभाष चंद्र बोस पसंद थे, न उनकी जयंती पसंद थी और बी.डी. त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया गया। जो व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी हो, जो व्यक्ति भारत छोड़ो आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जेल गया हो, जो इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिन्द फौज में रहा हो, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली ऐसी गिरफ्तारी थी। महोदय, इसकी चर्चा मैंने दो साल पूर्व अपने भाषण में की थी। मजरूह सुल्तानपुरी और बलराज साहनी दोनों ही फिल्म जगत के बड़े नाम थे। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार के नहीं थे, वे तो वामपंथी विचार के थे। उनको क्यों गिरफ्तार किया गया था? मुंबई के मिल मजदूरों के बीच भाषण करते हुए मजरूह सुल्तानपुरी ने सिर्फ इतना ही कहा था कि कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू। ऐसा क्यों नहीं कहना चाहिए? भारत एक गणतंत्र था और भारत को कॉमनवेल्थ में घसीट कर लाने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया। जिस कॉमनवेल्थ का नेतृत्व एक राजा-रानी के द्वारा हो रहा था, हम गणतंत्र के होते हुए भी एक राजा-रानी के अंदर रह कर काम कर रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी को जेल भेज दिया गया और दो साल तक मजरूह सुल्तानपुरी जेल में रहे।

महोदय, मैं आपातकाल की एक घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। एक पत्रकार बी.एम. सिन्हा जेल गए थे। उस पत्रकार को जेल क्यों भेजा गया ? सरकार चाहती थी कि वह पत्रकारों के बीच जाकर, पत्रकारों की जासूसी करके सरकार को रिपोर्ट करें। बी.एम. सिन्हा ने अपनी निष्पक्ष भावना से, निर्दोष भावना से, अपनी उस निष्पक्षता से ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। बी.एम. सिन्हा की वृद्ध माँ की मौत हो गई, बी.एम. सिन्हा वृद्ध माँ के पार्थिव शरीर को देखना चाहते थे, बी.एम. सिन्हा अपनी माँ की अंत्येष्टि में शामिल होना चाहते थे, यह एक पुत्र की इच्छा थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने आपातकाल में बी.एम. सिन्हा, जो कि एक पत्रकार थे, उनको अपनी माँ की अंत्येष्टि में शामिल होने से मना कर दिया। उस आपातकाल में लगभग 60 हजार से अधिक लोगों को जेल में बंद किया गया, बंद होने वाले अधिकांश लोग हमारी विचारधारा से जुड़े हुए थे, भूमिगत आंदोलन करने वाले आज हमारे देश के प्रधान मंत्री हैं, कई ऐसे मंत्रीगण हैं, जो उस समय जेल में थे या भूमिगत आंदोलन चला रहे थे, उस वक्त धर्मवीर भारती ने एक छोटी-सी कविता लिखी थी। ये लोग कितने कमजोर हैं, बंदूक की नोक पर शासन करने वाले लोगों पर धर्मवीर भारती की कविता बहुत अच्छी थी। उस कविता में धर्मवीर भारती जी ने लिखा,

“खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का,
हुकुम शहर कोतवाल का,
हर खास और आम को आगाह किया जाता है,
कि खबरदार रहें और
अपने-अपने घर के किवाड़ों को कुंडी लगाकर बंद कर लें,

गिरा दें खिड़कियों के परदे और,
अपने बच्चों को सड़क पर न भेजें,
क्योंकि, एक 72 साल का बूढ़ा आदमी,
अपनी कांपती कमजोर आवाज में,
सड़कों पर "सच" बोलता हुआ निकल पड़ा है।"

धर्मवीर भारती ने उस आपातकाल में, उसे चुनौती दी जब संविधान को निरस्त करके, लोगों के मौलिक अधिकारों को समाप्त करके, कांग्रेस ने पूरे देश को जेलखाने में परवर्तित कर दिया था। ...**(समय की घंटी)** ... सभापति महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि संविधान की बात करते समय कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि संविधान सिर्फ कागज से नहीं चलता है। संविधान निर्माता और Father of the Indian Constitution डा. बाबा साहेब अम्बेडकर थे। जब बाबा साहेब अम्बेडकर दूसरी बार संविधान सभा में आ रहे थे, तो कांग्रेस ने उनका विरोध किया था। जिस बाबा साहेब अम्बेडकर का ये बार-बार नाम लेते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि flexible morals इनके पास है। उनका क्यों विरोध किया और वे कैसे आए ? हिंदू महासभा के जयकर जी ने संविधान सभा की अपनी सीट खाली की और जयकर जी द्वारा सीट खाली करने के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा में आए। वे एक बड़े lawyer थे, वे मुम्बई में थे, हिंदू महासभा के सदस्य थे। राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति ने बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान सभा में आने का अवसर दिया, अन्यथा बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान सभा में भूमिका निभाने का अवसर नहीं मिलता।

अंत में, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। इस देश को जायदाद की तरह ट्रीट करने वाले कौन लोग थे! सभापति महोदय, मैं बोलने के लिए दो मिनट का समय और लूंगा, क्योंकि इस सदन में मेरा यह अंतिम भाषण ही होगा। मेरा term समाप्त हो रहा है, इसलिए अगर आप मुझे बोलने के लिए दो मिनट का समय और दे दीजिए।

MR. CHAIRMAN: How do you know? How do you know that it is your last *bhashan*? आखिरी भाषण है, यह आप कैसे कह सकते हैं ?

श्री राकेश सिन्हा: देश में एक व्यवस्था होती है और parliamentary democracy में महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट के द्वारा होता है। मैं इमरजेंसी की चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, जो चर्चा पहले हो चुकी है, राष्ट्रपति जी ने जिसका उल्लेख किया है, आपने नरीमन जी की autobiography से उल्लेख किया है। मैं आज की परिस्थिति में विदेश नीति पर कोई आपत्ति न बढ़े, इसके लिए इतिहास की सिर्फ एक घटना बताना चाहता हूँ। हमारे माननीय विदेश मंत्री जी बैठे हुए हैं। बर्मा के राष्ट्राध्यक्ष यू नू भारत आए थे। हम उनको कुछ भी भेंट दे सकते हैं। कोई मेरे घर आएगा, तो मैं कुछ भी भेंट दे दूंगा, परंतु मेरे देश आएंगे और मुझे कोई महत्वपूर्ण भेंट देनी होगी, तो मुझे कैबिनेट से अनुमति लेनी पड़ेगी। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने उन प्रक्रियाओं को अपनाया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रक्रिया को अपनाया कि कबाओ वैली, जो 22,210 स्कवेयर किलोमीटर की है, उस कबाओ वैली को, मणिपुर की उस महत्वपूर्ण घाटी को यू नू को दे दिया। कहाँ थी

कैबिनेट, कहाँ थी पार्लियामेंट? संसद और मंत्रिपरिषद् को निरस्त करते हुए आप एक पूरी घाटी को एक देश को दे देते हैं!

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

श्री राकेश सिन्हा: मैं अंत में यह कहना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री जी ने जिस प्रक्रिया को अपनाया है, उसको देखना चाहिए। सभापति महोदय, मैं बस एक मिनट में समाप्त करता हूँ।

महोदय, decolonisation एक महत्वपूर्ण विषय है। हम 1947 में आजाद हुए थे - इस पर बड़ी चर्चा होगी और अभी decolonisation की एक लंबी प्रक्रिया चलेगी। मैं प्रधान मंत्री जी के लिए कहना चाहता हूँ कि he is the father of decolonisation of India. मैं यह इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि 1800 ऐसे कानूनों को समाप्त किया गया है। मैं उनमें से एक कानून का उदाहरण देता हूँ, जो Aircraft Act था। यह 1934 में बना था। इसमें पतंग उड़ाने के लिए अनुमति चाहिए थी। यदि आपने पतंग उड़ा दी, तो 10 लाख रुपये का जुर्माना और 2 साल कैद की सजा थी। यह 1934 का कानून है। ऐसे 1,800 कानूनों को समाप्त किया गया, लगभग 3,400 कानूनों को decriminalise किया गया और 39 लाख compliance को कम किया गया। इसलिए जो करता है, वही इतिहास बनाता है। जो सिर्फ सोचता है, सिर्फ नारे लगाता है, वह इतिहास के दुश्चक्र में, इतिहास के रथ के पहिए के नीचे दबकर रह जाता है। प्रधान मंत्री जी जो सोचते हैं, वह करते हैं और इसीलिए उन्होंने 2047 की बात कही, भविष्य की बात कही। जो पीढ़ियों के लिए सोचता है, वह स्टेट्समैन कहलाता है, राजनेता कहलाता है। जो वर्तमान में सिर्फ अपने लिए सोचता है, वह एक भोगी नेता के रूप में रहता है। प्रधान मंत्री जी ने एक रास्ता तय किया है। उस रास्ते पर हम सभी चलें, इसी आशा के साथ मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूँ कि flexible morals वाले संसदीय जनतंत्र का अनुकरण करें और पक्ष-विपक्ष में तर्क और तथ्य के आधार पर सदन को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Shri Pramod Tiwari; not present. He had made a request for Monday. Shri Jawhar Sircar; not present. Now, Shri Meda Raghunadha Reddy.

SHRI MEDA RAGHUNADHA REDDY (Andhra Pradesh): Thank you, Sir. Actually, I would like to make my speech on Monday.

MR. CHAIRMAN: You are requesting for Monday.

SHRI MEDA RAGHUNADHA REDDY: Sir, I am requesting to speak on Monday.

MR. CHAIRMAN: I will accommodate you.

SHRI MEDA RAGHUNADHA REDDY: Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Your colleague had made very forceful speech.

SHRI MEDA RAGHUNADHA REDDY: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: He has seen Administrative Service, Legislature and now, he is the Member of the Upper House.

SHRI MEDA RAGHUNADHA REDDY: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: Shri Sandeep Kumar Pathak; not present, Shri P. Wilson; not present, Shri Muzibulla Khan; not present, Shri Manoj Kumar Jha; not present, Dr. John Brittas; not present, Shrimati Mahua Maji; not present, Shri Brij Lal; not present, Shrimati Rajani Ashokrao Patil; not present, Shri Mohammed Nadimul Haque; not present. Now, Shri Yerram Venkata Subba Reddy.

SHRI YERRAM VENKATA SUBBA REDDY (Andhra Pradesh): Thank you, Sir. Sir, I would like to request to speak on Monday.

MR. CHAIRMAN: Monday! The next speaker is Dr. Kanimozhi NVN Somu, not present; Shri Raghav Chadha, not present; Shri Subhasish Khuntia, not present; Dr. V. Sivadasan, not present; Shri Binoy Viswam, not present; Shri Krishan Lal Panwar. Your time is 7.59 minutes; you can speak for eight minutes.

श्री कृष्ण लाल पंवार (हरियाणा): माननीय सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

जब पूरे देश में लोक सभा के चुनाव हुए, तब विपक्ष ने, विशेष तौर से काँग्रेस पार्टी ने पूरे देश को विशेष तौर से, एससी समाज को गुमराह किया कि संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा।

सभापति महोदय, मैं माननीय राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, जब हिन्दुस्तान की पहली कैबिनेट बनी, उसमें बाबा साहेब लॉ मिनिस्टर बने। जब उन्होंने अनुसूचित जाति समाज के लिए लोक सभा में आवाज उठाई, तो काँग्रेस पार्टी के लोगों ने उन्हें रोका। बाबा साहेब उस अनुसूचित जाति समाज के समर्थन में लोक सभा से इस्तीफा देकर बाहर आ गए थे। उन्होंने एलान किया था कि मैं पूरे देश में घूमकर, अलग से पार्टी बनाकर अनुसूचित जाति समाज की पैरवी करूँगा। 1951 और 1952 का वह इतिहास बताता है कि जब उन्होंने भंडारा लोक सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, तब काँग्रेस पार्टी के लोगों ने उन्हें हराने का काम किया। इतना ही नहीं, जब देश के प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोक सभा में जम्मू-कश्मीर में धारा 370 लगाई, तो बाबा साहेब ने फाइंडिंग दी थी कि इसे न लगाया जाए। इसके अलावा, काँग्रेस पार्टी के लोग आज बाबा साहेब का चित्र लगाकर वाहवाही

लूटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि किसी ने अगर बाबा साहेब का सबसे ज्यादा अपमान किया है, तो काँग्रेस पार्टी ने किया है। क्या उन्हें 1947 के बाद भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? काँग्रेस पार्टी के लोगों ने वह नहीं दिया। 1990 में गैर-काँग्रेस सरकार और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी एवं लालकृष्ण आडवाणी जी के प्रयासों से बाबा साहेब को भारत रत्न दिया गया। इतना ही नहीं, 14 अप्रैल को उनका जन्मदिवस होता है। क्या इसे राष्ट्रीय स्तर पर अवकाश घोषित नहीं होना चाहिए था? काँग्रेस पार्टी के लोगों ने यह नहीं किया। जब 2014 में हमारे देश के प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो बाबा साहेब के जन्मदिवस, 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश करने की घोषणा नरेन्द्र मोदी जी ने की। इतना ही नहीं, हम गणतंत्र दिवस को तो धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन कभी 26 जनवरी पर उनकी पालकी को बेड़े में शामिल नहीं किया गया। 2016 में नरेन्द्र मोदी जी ने ही सरकार द्वारा अनुमति देकर, उनको सम्मान देकर 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस को बाबा साहेब की पालकी को शामिल किया था। इतना ही नहीं वे 26 अलीपुर रोड, दिल्ली में रहते थे, वहां उनका निधन हो जाता है और इंदिरा गांधी जी देश की प्रधान मंत्री थीं, उस समय उनका यहां पर संस्कार भी नहीं करने दिया गया था। बॉम्बे जाकर उनका संस्कार किया गया था। नरेन्द्र मोदी जी ने उनके जन्म स्थान से लेकर, लंदन में शिक्षा, नागपुर में दीक्षा जैसे पांच तीर्थ स्थानों पर करोड़ों रुपये लगाए और आज वहां लाखों लोग तीर्थ स्थान समझकर जाते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने सदा अनुसूचित जाति का अपमान किया है। जैसे जम्मू-कश्मीर में धारा 370 थी, उसमें केवल हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति जाकर वहां पर सफाई कर्मचारी का काम कर सकता था, नौकरी नहीं कर सकता था, व्यापार नहीं कर सकता था, जमीन नहीं ले सकता था, रिश्ते-नाते नहीं बना सकता था। 1955-56 में एक बार वहां पर सफाई कर्मचारियों ने स्ट्राइक की। पंजाब के होशियारपुर, गुरुदासपुर से 272 परिवार सम्मानित सफाई कर्मचारी वहां ले जाए गए। वहां पर सफाई कर्मचारियों की संख्या और परिवार हजारों की संख्या में बढ़े, लेकिन कानून यह था कि सम्मानित वाल्मीकि समाज का कोई बेटा चाहे पीएचडी कर ले, लेकिन उसको सफाई कर्मचारी का काम करना पड़ेगा। मैं देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को और अमित शाह जी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने धारा-370 को हटाया और आज हमारे सम्मानित वाल्मीकि समाज के बच्चे उच्च पदों पर नौकरी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वहां पर विधान सभा की 70 सीटें हैं, जिनमें 9 सीट्स एसटी समाज को मिलीं, 7 सीट्स एससी समाज को मिलीं, तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे देश के सर्व एससी समाज का सम्मान किया है। कांग्रेस पार्टी ने सदा हमारा अपमान किया है और डा. भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है। इसलिए मैं पूरे देश के अनुसूचित जाति समाज, सर्व एससी समाज से अपील करता हूं कि जो अपमान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का कांग्रेस पार्टी ने किया है, हमें उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। इतना ही नहीं, विशेष तौर से हमारे गरीब समाज के घरों में जो हमारी माताएं, बहनें, सुबह-शाम शौच के लिए जाती थीं और सड़क के किनारे बैठती थीं, तो सड़क पर गुजरते हुए हम सबको भी शर्म आती थी। इस समस्या को हमारे नरेन्द्र मोदी जी ने महसूस किया और 11 करोड़ घरों में इज्जत घर के नाम से शौचालय बनाने का काम किया। पूरे देश में घर-घर में एलपीजी के कनेक्शन दिए। हमारी माताएं-बहनें जंगल से, खेतों से लकड़ी काटकर लाती थीं और चूल्हा जलाती थीं। उन सबको सुविधा देने का काम नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है। शुद्ध जल शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। पूरे देश में 11.7 करोड़ घरों में जल देने का काम भी

सरकार ने किया है। इसके अलावा आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ पूरे देश में गरीब आदमी को विशेष तौर पर मिला है। जो गरीब आदमी था, जो पैसे के अभाव की वजह से अपना इलाज नहीं करवा पाता था, उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो करोड़ों लोगों को बचाने का काम किया। इसी प्रकार से, जैसे संत गुरु रविदास महाराज जी ने कहा था -

*"ऐसा चाहूं राज मैं, जहां मिलै सबन को अन्न,
छोट-बड़ो सब सम बसें, रैदास रहै प्रसन्न।"*

जब कोरोना काल था, तो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने 80 करोड़ परिवारों में उन गरीब आदमियों को राशन देने का काम किया और 25 करोड़ परिवार, जो बीपीएल से बाहर आए, वे दोबारा से फिर बीपीएल में न आएँ, इसके लिए उनको आज तक लगातार सुविधा दी जा रही है। नरेन्द्र मोदी जी ने अगले 5 साल तक की गारंटी दी और उन परिवारों को आज अनाज दिया जा रहा है। आज की नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में हमारे पूरे देश में जो 70 वर्ष की आयु की महिलाएँ हैं, पुरुष हैं, उनको भी आयुष्मान भारत कार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा आज भारत की जनता ने हमारे नरेन्द्र मोदी जी की सरकार पर विश्वास करते हुए निर्णायक विश्वास जताया है। इसमें ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, इसके अलावा सुरक्षा-समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प पर विश्वास और 10 वर्षों में जो सेवा-सुशासन और मिशन चलाया गया, उस पर विश्वास शामिल है। इसके अलावा देश के प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में जो अर्थव्यवस्था है, ...**(समय की घंटी)**... सर, मैं अभी वाइंड-अप करता हूँ, उसमें अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों - मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और एग्रीकल्चर को महत्व दिया गया है। पीएलआई स्कीम, ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बढ़े हैं। हमारे प्रारंभिक सेक्टर के साथ-साथ सनराइज सेक्टर को भी मिशन मोड में दिया जा रहा है, चाहे वह सेमीकंडक्टर हो या सोलर एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हों, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन या बैटरीज हों, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर या फाइटर जेट्स हों। इसी प्रकार से सरकार सर्विस सेक्टर को मजबूत करने में जुटी हुई है। इस प्रकार से आज केन्द्र की जो सरकार है, वह पूरे देश में, चाहे हमारा किसान वर्ग है, हमारा व्यापारी वर्ग है या गरीब व्यक्ति है, सभी को सामने रख कर काम कर रही है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Now, Smt. Ranjeet Ranjan, not present. Smt. Sagarika Ghose, not present. Shri R. Girirajan, not present. Smt. Sulata Deo, not present. Shri Sanjay Raut, not present. Dr. Bhim Singh.

डा. भीम सिंह (बिहार): माननीय सभापति महोदय, मैं बिहार से आया हूँ, पहली बार आया हूँ और इस पहले सत्र में पहले ही दिन आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। वैसे मैं बिहार में दो बार विधान परिषद का सदस्य रहा हूँ और दो बार दो सरकारों में मंत्री

भी रहा हूँ, लेकिन इस सदन में पहली बार आया हूँ, तो कुछ गलतियाँ होंगी, कुछ भूलें होंगी, तो हम आपसे भी और सदन से भी क्षमा चाहेंगे।

माननीय सभापति महोदय, कल राष्ट्रपति महोदया ने दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में जो अभिभाषण किया है, अभी उस अभिभाषण के प्रति धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। माननीय सदस्य, डा. सुधांशु त्रिवेदी जी धन्यवाद का प्रस्ताव लाए और माननीय सदस्या, कविता जी ने उसका समर्थन किया है। अनेक वक्ताओं ने भी उसका समर्थन किया है और मैं भी अपना समर्थन व्यक्त करता हूँ। सभापति महोदय, अभी-अभी चुनाव हुए हैं और चुनाव के बीच में जो राजनैतिक वातावरण था, कुछ नेता और विपक्षी पार्टियाँ विशेष तौर पर दुष्प्रचार कर रही थीं। माननीया राष्ट्रपति महोदया ने जैसे दुष्प्रचार पर भी चिन्ता जाहिर की है। माननीया राष्ट्रपति महोदया ने सरकार की पीठ भी थपथपाई है और हमारे देश के समक्ष, जनतंत्र के समक्ष और संविधान के समक्ष जो चुनौतियाँ हैं और जो संकट अतीत काल में आए थे, उन पर भी उन्होंने चिन्ता जाहिर की है।

राष्ट्रपति महोदया ने जो अभिभाषण किया है, वह अभिभाषण शानदार है, वह अभिभाषण जानदार है, वह अभिभाषण वजनदार है। मैं ऐसे शानदार, जानदार और वजनदार अभिभाषण का तहे दिल से स्वागत और समर्थन करता हूँ।

(उपसभापति महोदय पीठासीन हुए।)

महोदय, नाटकीयता की बात में उदाहरण देकर कहना चाहूँगा कि अभी हाल के दिनों में फैशन हो गया था कि कुछ लोग संविधान को दिखाते हुए चलते थे। इस संविधान दिखाने वाले प्रकरण पर, जब मैं चुनाव प्रचार में था तो देहात की आम जनता भी कह रही थी - * जिन्होंने संविधान पर अनेकों बार खतरे उत्पन्न किये थे, ये लोग संविधान दिखाते चल रहे थे और यदा-कदा आजकल भी दिखाते चल रहे हैं। भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज़ है, भारत का संविधान, जो 395 अनुच्छेदों में व्यक्त है, उसकी जो आत्मा है, जो प्रिम्बल है, उस प्रिम्बल में भी, भूमिका में भी 4 शब्द सबसे महत्वपूर्ण हैं, जो उसकी आत्मा की भी आत्मा हैं - न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। आज सुबह भी उस तरफ के बेंच वाले लोग "जस्टिस-जस्टिस", "वी वांट जस्टिस" का नारा लगा रहे थे। इस "जस्टिस" को ही लिया जाए, इस ज्यूडिशियरी को ही लिया जाए, तो इस न्याय प्रणाली पर सबसे ज्यादा चोट अगर किसी ने पहुँचाई है, तो वह कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस की सरकारें हैं। 12 जून, 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्कालीन प्रधान मंत्री जी का इलेक्शन रद्द कर दिया। उन्हें गरिमापूर्ण ढंग से स्टेप डाउन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और 25 जून, 1975 को उन्होंने इमरजेंसी थोप दी। यह जनतंत्र पर हमला था, न्यायपालिका पर हमला था, न्यायपालिका की अवमानना थी। इमरजेंसी लगाने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो सबसे पहला काम किया, वह यह किया कि 38वाँ संशोधन लाया गया। उसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा जारी या राज्यपालों द्वारा जारी अध्यादेश की कोई भी न्यायालय स्कूटनी नहीं कर सकता। यह न्यायपालिका पर सीधा-सीधा हमला था और अभी ये

* Expunged as ordered by the Chair.

"जस्टिस-जस्टिस" और संविधान का नारा दे रहे हैं! इन्हें यह हक नहीं है कि ये ऐसा नारा लगाएँ। तत्पश्चात् 39th Amendment आया। 39वाँ संशोधन और भी अद्भुत था। उस संशोधन में कह दिया कि प्रधान मंत्री के निर्वाचन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह क्या था? क्या यह न्यायालय का सम्मान था? यह बिल्कुल ही न्यायालय की अवमानना थी। इसके तहत प्रधान मंत्री अकेले नहीं रहे, इसलिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और स्पीकर को भी उसमें जोड़ा गया। यह जो काँग्रेस पार्टी आज संविधान का हवाला देती है, उसने क्या किया? महोदय, देश में दो-दो ऐसे अवसर आए, जब पांच-पांच सीनियर जजों को अवक्रमित करते हुए भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, जबकि परंपरा यह है कि जो सीनियरमोस्ट जज होंगे, उनको सुप्रीम कोर्ट का प्रधान न्यायाधीश बनाया जाएगा। लेकिन यही काँग्रेस पार्टी और उसी काँग्रेस पार्टी के लोग, जिन्होंने संविधान पर इतना बड़ा हमला बोला, जुडिशियरी पर इतना बड़ा हमला बोला कि दो-दो बार पांच-पांच, छः-छः वरीय न्यायाधीशों की वरीयता को लाँघते हुए अपने चहेते को सुप्रीम कोर्ट का प्रधान न्यायाधीश बनाया। इतने से भी संतोष नहीं हुआ, बल्कि अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, वह और भी अद्भुत है। इसी इमरजेंसी के दौरान 42वाँ संविधान संशोधन लाया गया और इसके बारे में संविधान विशेषज्ञ कहते हैं कि यह जो 42वाँ संशोधन था, वह मिनि कंस्टिट्यूशन है। इसने संविधान की मूल धारणा को ही बदल दिया, संविधान के अनेक अनुच्छेदों में परिवर्तन कर दिया और अनेक नए अनुच्छेद जोड़ दिए गए। सबसे पहले क्या काम किया? इस 42वें संशोधन से ही प्रियेम्बल में तीन शब्द जोड़े गए, जिनमें से एक 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द भी है। यह पहले से नहीं है। 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द इसी 42वें संशोधन से संविधान में ऐड किया गया। काँग्रेस वालों से ही पूछा जाना चाहिए कि इस शब्द को जोड़ने की क्या आवश्यकता थी? क्या इंदिरा गाँधी यह मानती थीं या आज के काँग्रेसी यह कह सकते हैं कि इस 42वें संशोधन के पहले यानी 1975 के पहले देश धर्मनिरपेक्ष नहीं था? क्या कोई कह सकता है कि नेहरू जी के शासन में, शास्त्री जी के शासन काल में सरकार धर्मनिरपेक्ष नहीं थी या देश धर्मनिरपेक्ष नहीं था? यह अनावश्यक शब्द घुसेड़ा गया है और यह तुष्टीकरण के लिए किया गया है, कुछ लोगों को खुश करने के लिए किया गया है। हमारा देश सदैव धर्मनिरपेक्ष रहा है। हमारा देश एक प्राचीन देश है। हजारों साल की हमारी सभ्यता है और हमारे महापुरुषों ने कहा ही है :-

"आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः"

यानी कि सभी दिशाओं से, सभी तरफ से भद्र विचार हमारी ओर आएँ। महात्मा गाँधी जी भी कहा करते थे कि हमारे देश की खिड़कियाँ खुली रहें, लेकिन पैर जमीन में गड़ा रहे ताकि कोई भी झोंका आने से हमारा पैर न उखड़े, लेकिन नए-नए विचार आते रहें। हम तो सबों का सम्मान और सबों का आदर करते रहे हैं। पहले यहाँ जो यहूदी आए, उनका भी सम्मान हुआ, जो पारसी आए, उनका भी सम्मान हुआ, किसी का भी यहाँ पर अपमान नहीं हुआ। दुनिया के अनेक देशों में अत्याचार हुए, लेकिन यहाँ पर कहीं भी, कभी भी धर्म के आधार पर कोई वितंडावाद नहीं खड़ा हुआ। पर, यह जो 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द जोड़ा गया, यह बहुत ही निरर्थक है। यह केवल तुष्टीकरण के लिए किया गया है। इस 42वें संशोधन के माध्यम से लोक सभा के कार्यकाल को 6 साल बढ़ा दिया गया। तत्कालीन काँग्रेसियों को इतना डर था कि 5 साल के कार्यकाल को उन्होंने 6 साल

कर दिया। यह भी संशोधन में था। मैं विस्तार से आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूँ। यह चर्चा तो हो जाती है कि देश के संविधान पर हमला हुआ, 1975 में हमला हुआ, इमरजेंसी में हमला हुआ, लेकिन उस समय जो-जो चीजें हुई थीं, चूंकि उसके बहुत दिन बीत गए हैं, इसलिए मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ। इस संशोधन के जरिए कहा गया कि जो संविधान में संशोधन होता है, उसकी सुनवाई कोई भी हाई कोर्ट नहीं करेगा, जबकि उस पर हाई कोर्ट भी सुनवाई कर सकता है। यह व्यवस्था पहले भी थी और आज भी है, लेकिन हाईकोर्ट्स के अधिकारों को इंदिरा जी ने समाप्त कर दिया। किसी भी रिट को सुनने के लिए जो कांस्टीट्यूशन बेंच होती है, वह मिनिमम 5 सदस्यों से गठित होती है। 42वें संशोधन के माध्यम से यह कह दिया गया कि 5 सदस्यों की बेंच किसी भी कॉन्स्टीट्यूशनल मामले की सुनवाई नहीं करेगी। उसकी संख्या बढ़ा दी गई। यह भी कहा गया कि विभिन्न राज्यों में जो उच्च न्यायालय हैं, वे भारत सरकार के कानूनों की समीक्षा नहीं कर सकते हैं। यानी, पूरे के पूरे संविधान की जो मूल भावना थी, उसको बदलने का प्रयास किया गया। भारत की जनता धन्य है, धन्यवाद की पात्र है कि उसने इन चीजों को 1977 के चुनाव में उखाड़ फेंका और जब हमारी जनता पार्टी की सरकार आई, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे से ही विधि एवं न्याय मंत्री थे, जो 44वाँ संशोधन लाए और इन सारी गलतियों को दुरुस्त किया। इसलिए संविधान पर बोलने का इनका कोई हक नहीं बनता है। संविधान पर जब-जब हमले हुए हैं, इन्हीं के द्वारा हुए हैं।

इस चुनाव के दरमियान कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं के द्वारा एक और भी नारा दिया गया कि आरक्षण खतरे में है। यानी, "दूध के अगोरिया बिलाई!" बिहार में हम लोग एक कहावत कहते हैं कि "दूध के अगोरिया बिलाई!" मतलब, आप कैट को मिल्क की गार्डिंग करने के लिए दे दीजिए। यह कांग्रेस पार्टी आरक्षण की कब से समर्थक हो गई? हम पिछड़ा वर्ग से आते हैं, हम ओबीसी हैं। हमने चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में भी काम किया है और हमने सबसे अधिक हमारे श्रद्धा पुरुष, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जिनको इस सरकार ने ही भारत रत्न देने का काम किया, उनके नेतृत्व में काम किया है। ये लोग आरक्षण के लिए लड़ते रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। अंग्रेजों के जमाने में भी पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा विभाग में कुछ सुविधाएं थीं और 1951 में एक राज्यवार सूची बनी थी, जिसमें कुछ पिछड़ी जातियों को चिन्हित किया गया था। चूंकि यह 1951 की बात है, तो वह बहुत रफ था। तब उनको शिक्षा में कुछ सुविधाएं और छात्रवृत्ति वगैरह दी जाती थी। उस समय देश के कोने-कोने से यह मांग होती रही कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नहीं सुना। जब बहुत दबाव पड़ा तो 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया और 1955 में उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। आज कांग्रेस पार्टी के नेता, जो उस सदन में प्रतिपक्ष के नेता हैं, वे कहते हैं कि सेक्रेटरी रैंक में ओबीसी के लोग नहीं हैं। इसका जवाब तो उन्हीं को देना चाहिए कि जब काका कालेलकर की अनुशंसा थी कि क्लास-वन एंड क्लास-टू में ओबीसी का 33 परसेंट आरक्षण हो, क्लास-3 और क्लास-4 में 40 परसेंट आरक्षण हो, तो नेहरू जी ने आरक्षण क्यों नहीं लागू किया? उन्होंने 1962-63 में राज्य के मुख्यमंत्रियों को क्यों पत्र लिख कर मना कर दिया कि इस आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। आगे सुनिए, जब जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी का तत्कालीन रूप जनसंघ भी शामिल था, तब उस सरकार ने वर्ष 1978 में बी.पी. मंडल आयोग बनाया, वर्ष 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी।

महोदय, वर्ष 1980 से 1990 बीत गया और इस 10 साल के कालखंड में कांग्रेस की ही सरकारें अधिकतर रहीं, किंतु किसी भी सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को क्यों लागू नहीं किया? यदि मंडल आयोग की रिपोर्ट 1980 में लागू हो गई होती, तो आज कितने सचिव, प्रधान सचिव और कैबिनेट सचिव बनकर रिटायर हुए होते, लेकिन इन्होंने मंडल कमीशन को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। हम स्वर्गीय आदरणीय वी.पी. सिंह जी का धन्यवाद करते हैं, उस सरकार को तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन था। हमारे समर्थन से चल रही बी.पी. सिंह जी की सरकार ने ही मंडल कमीशन को लागू किया। जब मंडल कमीशन लागू हुआ, देश में पक्ष और प्रतिपक्ष में माहौल बना तो संसद में बहस हुई। आज की लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष के पिता और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष ने दो दिन तक लगातार मंडल कमीशन के खिलाफ भाषण किया। लाइब्रेरी में जाकर देखा जा सकता है, सितंबर का महीना था, वर्ष मुझे क्लियर नहीं है, वर्ष 1990 ही होगा, सितंबर 1990 में दो दिन तक स्वर्गीय राजीव गांधी जी मंडल कमीशन के विरोध में बोलते रहे और आज उनका बेटा संविधान लेकर कहता है कि संविधान खतरे में है, पिछड़ा वर्ग खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, तो यह सुनकर बहुत आश्चर्य होता है। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में देश को एक full-fledged और पहला प्रधान मंत्री ओबीसी वर्ग से देने का काम किया गया है। महोदय, मैं बिहार की बात करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के प्रति कितनी प्रतिबद्ध है कि हमारी पहली सरकार में दो-दो उप मुख्य मंत्री ओबीसी के थे, अभी भी एक ओबीसी का ही उप मुख्य मंत्री है, ओबीसी का ही प्रदेश अध्यक्ष है और अभी भारतीय जनता पार्टी को राज्य सभा में भेजने के लिए दो सीट मिलीं, तो एक में ओबीसी का, ओबीसी में भी ईबीसी, extremely backward class से हूँ और श्रीमती धर्मशीला गुप्ता, वे अगर यहां बैठी होंगी तो सुन रही होंगी, दोनों अति पिछड़ी जातियों को बीजेपी ने भेजा, यह सामाजिक न्याय है। वर्ष 2006 में जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार बनी, तो पंचायतों में आरक्षण हुआ, वह आरक्षण व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थन से लागू हुई।

श्री उपसभापति: माननीय भीम सिंह जी, आपका बोलने का समय समाप्त हो गया है, कृपया conclude कीजिए।

डा. भीम सिंह: महोदय, समय खत्म हो गया है, तो मैं भाषण भी खत्म करूंगा, लेकिन आज मेरी पहली स्पीच है, तो पूरा बोलने का मौका दिया जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have taken 21 minutes. ...*(Interruptions)*... Conclude, please.

डा. भीम सिंह: महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति: धन्यवाद, माननीय भीम सिंह जी। माननीय श्री राजीव शुक्ला। Not present. Shri Samirul Islam - not present. Shri K.R.N. Rajeshkumar - not present. Shrimati Mamata Mohanta - not present. Prof. Ram Gopal Yadav - not present. Dr. Anil Sukhdeorao Bonde.

4.00 P.M.

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, मैं माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। उपसभापति महोदय, कल आपका जन्मदिन है, उसके लिए मैं आपको एडवांस में बधाई देता हूँ।

श्री उपसभापति: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे: महोदय, राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण की शुरुआत में ही चुनाव आयोग की बड़ी प्रशंसा की है। जो भी हमारी सार्वभौमिक संस्थाएँ हैं, उनके पीछे मजबूती से खड़े रहना यह राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देखने को मिला है। यह चुनाव आयोग ऐसा बन गया था कि विपक्षी लोगों को उसके ऊपर टीके करना, उसकी आलोचना करना उनका धर्म बन गया था, लेकिन इतने बड़े देश में, इतने अच्छे से पूरे लोक सभा के चुनाव का संचालन करना और चुनाव का संचालन करने के बाद कहीं पर भी बड़ी हिंसा न होते हुए भी जम्मू-कश्मीर जैसे इलाके में 370 धारा निकालने के बाद सबसे ज्यादा वोट का परसेंटेज पाने का यशस्वी आयोजन चुनाव आयोग के द्वारा किया गया। रिजल्ट भी ऐसे आए कि जो...वह तो ईवीएम बेचारी बच गई, यानी ईवीएम की ज्यादा से ज्यादा आलोचना होती थी, तो ईवीएम रोने लगती थी कि मैं ईमानदार हूँ, मैं प्रामाणिक हूँ। यहां वोट के लिए जितने बटन दबाए जाते हैं, उतना ही मैं दिखाती हूँ, लेकिन जीत गए, तो लोकशाही की जीत, हार गए, तो ईवीएम के सिर पर ठीकरा फोड़ा जाता था। इस वक्त ईवीएम रहे, चुनाव आयोग रहे, चुनाव कंडक्ट करने वाले कर्मचारी रहे, तो माननीय राष्ट्रपति जी ने सभी लोगों को धन्यवाद दिया है। मैं सच में उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं विरोधी लोगों से यह बोलना चाहता हूँ कि जो भी संवैधानिक संस्थाएँ हैं, उनकी आलोचना करते हुए यह सोचें कि ये हमारे देश को चलाने वाले स्तंभ हैं। ये जन्मभर भ्रष्टाचार करेंगे और पकड़े गए, तो ईडी को गाली देंगे। ये जन्मभर गलत काम करेंगे, यदि उनका इन्वेस्टिगेशन हो गया, तो सीबीआई को गाली देंगे। इनका तो स्वभाव ऐसा बना हुआ है कि न्यायिक व्यवस्था के ऊपर भी उसकी आलोचना करने के लिए वे कहीं पीछे नहीं हटते हैं।

महोदय, इस चुनाव में अभी सभापति जी ने बड़ा दुख जताया और सच में वह दुख था कि लीडर ऑफ अपोजिशन वैल में आए और यह सभी लोगों ने देखा। यह पहली बार देखा कि लीडर ऑफ अपोजिशन वैल में आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो दुख प्रकट किया कि बाहर जाने के बाद जब वे मीडिया के सामने बोलते हैं, तो सभापति जी के मुंह से वे शब्द भी नहीं निकल रहे थे कि "That

was the untruth". * बोल रहे थे। यह कांग्रेस को *बोलने की आदत लग गई है। कांग्रेस को इतनी * बोलने की आदत लग गई है कि हमारी बहनों से इतना * बोला गया, इतना *बोला गया कि उन्होंने जो बताया, वह मैं आपको बताता हूँ। उन्हें * प्रलोभन देने की आदत इतनी लग गई है कि सभी जगह पर जहां कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े थे, वहां बहनों के पास जाकर वे बोलते थे कि एक फार्म भरिए। हमने फार्म छपवाए हैं और आप ये फार्म भरेंगे। चार तारीख को रिजल्ट लगेगा और पांच तारीख को आपके खाते में खटाखट, खटाखट 8,500 रुपये आएंगे। खटाखट-खटाखट रुपए आएंगे। अब ऐसा हो गया है कि 100 जगह से कांग्रेस के उम्मीदवार चुनकर आ गए। अब महिलाएं कांग्रेस के ऑफिस में जा रही हैं, अब महिलाएं सांसद के ऑफिस में जा रही हैं, वे उनको बोल रही हैं कि आपको चुनकर दिया, पांच तारीख भी आ गई, अब हमारे पैसे निकालो फटाफट-फटाफट-फटाफट। वे कह रही हैं कि अब हमारे पैसे निकालो फटाफट-फटाफट, लेकिन वहां से कांग्रेस वाले भाग रहे हैं।

सभापति जी, उन महिलाओं का दुख बहुत बड़ा है। उनको प्रलोभन दिया गया कि 8,500 रुपए उनके खाते में डाले जाएंगे, हमारा सांसद चुनकर दो। उन्होंने चुनकर दिया, मैं आपसे अपील करता हूँ, क्योंकि कांग्रेस वाले तो ऑफिस से भाग रहे हैं सटासट-सटासट-सटासट। लेकिन मेरा कहना यह है कि इनका इलेक्शन कैंसल करो फटाफट-फटाफट-फटाफट। यह बात सच है, क्योंकि जो प्रलोभन देने के बदले में वोट लेता है, तो यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। अब यह आचार संहिता का उल्लंघन है, तो इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मैं देश के सर्वोच्च सभागृह में खड़े होकर यह मांग कर रहा हूँ कि जहां-जहां पर प्रलोभन दिया है, वहां पर कार्रवाई हो। जो गरीब महिलाएं हैं, विशेषतः उनमें मुस्लिम महिलाएं ज्यादा हैं। इसमें 87 परसेंट वोटिंग मुस्लिम महिलाओं की हुई है। वे पूरी ताकत से लाइन में लगी थीं। उनको मालूम था कि हम कांग्रेस का सदस्य चुनकर देंगे, तो 8,500 रुपए हमारे खाते में आएंगे खटाखट-खटाखट-खटाखट। क्योंकि उनका नेता ही हर सभा में बोल रहा था।

[उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) पीठासीन हुए।]

वह हमारे यहां भी अमरावती में आया था। उन्होंने वहां से ही शुरुआत की थी कि तुम्हारे खाते में पैसे डालेंगे 8,500 रुपए खटाखट-खटाखट-खटाखट। अब मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है और मैं चुनाव आयोग से भी अपील करता हूँ कि यह जो प्रलोभन दिया गया है, इस प्रलोभन के ऊपर क्या किया जा सकता है, क्या उपाय किया जा सकता है, इस पर विचार किया जाए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कि पिछले 10 साल में, माननीय प्रधान मंत्री जी के कार्यकाल में हुई और वह इकोनॉमी को बूस्ट करने की है। मैं ग्रामीण इलाके से आता हूँ, मैं किसान का लड़का हूँ और ग्रामीण इलाके में रहता हूँ। मुझे याद है कि जब इंदिरा जी प्रधान मंत्री थीं, तब 'इंदिरा आवास योजना' चलाई गई थी। 'इंदिरा आवास योजना' में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को घर दिया जाता था, लेकिन ग्रामीण इलाकों का छोटा

* Expunged as ordered by the Chair.

किसान, मजदूर, जो अदर बैकवर्ड क्लासेज का था, जनरल का था, मुस्लिम का था, बौद्ध था, परंतु उनको घर भी नहीं मिलता था। 'प्रधान मंत्री आवास योजना' में चाहे कोई शहरी इलाकों में रहे या ग्रामीण इलाकों में रहे, साढ़े चार करोड़ घर बनाए गए और साढ़े चार करोड़ लोगों को पक्का मकान मिल गया। इससे लोगों का पूरा जीवन बदलता है, क्योंकि जो अपने कच्चे घरों में जीवन जीता है – बारिश के वक्त जब घर में पानी टपकता है, तो वह लड़का कैसे पढ़ाई करता होगा! बारिश के वक्त जब घर में पानी टपकता है, तो वह कैसे सोता होगा! आज किसी भी गांव में जाकर देखो, पहले ओबीसी के लोगों को दुख रहता था कि सभी को घर मिलते हैं, हमें नहीं मिलते, लेकिन आज चाहे ओबीसी रहे, एस.सी. रहे, एस.टी. रहे, उनको 'प्रधान मंत्री आवास योजना' के अंदर घर मिला है। जो भी लोग बचे थे, उनके लिए ग्राम पंचायत को न्योता भेजा गया कि आप एडिशनल लिस्ट दीजिए। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण कदम यह उठाया गया है कि जो बचे हुए तीन करोड़ कुटुम्ब हैं, फैमिलीज हैं, उनको भी उनके हक का घर मिलेगा। अच्छा, उनको घर तो मिला ही मिला, यूनिसेफ कहती है कि भारत में दस लाख बच्चे हर साल सिर्फ डायरिया की वजह से मरते थे। डायरिया इसलिए होता था, क्योंकि लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलता था। आज 'हर घर जल' के माध्यम से, 'प्रधान मंत्री जल मिशन' के माध्यम से हर घर तक शुद्ध पानी पहुंच रहा है। हमारी बहनों, माताओं को पानी लाने के लिए जो चार-पाँच किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, वह तो बच ही गया है, उसके साथ ही हमारे बच्चों को भी पीने के लिए अच्छी तरह से शुद्ध पानी मिल रहा है।

महोदय, बहुत सारी जगहों पर fluorosis की बीमारी थी। उस fluorosis से हमारे बच्चे, हमारी बहनें और हमारी पीढ़ी सिर्फ पानी की व्यवस्था करने के बाद बच रही है।

महोदय, 80 करोड़ लोगों को राशन मिला - वह बात तो पता ही है, लेकिन जो गरीबी रेखा से नीचे गए हैं, उनके लिए भी राशन कंटीन्यू करना, यानी वे दुबारा से गरीबी रेखा के नीचे न जाएं - यह एक महत्वपूर्ण पहल है और इसके लिए सरकार ने कदम उठाया है। राष्ट्रपति जी ने उसका उल्लेख भी किया है।

महोदय, इसके साथ ही जो सबसे बड़ी दिक्कत रहती है, वह यह है कि मोदी जी के आने से पहले, यानी 2014 से पहले बहुत सारे गाँव ऐसे थे जहाँ तक बिजली नहीं पहुंची थी, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में 100 per cent saturation, बिजली पहुंचाने का काम किया गया। बिजली तो आ गई, लेकिन बिल भी तो भरना है और बिल भरते वक्त राष्ट्र का, बिजली का उत्पादन भी बढ़ाना है, zero neutrality भी मेंटेन करनी है, green energy भी मेंटेन करनी है। हर घर के ऊपर सोलर पैनल लगाने और 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी देने के लिए अभी तक 1 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए हैं। आगे आने वाले समय में, हर गाँव में, जिन-जिनके घर बने हैं, यदि उनके घर के ऊपर सोलर पैनल लग गया है, तो उनका बिजली का बिल निल हो जाएगा।

महोदय, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत किसान को, किसानी, मजदूरी करने वाले व्यक्ति को, गाँव में रहने वाले गरीब को यह होती है कि उसे हर महीने बिजली का बिल भरने जाना पड़ता है। यदि बिल नहीं भरा तो उसकी बिजली कट जाती है, लेकिन ऐसा होने के बाद वह इस समस्या से बच सकेगा। मैं प्रधान मंत्री जी का इसलिए अभिनंदन करता हूँ क्योंकि सिर्फ मुफ्त ही नहीं, बल्कि मुफ्त के साथ-साथ बिजली का निर्माण भी खुद करो, खुद की बिजली निर्मित करो और खुद ही उसका व्यापार भी करो, इस पर बल दिया गया है।

सभापति महोदय, rural economy को boost up करने के लिए हमारे किसानों को 'पीएम किसान सम्मान निधि' की जो इंस्टालमेंट दी गई है, यानी प्रधान मंत्री जी ने शपथ लेने के बाद जो सबसे पहला काम किया होगा, वह किसानों के लिए किया होगा कि 20 हजार करोड़ रुपये की 17वीं किस्त 10 करोड़ किसानों के खाते में एक बटन दबाकर दे दी। महोदय, मैं इसके लिए खटाखट-खटाखट नहीं बोलने वाला हूँ। क्योंकि 17वीं किस्त है और एक बटन दबाने के बाद किसान के मोबाइल में फट से मैसेज आता है, you have received Rs. 2,000. यानी करोड़ों किसानों को एक साथ मैसेज आता है कि 2,000 रुपये मिल गए हैं। यह एक बार नहीं, बल्कि 17 बार हुआ है। प्रधान मंत्री जी ने 17वीं किस्त दी है।

महोदय, आज हम दाल इम्पोर्ट करते हैं, ऑयल सीड्स इम्पोर्ट करते हैं। हमारे कृषि मंत्री, शिवराज सिंह चौहान भी बहुत अच्छे हैं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में, जिसमें लिखा है कि हम दाल और ऑयल सीड्स में self-reliant हो जाएंगे, यानी, हमारा अपना ही उत्पाद उतना हो जाएगा कि इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की घोषणा भी इस अभिभाषण में की गई है, मैं उसका भी स्वागत करता हूँ।

महोदय, एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसानों के उत्पाद का जो खर्च है, वह खर्च कम करने के लिए क्या-क्या कोशिशें की जा सकती हैं - उसके लिए 2014 से जो प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे ड्रिप पर सब्सिडी रहे या बिजली पर सब्सिडी रहे, कृषि पम्प में सोलर की एप्लिकेशन रहे आदि-आदि के अलावा हमारा सबसे महत्वपूर्ण खर्च खाद पर होता है।

यूरिया और डीएपी के ऊपर सब्सिडी कायम रखने के बाद में जिस यूरिया का बोरा 300 रुपये से 2,200 रुपये तक जाने वाला था, उसके भाव वहीं के वहीं रहे, क्योंकि इतनी सब्सिडी कायम रखी गई। इसके अलावा, अभी हम प्रचार-प्रसार कर रहे हैं कि जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में है, उसे ज्यादा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मैं प्रधान मंत्री जी को किसानों की तरफ से सच में धन्यवाद देता हूँ कि श्री अन्न, यानी मिलेट्स को जो सम्मान मिला है, वह आज तक किसी गवर्नमेंट में नहीं मिला है। इसकी वजह से जो दूर का इलाका था, आदिवासियों का इलाका था या जहाँ सिंचन नहीं हो सकता था, कम पानी रहता था, scarcity of water है, वहाँ मिलेट्स, चाहे वह बाजरा हो, ज्वार हो, रागी हो, ये सब मिलेट्स, जिनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बड़ी मात्रा में हैं, एंटीऑक्सीडेंट बड़ी मात्रा में हैं, आयरन बड़ी मात्रा में है, विटामिन्स बड़ी मात्रा में हैं, वहाँ भी इन मिलेट्स का प्रोडक्शन करने के लिए किसान प्रोत्साहित हुए। आज पूरी दुनिया में, अगर आप फाइव स्टार होटल में भी चले जाएंगे, तो आपको ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी मिलती है और उसकी भी डिमांड अच्छे से बढ़ रही है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे विदर्भ में बड़ी संख्या में ज्वार होता है। ज्वार का उत्पादन अच्छा हुआ, लेकिन ज्वार के एमएसपी से मार्केट रेट बहुत कम था, इसलिए मैंने नए कृषि मंत्री जी से विनती की और उन्होंने छः लाख क्विंटल की शासकीय खरीदी करने की घोषणा की और उसकी भी मुद्दत 31 जुलाई तक बढ़ाई। सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रही है। मैं मिलेट्स को लेकर यह सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ।

एक महत्वपूर्ण बात गौ-आधारित प्राकृतिक खेती के संबंध में है। यह गौ-आधारित प्राकृतिक खेती सिर्फ किसानों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हम सब के लिए है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में डाले गए insecticides, ज्यादा मात्रा में डाले गए केमिकल फर्टिलाइजर्स डायबिटीज,

हाइपरटेंशन या कैंसर, इन सब बीमारियों का कारण है। हमें पता है कि पंजाब से दिल्ली में कैंसर ट्रेन आती है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर्स और insecticides का छिड़काव होता है। ऐसे में, गौ-आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया गया है। आज हमें यह तकलीफ हो रही है कि हमारी साँइल का कार्बन परसेंटेज बहुत कम हो रहा है। नॉर्मली वन परसेंट कार्बन रहना चाहिए, लेकिन हम 0.40 से कम आ रहे हैं। इसकी वजह से हमारी खेती बंजर बनती जा रही है। गौ-आधारित नैचुरल फार्मिंग के माध्यम से, जीवाणु की क्षमता ज्यादा बढ़ती है, जीवाणु का नंबर ज्यादा बढ़ता है, केंचुए ज्यादा पैदा होते हैं, साँइल ज्यादा फर्टाइल बनती है, साँइल ज्यादा पोर्स बनती है। जितनी भी बारिश होती है, साँइल के पोर्स होने के कारण उसका absorption अच्छी तरह से होता है। मूडीज की रिपोर्ट आई थी कि कुछ सालों के बाद, 2030 और 2050 के बीच हमारे यहाँ पर water scarcity होगी, तो water scarcity दूर करने के लिए जो जल संरक्षण करना है, उसके लिए भी गौ-आधारित प्राकृतिक खेती बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गौ-आधारित प्राकृतिक खेती के माध्यम से, वहाँ पर जिन जीवाणुओं का निर्माण होता है, वे catalyst की तरह एक्ट करते हैं, कार्बन बढ़ाते हैं, हवा में जो नाइट्रोजन होता है, उसे भी फिक्स करते हैं और इसकी वजह से यूरिया वगैरह डालने की उतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती है, तो खेती उत्पादन का खर्चा भी कम होता है। मैं प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में प्राकृतिक खेती का उल्लेख आया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। देश के सामने, किसानों के सामने यह बहुत बड़ी चिंता है कि उत्पाद खर्चा कैसे कम करें। उन्होंने इस उत्पाद खर्चे को कम करने का भी उल्लेख किया है और उसे भी अच्छे से प्रोत्साहन मिल रहा है। भारत की परंपरा है और आरोग्य की भी परंपरा है। भारत का आयुष, आयुर्वेद और योग तो जीवन का अंग होना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद और योग को गलती से धर्म से जोड़ा गया है कि यह हिंदू धर्म की देन है। यह सनातन की देन है, यह तो जीवन जीने की पद्धति है और इसलिए योग और आयुर्वेद पर तो पूरी दुनिया का हक है - 'सर्वे सन्तु निरामयाः' - उसके ऊपर एक देश का, एक जाति का, एक धर्म का अधिकार नहीं है। इसका प्रचार और प्रसार सभी देशों में करना इम्पोर्टेंट है। ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हैं, जिनके ऊपर एलोपैथी काम ही नहीं करती है। ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हैं, जो आयुर्वेद के माध्यम से अच्छी तरह से ठीक हो सकती हैं, योग के माध्यम से ठीक हो सकती हैं। जब पूरी दुनिया में झगड़े बढ़ रहे हैं, जब पूरी दुनिया में वॉर्स बढ़ रही हैं, जब पूरी दुनिया में अंतर्मन में भी झगड़े बढ़ रहे हैं, साइकेट्रिस्ट्स की संख्या बढ़ रही है, घर-घर में कलह हो रही है, मियां-बीवी में कलह हो रही है, बच्चे और बाप में कलह हो रही है, तो इसके लिए योग और आयुर्वेद दोनों ही चीजें इम्पोर्टेंट हैं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसका उल्लेख किया गया है। मैं इसका बहुत ही अभिनंदन करता हूँ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, महिलाओं की तरफ जिस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए था, पिछले सालों में उस दृष्टिकोण से महिलाओं की तरफ नहीं देखा गया, लेकिन सनातन में कहा गया है -

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः"

तो भगवान भी वहीं रहते हैं, जहां नारी की पूजा होती है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमारी महिलाओं का, हमारी भगिनियों का, हमारी बहनों का, हमारी माताओं के सक्षमीकरण करने का

एक भी मौका नहीं छोड़ा। सभी ने इस सभागृह में देखा है कि नारी शक्ति वंदन विधेयक, जिसमें महिलाओं को रिप्रेंजेंटेशन मिलेगा, वह पारित हुआ। हमारी ग्रामीण इलाकों की महिलाएं, जिनके Self-Help Groups होते हैं, वे महिलाएं जब खेती करती हैं, खेत में काम करती हैं, उनमें 30 हजार कृषि सखी प्रशिक्षित हुई हैं। 30 हजार कृषि सखी किसानों को गाइड करती हैं कि अपना खर्चा कैसे लिखना चाहिए, कौन सी खाद देनी चाहिए और आपका गुप बना है, तो आप डायरेक्टली कंपनी से डील कर सकते हैं और आप कौन सा बीज ले सकते हैं, इसके बारे में गाइडेंस के लिए 30 हजार कृषि सखी की ट्रेनिंग एग्रीकल्चर पॉलिसी में दी गई है।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

डा. अनिल सुखदेवराव बांडे: जी, सर। नमो ड्रोन दीदी के माध्यम से आज हमारी बेटियां पायलट बन रही हैं। लखपति दीदी के माध्यम से हमारी दीदियां लखपति बन रही हैं। जब ग्रामीण एरिया सुखी रहेगा, किसान सुखी रहेगा, तो पूरी दुनिया सुखी रह सकती है। कांग्रेस के जमाने में ग्रामीण इलाकों की negligence की वजह से shift of the population from rural areas to the urban areas हो गया। जो ग्रामीण इलाकों में अच्छी तरह से रह रहा था, खुली हवा में जी रहा था, उसको शहर की गंदी नाली के पास झुग्गी-झोंपड़ी में रहना पड़ रहा है। यह जो demographic shift हो गयी है, इस demographic shift को रोकना जरूरी है। इसलिए रूरल एरिया में सभी चीजें उतनी हों जितनी अर्बन एरियाज में हैं, यानी अगर 5जी नेट हो, तो वह ग्रामीण क्षेत्र में भी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र का लड़का भी वहीं से ही work from home करने की कैपेसिटी रखता है। अगर वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वहीं से ही प्रोग्राम भेज सकता है। किसान के लिए जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन्स हैं, जो भी climatic change है, उसे वह भी पता चलना चाहिए। वहां एजुकेशन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। मैं यह खुशी से बताना चाहता हूँ कि मोदी जी की सरकार में गांव-गांव तक रास्ते भी अच्छे बने हैं। वह प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हो या जहाँ-जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हो, इससे एप्रोच ईजी हो गयी है। इसकी वजह से आरोग्य की सुविधाएँ भी अच्छी बनीं। आज लोग चाहते हैं कि मैं 25 किलोमीटर दूर के गाँव से हूँ, तो मैं वहीं रहूँ, वहीं खेती करूँ, कम खर्च में मेरा गुजारा हो सकता है और मैं अच्छे एटमोस्फेयर में रह सकता हूँ। यह जो डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रही थी, उस स्थानांतरण को रोकने के लिए भी ग्रामीण एरिया को सशक्त बनाने के प्रावधान के बारे में इस अभिभाषण में जिक्र किया गया है, मैं उसकी भी सराहना करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तुकडोजी महाराज, जिनको राष्ट्र संत कहा जाता था, वे कहते थे कि

*"तन-मन-धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा,
सभी धर्मों अरु पंथ-पक्ष को दिल से रहे पियारा,
विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा।"*

इस अभिभाषण में मिलिट्री से लेकर, डिफेंस, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल अफेयर्स तक विकसित भारत कैसा नजर आएगा, उसका पूरा चित्र दिया गया है। अनफॉर्चुनेट पार्ट ऐसा है कि ऑपोज़िशन है, तो विकसित भारत में ऑपोज़िशन का भी कंट्रिब्यूशन मिलना चाहिए। इसमें तो एनईईटी का भी उल्लेख है। इसमें एनईईटी के बारे में डायरेक्टली नहीं, लेकिन युवाओं का जो एग्जाम होता है, उसके ऊपर भी राष्ट्रपति जी ने चिंता व्यक्त की है। यानी उन्होंने कोई पार्ट अनछुआ नहीं रखा। इसलिए मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का अभिनंदन करता हूँ, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिन्द, जय भारत!

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): अगर आप और भी कुछ कहना चाहें, तो अपनी पूरी बात कहें। आप अपनी बात पूरी करिए।

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे : उपसभाध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे यहाँ इंडियन पीनल कोड था, यानी जो भी अपराध करेगा, उसको दंड दिया जाएगा। इसके लिए दंड संहिता थी। लोगों को दंड मिलता था, लेकिन न्याय नहीं मिलता था। ठीक है, उस वक्त अंग्रेजों ने सोचा कि भारत के लोग दंड के काबिल हैं, न्याय के काबिल नहीं हैं। इतने सालों तक हम न्याय की प्रतीक्षा में रहे और पिछले ही सेशन में हमें बहुत अच्छा मौका मिला कि आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता को पारित किया गया।

(सभापति महोदय पीठासीन हुए।)

एक अच्छी बात हुई कि 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता अमल में आ जाएगी। सर, मैं सम-अप करना चाहता हूँ। यह इतनी अच्छी बात है कि भारतीय न्याय संहिता के माध्यम से जो गुलामी हमारे ऊपर दंड के द्वारा लादी गई थी, वह गुलामी हमने बाजू में कर दी। इसलिए मैं राष्ट्रपति जी के इस सर्वांगपूर्ण, सर्वपूर्ण अभिभाषण का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिन्द, जय भारत!

MR. CHAIRMAN: Dr. Syed Naseer Hussain; not present. Shri Prakash Chik Baraik; not present. It was his maiden speech. Not availing even the maiden speech! Shri Niranjan Bishi; not present. Shri Ramji Lal Suman; again a case of maiden speech, not present. Shri Ram Chander Jangra.

श्री रामचंद्र जांगड़ा (हरियाणा): मान्यवर, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया है।

माननीया राष्ट्रपति जी ने आखिर में जो बात कही कि "समानो मंत्रः समितिः समानी", हम एक समान विचार और लक्ष्य को साथ लेकर काम करें। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर 21 घंटे की चर्चा का समय निर्धारित किया गया, विपक्ष के माननीय साथियों को इस चर्चा में भाग लेना चाहिए था, बजाय अनावश्यक व्यवधान पैदा करने के, एक स्वस्थ चर्चा में भाग लेकर ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: रामचंद्र जी, आप चर्चा कीजिए।

श्री रामचंद्र जांगड़ा: मान्यवर, मैं उनको इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि हमें अब ज्यादा समय मिल जाएगा। आपने मुझे इस चर्चा में बोलने का मौका दिया है।

हमारे देश की जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है, माननीया राष्ट्रपति महोदया ने चुनाव की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। 140 करोड़ देशवासियों का यह जो देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या में मतदाताओं द्वारा मतदान करके एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्परा के माध्यम से 18वीं लोक सभा का गठन हुआ है। पूरी दुनिया ने हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सराहा है। बिना किसी हिंसा के, बिना किसी अप्रिय घटना के चुनाव को अंजाम दिया गया और देश में स्वस्थ लोकतंत्र के माध्यम से एक स्वस्थ सरकार का गठन हुआ है। इतिहास में 62 साल के बाद माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने लगातार तीसरी बार प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली। हमारे लिए यह गौरव का विषय है कि एक गरीब घर से उठकर, एक साधारण परिवार से उठकर वे तीसरी बार इतने बड़े लोकतंत्र के मुखिया चुने गए और दुनिया के अन्दर भारत का नाम रौशन किया। आज पूरी दुनिया भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली की सराहना तो करती ही है, भारत के नेतृत्व की भी पूरी दुनिया सराहना करती है।

मान्यवर, इस अनुकूल समय में हम सब लोगों को इस देश की जो संकल्प शक्ति है, माननीय प्रधान मंत्री जी ने संकल्प लिया है कि हम 2014 के बाद से देश को 11वीं अर्थव्यवस्था से ऊपर उठाकर जो 5वें स्थान पर लेकर आए हैं, उसे 2026 तक हम तीसरे स्थान पर ले आएँगे। उनका यह भी संकल्प है कि जब हमारी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब 2047 के अन्दर हमारा यह देश दुनिया का सिरमौर होगा और विश्व के अन्दर हम सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाएँगे। हम जनता के प्रतिनिधि हैं। हम सबको चाहिए कि उस संकल्प को पूरा करने के लिए स्वस्थ लोकतंत्र के माध्यम से - अगर उनको लगता हो कि नीतियों में कहीं कोई गलती है, तो एक स्वस्थ लोकतंत्र के अन्दर उसकी आलोचना करने की परम्परा है, वह करनी चाहिए, लेकिन अनावश्यक व्यवधान पैदा करके या जनता को ऐसी बातों से गुमराह करके अगर कोई लोकतांत्रिक प्रणाली में वोट लेने की कोशिश करता है, तो वह एक स्वस्थ लोकतंत्र की परम्परा नहीं है।

मान्यवर, अभिभाषण के अन्दर जिक्र भी किया गया है कि जिस समय चुनाव चल रहा था, बहुत सी अफवाहें देश के मतदाताओं के सामने फैलाई गईं कि अगर मोदी जी तीसरी बार आए, तो देश के संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। अलग-अलग किस्म की ऐसी भ्रांतियाँ फैलाई गईं। लेकिन अफसोस की बात है कि वे लोग संविधान की बात करते हैं, जिन्होंने संविधान की भावनाओं को कुचला है। हमारे सामने शाहबानो का केस है। मोदी जी ने 'नारी शक्ति वंदन' की बात की है और नारी को सशक्त बनाने के लिए प्रयास किए हैं, लेकिन वे लोग उन दिनों को क्यों भूल जाते हैं, जब संविधान से ऊपर शरियत को अधिमान दिया गया था और शरियत के कानून के लिए संविधान की भावनाओं को कुचलते हुए एक नारी शक्ति का अपमान किया गया था, उसके अधिकारों का हनन किया गया था। वे लोग संविधान की बात करते हैं, तो हमें बड़ा अफसोस होता है।

मान्यवर, माननीया राष्ट्रपति महोदया ने इस बात का जिक्र किया है कि हमारे देश की प्रतिष्ठा अब कितनी बढ़ रही है। भारत को देखने का विश्व का नज़रिया बदला है। इटली के अन्दर जी-7 की जो बैठक हुई, जो समिट हुआ, उसमें पूरी दुनिया ने भारत का गौरव देखा है, पूरी दुनिया ने भारत की प्रतिष्ठा को देखा है। इसी तरह से जब हमारे भारत देश ने जी20 की अध्यक्षता की, तो उस समय भी पूरी दुनिया ने भारत की शक्ति को देखा है, भारत की ताकत को देखा है, प्रधान मंत्री जी के रुतबे को देखा है।

मान्यवर, ये संविधान की चर्चा कर रहे थे, लेकिन संविधान तो अब लागू हुआ है। इस देश के इतने बड़े भू-भाग यानी जम्मू-कश्मीर में संविधान लागू नहीं था। हमारे माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने संविधान के लिए बलिदान दिया, उनका यह कहना था कि एक ही देश में 'दो विधान, दो प्रधान, दो निशान' नहीं चलेंगे। उनकी आत्मा तो आज खुश होगी और वे देख रहे होंगे कि संविधान की मूल धारणा को तो देश में अब लागू किया गया है। भारत का वह क्षेत्र, जिसको दुनिया की जन्नत कहा जाता है, वह एक किस्म से नरक का स्थान बन गया था। वहाँ कोई भी आदमी स्वतंत्रता से जा नहीं सकता था, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त नहीं कर सकता था। देश के इस क्षेत्र में, यानी जम्मू-कश्मीर में खतरे का ऐसा एक वातावरण पैदा कर दिया गया था कि हम तो अपनी पहचान बताने से ही थोड़ा-सा घबराते थे। मैंने पिछले सत्र में इसके बारे में जिक्र किया था। मैं उन दिनों में श्रीनगर चला गया था। मैं धोती-कुर्ता पहनता हूँ, तो मेरे ही एक मिलिट्री के साथी ने कहा कि आप यह धोती-कुर्ता बदल लीजिए, क्योंकि इसमें आप लीडर लगते हो, पता नहीं कहाँ से पत्थर आ जाएगा, कहाँ से बुलेट आ जाएगी, इसलिए आप साधारण कुर्ता-पैजामा पहन लीजिए। वहाँ पर हमें अपनी पहचान भी छिपानी पड़ती थी और आज वहाँ पर तिरंगा फहराया जाता है, महिलाएँ स्वतंत्रता से घूमती हैं। जम्मू-कश्मीर के अंदर रिकॉर्ड टूरिज़्म का विकास हुआ है। पिछली गर्मी में वहाँ 3 करोड़ टूरिस्ट्स गए थे, इस गर्मी का तो रिकॉर्ड अभी नहीं आया है। वहाँ पर लोगों ने अपने घरों में एक कमरा रख कर बाकी को गेस्ट हाउस के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिससे आज उनकी जेबें नोटों से भरी हुई हैं। वहाँ पर इतना बड़ा विकास हुआ है।

MR. CHAIRMAN: Thank you.

श्री रामचंद्र जांगड़ा : सर, अभी मेरा समय बाकी है।

MR. CHAIRMAN: You have three more minutes; round up.

श्री रामचंद्र जांगड़ा: सर, अभी तो गरम भी नहीं हुए थे, मैं हरियाणा का आदमी हूँ।

श्री सभापति: कोई बात नहीं है। मैं यही तो कहता हूँ कि गरम मत होइए। मेरा तो सभी से यही अनुरोध रहता है कि संयम से, सीमित तरीके से अपनी पूरी बात कहिए।

श्री रामचंद्र जांगड़ा: धन्यवाद, मान्यवर। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया कि देश का गौरव बढ़ा है। इस संदर्भ में मैं यह देख रहा हूँ कि नालन्दा विश्वविद्यालय, जो

कभी दुनिया में ज्ञान का एक केन्द्र हुआ करता था। बख्तियार खिलजी के समय में उसको जला दिया गया था। भारत की ज्ञान की जो संपदा थी, उसको स्वाहा कर दिया गया था। कितने दिनों तक उसका पुनरुद्धार नहीं हुआ और आज हमें खुशी है और पूरा देश देख रहा है कि नालन्दा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार हुआ। अब पूरी दुनिया वहाँ पर ज्ञान ग्रहण करने के लिए फिर दोबारा आएगी।

मान्यवर, भाषण में पूर्वोत्तर के विकास की चर्चा की गई है। मैं राजभाषा समिति का कन्वीनर होने के नाते पूर्वोत्तर में गया था। मैं नाथुला पास पर भी गया और तवांग में भी गया। मैं राजभाषा समिति का कन्वीनर होने के नाते अपनी समिति के सदस्यों को लेकर पूरे पूर्वोत्तर में गया था। पूर्वोत्तर के जो लोग हैं, वे कहते हैं कि हमने पहली बार विकास की बयार मोदी जी के राज में देखी है। पहले एक पैसा यहाँ पर नहीं आता था, पता नहीं बीच में कहाँ पर चला जाता था और पूर्वोत्तर के अंदर कोई विकास नहीं होता था।

मान्यवर, पिछले दिनों जब चुनाव चल रहा था, तो आरक्षण को खत्म करने की बात आई। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी मेरे साथी, डा. भीम सिंह जी, जो बिहार से पहली बार आए हैं, इन्होंने भी चर्चा की। मंडल कमीशन की रिपोर्ट का क्या हश्र हुआ?

श्री सभापति: इन्होंने सशक्त चर्चा की, विस्तार से अपनी बात कही।

श्री रामचंद्र जांगड़ा: सर, जो आरक्षण की बात करते हैं, मैं उनके जवाब में यह बात कह रहा हूँ। वे लोग कहते हैं कि मोदी जी आए, तो आरक्षण को खत्म कर देंगे। लेकिन आरक्षण को सुरक्षित किसने किया है? पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किसने दिया है? यह सब तो इतिहास की पुस्तकों में दर्ज है, सारी की सारी प्रणाली में दर्ज है। जब काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट आई, तो नेहरू जी ने उसको दबा दिया। 1978 में जनता पार्टी की सरकार में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई। 1980 में जब तक रिपोर्ट आई, तब तक इंदिरा जी इस देश की प्रधान मंत्री बन चुकी थीं। फिर काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट के साथ उनके पिता जी ने जो किया, उन्होंने वही मंडल कमीशन की रिपोर्ट के साथ किया। मैं गर्व के साथ यह कह सकता हूँ कि मैं इस आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ, मैं पिछड़े वर्गों से संबंध रखता हूँ। मैंने श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में बैठकर पिछड़े वर्गों की राजनीति की है, मैं संघर्ष में रहा हूँ और एक-एक चीज को देखता रहा हूँ। जब यहाँ मदन लाल खुराना जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मंत्री थे और 1990 में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, तो सबसे पहले मदन लाल खुराना जी ने ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दिल्ली में लागू किया था। मुझे इतिहास की यह बात याद है। आज भी अगर पिछड़े वर्गों को संवैधानिक रूप से आरक्षण का पूरा हक दिया जा रहा है, तो वह केवल भाजपा सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ है।

मान्यवर, मैं राजभाषा से जुड़ा हुआ हूँ और शिक्षा से भी जुड़ा हुआ हूँ। भारत का एक बहुत बड़ा कालखंड ऐसा गुजरा है - सर, मैं कनक्लूड कर दूँगा। मैकाले ने एक बात कही थी कि अगर किसी देश को समाप्त करना है, किसी देश को गुलाम बनाकर रखना है तो उससे उसकी भाषा छीन लो। अगर उससे उसकी भाषा छीन लो तो वह अपने साहित्य से कट जाएगा। अगर वह अपने साहित्य से कट जाएगा तो फिर वह अपनी संस्कृति से भी कट जाएगा। जब वह अपनी भाषा,

साहित्य और संस्कृति से कट जाएगा, तो फिर वह अपने देश की राष्ट्रियता से भी कट जाएगा। यह बखूबी कांग्रेस के समय में होता रहा है। बहुत लंबे समय तक मैकाले के षड्यंत्र के माध्यम से देश की शिक्षा प्रणाली चलती रही है। नयी शिक्षा नीति के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में ही यह फैसला हुआ है कि बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षा होगी, वह उसकी मातृभाषा में होगी, ताकि उसका सही विकास हो सके। मान्यवर, देश में अब भाषा और संस्कृति के माध्यम से एक समृद्धकाल की शुरुआत हुई है। पहले कोई संस्कृति मंत्रालय ही नहीं था। जब वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय संस्कृति मंत्रालय का गठन हुआ था। सर, वाजपेयी जी ने कहा था कि थोड़ा लम्बा बोल लेना।

श्री सभापति: आप मेरी बात मानिए।

श्री रामचंद्र जांगड़ा: सर, आप हमारे चेयरमैन हैं, हमें आपकी बात माननी ही पड़ेगी, हम और क्या करेंगे? सर, अब मैं क्या कहूँ, इस अभिभाषण के ऊपर चर्चा करते हुए बीच में मेरी लय ही टूट गई।

श्री सभापति: वह टूटी कहाँ है, मैंने तोड़ी है।

श्री रामचंद्र जांगड़ा: सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री सभापति: आपने कम समय में बहुत बातें कही हैं। आप अपने भाषण को पढ़ना, आपने कोई प्वाइंट नहीं छोड़ा है। Shri K.R. Suresh Reddy; not present, Shri Abdul Wahab; not present, Shri Ramji; not present. Now, Shri G. K. Vasana; you have four minutes to speak.

SHRI G. K. VASANA (Tamil Nadu): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the President of India's Address. Sir, the President of India's Address has given a very, very clear roadmap of the NDA Government under the able leadership of our hon. Prime Minister. Today, we are the fifth largest economy in the world. Soon, we are going to become the third largest economy in the world. I would like to remember the pandemic days in which the whole world thought what is going to happen to India with 140 crore people. Sir, I would like to mention here very proudly, as an Indian citizen, that it was because of the measures taken by the Central Government under the hon. Prime Minister that we were able to save India today. Even rich countries, developed countries have become poor and undeveloped today. Comparatively, 140 crore people in India today are very comfortable. In fact, even today, 80 crore people are given food under the *Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana*. Sir, I would like to tell about two messages in this august House. Firstly, I want to talk about one incident which is very painful for Members from Tamil Nadu

and also to the Members from other States also. Yesterday in Lok Sabha, a Member had mentioned negatively about the 'Sengol' which is very unfortunate. 'Sengol' means honesty, transparency, straightforwardness, justice and equality in the country. Sir, unity in diversity is our strength. We have various languages in our country. Hon. Prime Minister who has the spirit of developing the nation thought well before installing the 'Sengol'. Unfortunately, Members from the Opposition are letting down our Indian culture, letting down the people of our country.

I would like to ask especially from the DMK Members from Tamil Nadu what is their answer to the people of the country after doing this. Our Prime Minister loves Tamil language, the Tirukkural and he has given an impetus to the 'Sengol' which is from the Chola King in Tamil Nadu.

Sir, to conclude, I would like to tell you about the great pain that we have. I would like to talk about the worst incident of Tamil Nadu, the consumption of spurious liquor that has left about sixty dead and more than a hundred hospitalised. This man-made disaster that has led to tragic loss of innocent lives could have been averted, if the State Government had taken timely action against the liquor mafias.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRI G.K. VASAN: Sir, the village in which this incident happened is largely populated by the Scheduled Castes. Many victims are Scheduled Castes. Sir, through this House, I would request a fair and free probe to ensure that the person behind this criminal and illicit activity faces the full brunt of the law and there should be complete stoppage of these activities in the State.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRI G.K. VASAN: To conclude, Sir, our Prime Minister, in his tenure of ten years, has given confidence to the people of India that India will be powerful and prosperous in the future years to come. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: The next speaker is Shri Ajit Kumar Bhuyan, not present; Shri Sandosh Kumar P, not present; Dr. Fauzia Khan, not present; Dr. M. Thambidurai, not present; Shri Milind Murli Deora.

श्री मिलिंद मुरली देवड़ा (महाराष्ट्र): सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के समर्थन में बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

Sir, I am very fortunate that my maiden speech in this august House is in response to the hon. President's very articulate outlining of the Government's plans ahead for the next five years which also highlights the Government's achievements over the last ten years. Sir, I am also extremely fortunate to have your esteemed presence in the Chair during my maiden speech for which I wish to thank you.

सर, अपना भाषण शुरू करने से पहले, if you permit, मैं अपने स्वर्गीय पिता, मुरली देवड़ा जी को याद करना चाहूंगा, जिनका जब निधन हुआ, at that time, he was a Member of this august House. And he always taught me to stand up for myself and to keep loyalty for the country before loyalty for the party. Sir, I am sure, today, he is with me to guide me on this new journey and to bless me. In many ways, life has come full circle because in 1977, about 47 years ago, late Shri Balasaheb Thackeray supported my late father to become mayor of India's financial capital, Mumbai. And today, 47 years later, --I am disclosing my age--the President of Shiv Sena, Shri Eknath Shinde, the Chief Minister of Maharashtra has enabled me to represent Mumbai, Maharashtra and India, in Rajya Sabha. I am returning to Parliament after exactly a decade and a lot has changed. For one, we are in a very impressive new building. For the first time in India's history, we have an Adivasi woman as President of India and we have a leader who hails from a very, very humble background. When some people say that the democracy is under threat, I would like to tell them that the fact that एक साधारण व्यक्ति जो एक रेलवे पटरी पर चाय बेच रहा था, आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधान मंत्री है। उसका साफ मतलब यह है कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है, भारत का संविधान मजबूत है। In Maharashtra too, the Chief Minister was a very simple auto-rickshaw driver. We have auto-rickshaws in certain parts of Mumbai. An auto-rickshaw driver rose to become the Chief Minister of the country's second largest State, the most industrialized State! For someone who is young and watching us today, this means that that our democracy is, in fact, stronger than ever before.

To my former colleagues who are not here today, -- I am sure they would come when their turn comes to speak-- who, through the public domain, have been analyzing the Lok Sabha results in many, many ways, the fact remains, as a few Members before me pointed out, that Narendra Modiji is the only second Indian to be sworn in as the Prime Minister of India for three consecutive terms, the first being Pandit Jawaharlal Nehru, exactly 62 years ago, in 1962. In fact, something which has not been said before me is, for the sake of not being repetitive, to give this House a sense of how high anti-incumbency levels are around the world, which is due to a

variety of factors, there is a growing aspirational and demanding voter. The social media is playing a role in making the people more impatient. Demographic transitions are underway. In the last ten years alone, the Prime Minister Narendra Modi has seen -- I can count down -- six Prime Ministers of Pakistan, five Prime Ministers of the U.K., four Presidents of Sri Lanka, three Presidents of the U.S.A., two Presidents of France and finally, after Sushma Swarajji, after a decade, one Leader of the Opposition in the Lok Sabha.

So, Sir, अभी भी मोदी जी का पूरे पांच साल का कार्यकाल बाकी है, इसलिए मैं एकनाथ शिंदे जी की ओर से, शिव सेना की ओर से और महाराष्ट्र की ओर से माननीय प्रधान मंत्री जी को अपने दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ, उनकी सरकार के सभी सदस्यों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सर, चुनावी भाषणों में मैं अक्सर मजाक में कहा करता था कि यदि आप इंडिया एलायन्स से, यानी I.N.D.I.A. से 'I' को हटाओगे, तो आपको N.D.A. दिखाई देगा। If you remove 'I' from I.N.D.I.A., you get N.D.A. The point I am making is that despite all our political differences, I still believe that there is more that unites us than divides us. A new beginning must call for starting afresh. I am starting afresh and I believe that as we move from confrontation to collaboration, we must replace the letter 'I' with 'We'. Sir, I wish to bring to your attention to 4Cs — letter 'C' — to which I am sure everyone across this House will agree with me, and we can rise above politics and agree that these are the issues concerning our country. Some will see them as challenges; personally see them as opportunities.

Sir, first 'C' is China. The second 'C' is cities. The third 'C' is computing. And, the fourth 'C' is climate change. All of these, in varying degrees, have been spoken about by the hon. President.

Sir, when we talk about first 'C' i.e., China, today, both the West and the Global South — the developed world and the developing world — have a trade deficit with China. But, in addition to trade deficit, they also have a trust deficit with China. And, India, in that sense, is very, very unique. India, today, enjoys trust surplus with the rest of the world. सर, इसीलिए आज का समय बोल्ट होने और निर्णायक रूप से कार्य करने का समय है। Today, global investors and global companies are adopting what they call China+1 strategy. What that essentially means is, in the last 20 or 30 years, most of these companies moved their manufacturing from the Western countries to China. They created jobs in China. They strengthened China's economy. And, as a result, today, they are seeing geopolitical tensions in the South China Sea and other parts of the world. Today, those same companies, same countries and same investors are moving their investments, diversifying their factories to countries like India, to countries in the neighbourhood, maybe, Vietnam and Bangladesh. And, it was rightly pointed out by the hon. President of India, who made a very interesting

remark, that we must enhance cooperative federalism in our country between Centre and States. And, far more importantly, competitive federalism between the States is needed. I have always been a firm believer that if States compete aggressively against each other, that is what will make India truly competitive, globally.

My good friend, Jayant Chaudharyji is here. I congratulated him for becoming Minister. I was telling him that he is a young Minister for skill development. One area that we can focus on is upskilling our workforce. Today, we remain very low in terms of number of women in workforce. If we look at our neighbours in South Asia, if we look at our neighbours like Vietnam in Asia, they have a much higher participation of women in workforce. Having a programme where we can upskill our women in the workforce will be very, very useful for our country's economy.

Now, I believe, is the time for India, leveraging on China+1 strategy, to become a leader not just in South Asia, but in all of Asia. And, the leader of Asia today, as we all know, will be the leader and superpower of the world.

Sir, the second 'C' is cities. मेरे महाराष्ट्र के खासदार बॉडे जी ने शहरीकरण की बात कही है। शहरीकरण को कई लोग एक चुनौती के रूप में देखते हैं। सर, मैं महाराष्ट्र से राज्य सभा का सांसद हूँ, लेकिन मुंबई मेरी जन्म भूमि है, कर्म भूमि है। I have a special place in my heart for Mumbai. And, I believe, what Mumbai is today, India will be tomorrow. Sir, today, when we talk of urbanisation, in our country, only 1/3rd of Indians or 48 crore Indians live in cities, the rest live in rural areas. Conversely, in a country like China, 2/3rd lives in cities and 1/3rd lives in rural areas. But, the number of Indians living in cities, in the coming five or six short years, is going to rise from 48 crore to 59 crore people.

5.00 P.M.

सर, आज मुंबई की जनसंख्या 2 करोड़ है और पाँच या छह सालों के अंदर Mumbai's population will become three crores. How we take advantage of this urbanization, how we plan our cities effectively, will allow us to reap a demographic dividend. Sir, I, certainly, invite your esteemed self to visit Mumbai. I would, through this speech, invite many of my fellow MPs. In the last few years, massive transformations are underway in the city of Mumbai where we are trying to absorb the influx of people-urbanization from rural to urban areas, and this is very, very critical for our economic growth.

Sir, the third 'C' I mentioned is computing. The hon. IT Minister was in the House, I was hoping, during my speech, I would be able to draw his attention in some ways to this issue. But, super powers of the 19th and the 20th Century were the countries that dominated the industrial revolution. The countries that become the

super powers of tomorrow, of the 21st Century, will be countries that dominate in the area of Artificial Intelligence. And, Sir, हर उद्योग का एक प्रकार से raw material होता है। Artificial Intelligence की एक बहुत बड़े पैमाने पर, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। Artificial Intelligence का जो raw material है, वह data है और आज भारत इस raw material में दुनिया का number one, सबसे बड़ा उत्पादक बनने वाला है। Today, the average Chinese person is consuming 32 GB of data per day; the average Indian is consuming only 24 GB of data per day. But, Rijiiji, in the next four years, India will become the largest data consumer in the world. The average Indian will consume 62 GB of data per day. We will be surpassing America, all of Europe and even China. सर, डेटा का मतलब क्या है? Data का मतलब है कि जब भी हम WhatAspp पर वीडियो देखते हैं, YouTube पर वीडियो देखते हैं, Facebook, Instagram पर जाते हैं, तो हम जो डेटा यूज कर रहे हैं, भारत में जो रॉ मैटेरियल जेनरेट कर रहे हैं, that raw material is accruing value in companies in America, in Silicon Valley. I believe it is time for us to leverage that raw material, to leverage that natural resource and to build the next Google, to build the next Facebook, to build the next WhatsApp coming right here out of India. That is what can give us super power status and that I believe is the vision of the Prime Minister under the Digital India initiative.

Sir, the fourth 'C' I mentioned is climate change. सर, बहुत अफसोस की बात है कि कुछ समय पहले, in fact, कुछ ही दिन पहले दिल्ली और नोएडा में heatwave की वजह से कुछ लोगों की मृत्यु हुई, इसलिए सबसे पहले तो मैं उनकी फैमिली के प्रति condolence प्रकट करता हूँ। Sir, who were these people who died? They were not, unfortunately for them, privileged people like us. They were rag pickers, they were manual labourers, they were security guards. Fortunately, today, in Delhi, I can say that we have brought some good weather from Mumbai. There is some monsoon weather here. But, Sir, I am glad that the hon. President in her speech spoke extensively about the greening of India's economy. Shri Sudhanshu Trivedi who initiated this debate also referred to that point that the President of India spoke extensively about the greening of India's economy. The Prime Minister has set a very ambitious target for this country - to become net zero by the year 2070. Once again, Sir, many people will see this as a threat, I see the greening of India's economy as a massive opportunity for us to invest in the industries of the future. Today, India can become a world leader in off-shore wind energy. I read today that the Government is using production-linked incentives that the Cabinet approved recently to incentivize industry to generate electricity through off-shore wind. In green hydrogen, the Government has a very ambitious plan to build electrolyzers in India. Even with an open mind, we should think of nuclear. Sir, even in a small area like seaweed cultivation, इसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी को एक और बार बधाई देना चाहूँगा कि अगर किसी ने भारत में seaweed cultivation

को spearhead किया, तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया, जब ये गुजरात के मुख्य मंत्री हुआ करते थे। And, Sir, seaweed is the food of the future. The Japanese, Sir, as we know, have been eating seaweed for centuries, and they have the highest life expectancy. Seaweed is becoming an organic substitute for fertilizers. When it is mixed with fodder, it reduces methane gas emissions from cows, and India has a big livestock population considering that we are the biggest dairy consumer and dairy producer. My dear friend, Mr. G.K. Vasan, is here. Sir, if you go to Tamil Nadu, in the entire coast of Rameswaram, the farmers are growing seaweed in abundance and exporting that. These are small industries which we should think about.

Sir, climate change, in my opinion, is an opportunity. I will give you two small examples. आज यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रही है। Almost all of Europe was entirely dependent on Russia for their energy needs. Because of the war, Europe is forced to invest in innovative green technologies of the future — wind energy, nuclear energy. Similarly, Sir, you will recall, in the seventies, जब अरब-इज़राइल वॉर हुई थी, उस समय अरबी देशों ने तय किया कि हम अमेरिका को कच्चा तेल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। America experienced what was called the ‘oil shock’. Petrol pumps were empty. Nobody could fill petrol and diesel. That was the first time when, under that time’s President, Jimmy Carter, the first investment was made in photovoltaic solar technologies which gave birth to solar energies.

So, Sir, every challenge presents, in many ways, an opportunity. Until such time as India becomes a world leader, creates technologies of the future, I am glad that the Government is using Production Linked Incentive Schemes to incentivize and reduce our dependence on the supply chain that is dominated by countries like China, especially, in electric vehicles, especially, in solar, even going beyond climate change, in the areas of semiconductor chips. Sir, semiconductor chips is something now जो हरेक गाड़ी में है, हरेक सांसद के टेबल पर जो टेबलेट है, Everything requires that microchip. And Taiwan, a small country, has, in some ways, a monopoly in producing almost 95 per cent of the world’s chips. I congratulate this Government for diversifying from Taiwan and for bringing semiconductor plants in India for the first time.

सर, मैंने कहा कि यह समय है to be bold, to be decisive and for the Government to act. Sir, for the first time, as I said in 62 years, there is a ‘third consecutive-term Government.’ सर, मैं एशिया के हमारे एक पड़ोसी देश का बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें भारत के साथ कई similarities हैं and it can be applied in some ways to India. Sir, the founding-father of Singapore and the first Prime Minister of Singapore, Lee Kuan Yew, whom I have had the pleasure to meet several times, was a very good friend of India. He was a well-wisher of India. Sometimes people wonder

when they go to Singapore how did this man, in a short span of time, transform a former British colony where most of the people झुग्गी-झोंपड़ी में रहते थे, स्लम्स में रहते थे। There was no healthcare. There was rampant illiteracy. There were ethnic tensions. There were communal riots. Sir, he took three simple but very controversial decisions at that time. I am in no way advocating those decisions for India but I am just pointing it out when I talk about being bold. As his first decision -- despite the fact that in Singapore, there were Indians, largely, our Tamil brothers and sisters, there were ethnic Chinese, there were Malays, people from Malaysia -- he said, I want everyone to speak English because that is the language of the future and that is what will make Singaporeans employable globally. The second thing he did was, he said, I want to attract the best talent from around the world to come, live and work in Singapore and strengthen the economy of Singapore. The third thing he did was -- and this, I think, everyone would agree upon -- he said, politicians must be paid salaries equal to the private sector so that there is no corruption whatsoever. Sir, he achieved, honestly, nothing short of a miracle. So, my limited point is this. A third consecutive term-Government, is historic. It is a record Government. The world is watching India. There are global tailwinds. Being from Mumbai, I meet a diverse section of people. People want India to succeed today. It is for us to be bold. It is for us to be decisive. It is for us to act very, very aggressively.

सर, अपना भाषण समाप्त करने से पहले, the reason I am not taking my -- I have already reached 22 minutes.

MR. CHAIRMAN: No, no. Go ahead. It is your maiden speech.

SHRI MILIND MURLI DEORA: Thank you, Sir. सर, अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा जो माननीय राष्ट्रपति महोदया ने सरकार की उपलब्धियों के बारे में कहा। But I believe that there is one achievement which stands out above all achievements. And I say this as a Mumbaikar. Sir, under this Government, cities like Mumbai have been completely eliminated of terror attacks in the last decade. Regrettably, this was a regular feature. I have represented Mumbai. I was the MP of South Mumbai when 26/11 happened. In 2006, there was a train blast; there was 26/11 in 2008; there was the Zaveri Bazaar blast and serial blasts in Mumbai. All of this has been eliminated. At that time alone, 400 people died. Sir, I believe, national security of our country is paramount. If we want to grow our economy, we want investors to come here, we have to ensure that our national security is protected and our national security remains stronger than ever. I congratulate this Government for ensuring that, not just in a city like Mumbai, but across the country.

Sir, I didn't realize that I have already crossed 24 minutes, but I am extremely grateful to you for the time and for being present in the Chair while I made my maiden speech. Thank you very much.

MR. CHAIRMAN: I can assure the Members that if they will utilize Rajya Sabha, the Upper House, for dialogue, deliberation, discussion and debate, time is not an issue. We can sit for any amount of time. The problem arises when the only thing we engage in is disruption, confrontation and not discharging the obligations in respect of which we have taken oath under the Constitution. I take the opportunity to appeal to all the Members of this august House to handhold the first-time Members and ensure that they are enlivened by making contribution. That will keep them going. I am sure each one of you will, in some way or the other, handhold other Members so that they utilize the opportunity. I had so indicated also when I met the floor Leaders that they must identify, in particular, first-time MPs, handhold them and ensure that they make a great speech. Congratulations on your address.

Shri Rwngrwa Narzary -- not present; Shri Sanjay Kumar Jha - not present. It appears the list of speakers has exhausted itself. And look at what a spectacle, what a worrisome scenario it is. We allocated 21 hours. I would make an appeal to those who have not been able to avail their opportunity today to be thoroughly prepared to avail such an opportunity on Monday. Now, Shri Brij Lal.

श्री बृज लाल (उत्तर प्रदेश): बहुत-बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया है।

महोदय, अभी जो चुनाव हुए, उनमें दो ऐसे नेरेटिव्स गढ़े गए, जिनमें से एक नेरेटिव था कि बीजेपी सत्ता में आएगी, तो संविधान बदल देगी। दूसरा नेरेटिव था, जो दलितों में फैलाया गया, मैं खुद दलित हूँ, कि जब बीजेपी आएगी, तो दलितों, आदिवासियों, बैकवर्ड्स का आरक्षण छीन लेगी। ये नेरेटिव्स बने और इनका बड़ा प्रचार-प्रसार हुआ। महोदय, ये नेरेटिव्स हमारे यहाँ तो बनाया ही कांग्रेसी भाइयों ने, वामपंथियों ने, टीएमसी ने, लेकिन कहीं-न-कहीं यह विदेश से जुड़ा था, डीप स्टेट से जुड़ा था। डीप स्टेट वे इंटरनेशनल शक्तियाँ हैं, जो भारत को प्रगति करते नहीं देख पातीं और हर तरह से फंडिंग करती हैं, गुमराह करती हैं। इस तरह उनका एक ही ऑब्जेक्टिव था - मोदी हटाओ। उसी में ये दो नेरेटिव्स चले।

महोदय, जहाँ तक संविधान की बात है, मैं बड़ा लकी रहा कि जब मैं सिविल सर्वेंट हुआ और पहले चार महीने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में 1 मार्च, 1977 को देहरादून फॉरेस्ट एकेडमी में था, उस समय चुनाव के रिजल्ट्स आ रहे थे, जनता पार्टी जीत रही थी और हम सब लोग खुशी मना रहे थे। चार महीने बाद मैं सिविल सर्वेंट के रूप में आईपीएस अफसर हो गया और जब मैं मसूरी एकेडमी में आया, तो हम लोगों को हमारे लॉ इंस्ट्रक्टर दो जजमेंट्स पढ़ाते थे। एक था गोलकनाथ केस और दूसरा था केशवानंद भारती केस। ये उस समय हम लोगों को पढ़ाए जाते थे।

क्या था गोलकनाथ केस, कि संसद संविधान में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, जिससे यहाँ के सिटिजंस के फंडामेंटल राइट्स कर्टल हो जाएँ। यह फंडामेंटल राइट्स पर था। उसके बाद केशवानंद भारती केस, जिसमें 13 जजेज़ की बेंच थी, वह हुआ। उन्होंने कहा कि आप संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते। यह केशवानंद भारती केस था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी थी, जिसकी जड़ों में, जिसके डीएनए में तानाशाही थी। ये चीजें उस समय की प्रधान मंत्री बर्दाश्त नहीं कर पाईं। इमरजेंसी हम सब लोगों ने देखी है। जब 25 जून, 1975 को इमरजेंसी लागू हुई, उस समय मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमएससी (प्रिवियस) का छात्र था। जगमोहन सक्सेना जी की वह जजमेंट सुर्खियाँ बनी थी। अब तो तमाम मैटीरियल है। उस समय कांग्रेस पार्टी द्वारा जगमोहन सक्सेना जी को धमकाया गया। कहीं से उनके पास मेसेज आया कि अगर आपने कोई विपरीत जजमेंट दिया, तो अपनी पत्नी से कह दीजिए कि वे अगला करवा चौथ का व्रत न रखें। जगमोहन सक्सेना जी ने बड़ा मार्मिक स्टेटमेंट दिया कि सौभाग्य से -- उन्होंने 'सौभाग्य' शब्द का इस्तेमाल किया -- मेरी पत्नी का तीन महीने पहले देहांत हो गया है। उस समय कांग्रेस पार्टी का यह हाल था कि ज्यूडिशियरी को धमकाया जाता था। महोदय, उसके बाद शुरू हुआ, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी तो उन्होंने बना ही दी थी, लेकिन दूसरा शुरू हुआ कमिटेड ज्यूडिशियरी। वहाँ पर यह हाल था। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। कमिटेड ज्यूडिशियरी का यह हाल था कि politician-to-judiciary-to-politician. वह किस्सा है जस्टिस बहारुल इस्लाम का। जस्टिस बहारुल इस्लाम साहब असम के थे और वे 1962 में राज्य सभा में आए। 1968 में वे दोबारा राज्य सभा में आए। बीच में कांग्रेस पार्टी से वे असम में चुनाव भी लड़े। वे राज्य सभा के मेम्बर थे। 1972 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा जी ने उनको गुवाहाटी हाई कोर्ट का जज बना दिया। उनको पोलिटिशियन से सीधे जज बना दिया। वे गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुए। वे वहाँ से रिटायर होते हैं और फिर राज्य सभा में आ जाते हैं। 1972 में इस्तीफा देते हैं और जब वहाँ से रिटायर होते हैं, तो रिटायर होने के 9 महीने बाद उनको सुप्रीम कोर्ट लाया जाता है। वे सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं और जगन्नाथ मिश्रा जी का एक करप्शन केस था, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, उसमें उन्होंने उनके फेवर में जजमेंट दिया और जजमेंट देने के बाद फिर इस्तीफा दे दिया और उसके बाद फिर से राज्य सभा में आ गए। तो यह हाल था, जिसको 'committed judiciary' कहते थे। संविधान में ये जो परिवर्तन किए गए, judiciary में जस्टिस ए.एन. रे कैसे Chief Justice of India बने, यह हम सभी लोगों को मालूम है।

[उपसभाध्यक्ष (श्रीमती मेधा विश्राम कुलकर्णी) पीठासीन हुईं]

वहाँ यह judiciary को धमकाने का, 'committed judiciary' का कल्चर चला और उसका * खेला गया।

संविधान बाबा साहेब ने बनाया। इन्होंने यह जो narrative गढ़ा, तो ये जानते थे कि दलितों में इस narrative से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पूरा देश संविधान के प्रति committed है, लेकिन दलित चूँकि बाबा साहेब के प्रति बड़ा भावनात्मक रुख रखता है, इसलिए जब यह बात बताई

* Expunged as ordered by the Chair.

जाती थी कि संविधान बदला जा रहा है, तो इसका उस पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। संविधान में कांग्रेस ने जो हालत पैदा की, उसका example मैं दे चुका हूँ। इमरजेंसी से बड़ा कलंक कुछ नहीं हो सकता। लोकतंत्र का सबसे बड़ा कलंक, संविधान पर सबसे बड़ा हमला, जब लाखों की संख्या में लोग बंद किए गए। तमाम ऐसे बड़े-बड़े नेता थे, उसमें हमारी बीजेपी के, उस समय के समाजवादी पार्टी के बड़े-बड़े नेता, जय प्रकाश नारायण जी, मुलायम सिंह जी, जॉर्ज फर्नांडीस जी, ये सभी लोग बंद हुए। अभी मुझे एक बड़ा सीन दिखाई पड़ रहा था कि जहाँ कांग्रेस संविधान लिए हुए * बोल रही थी कि बीजेपी संविधान बदल देगी। जहाँ ये * बोल रहे थे, वहीं पर पीछे-पीछे हमारे समाजवादी पार्टी के भाई लोग भी तख्ती लिए खड़े थे। इमरजेंसी लगाए जाने का जो दिन था, 25 जून, जिसमें बड़े-बड़े समाजवादी नेताओं ने यातनाएँ झेलीं, इनको तो इसको कंडेम करना चाहिए था और उनका सम्मान करना चाहिए था, लेकिन ये लोग भी उनके साथ खड़े थे।

महोदया, दूसरी बात जो कही गई, वह दलितों को भ्रमित करने की बात थी कि आरक्षण छीना जा रहा है। संविधान निर्माता बाबा साहेब खुद दलित थे, उन्होंने दलित की वेदना झेली थी। उसके बाद संविधान बना था। 1961 में नेहरू जी ने सभी मुख्य मंत्रियों को एक पत्र लिखा कि "मुझे आरक्षण पसन्द नहीं है।" उस समय आरक्षण केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को था। इसी सभा में प्रधान मंत्री जी ने यह बात कही थी। उसके बाद इन लोगों ने, भाई लोगों ने क्या किया कि जवाहरलाल नेहरू जी का नाम तो हटा दिया कि यह जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। "मोदी जी को आरक्षण पसन्द नहीं है", वह पार्ट मीडिया पर काट करके खूब चलाया गया और दलितों में कहा गया कि देखिए, मोदी जी कह रहे हैं कि हमें आरक्षण पसन्द नहीं है।

महोदया, मैं अब एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ, चूँकि मैं उससे सीधे जुड़ा रहा - अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी 1920 में बनी, by an Act of the British Parliament. उसके पहले 1916 में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय बना, वह भी by an Act passed by the British Parliament. बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी आरक्षण देती है। पहले दलितों, आदिवासियों को देती थी, अब तो गरीब सवर्णों को भी और ओबीसी को भी आरक्षण देती है। लेकिन उसी अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी के बारे में लोगों में बड़ी भ्रांति है कि यह एक minority University है। It is not a minority University. इस युनिवर्सिटी की जो जमीन है, वह राजा महेन्द्र प्रताप ने दी थी। इसमें जहाँ नवाबों ने पैसा दिया, वहीं राजा विजयनगरम, महाराजा पटियाला, महाराजा दरभंगा, इन तमाम हिन्दू राजाओं ने भी पैसा दिया। इस प्रकार, अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी जो है, it is not a minority University. इस पर संविधान सभा में बड़ी लंबी डिबेट हुई। अगर आप उसको देखेंगे, तो आपको वह सब मिल जाएगा। आज़ादी के बाद संविधान लागू हुआ, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज तक रिज़र्वेशन नहीं दिया गया। यह केवल काँग्रेस की * थी कि सब कुछ होने के बाद भी यह नहीं दिया गया। 1967 का एक बड़ा फेमस केस है S. Azeez Basha versus Union of India, उसमें सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने कहा था कि आप जाति, धर्म, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आपको यह देना पड़ेगा, लेकिन इस तरह के जजमेंट के बाद भी रिज़र्वेशन नहीं दिया गया। यह काँग्रेस

* Expunged as ordered by the Chair.

की * थी। उसके बाद इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी के बाद 1980 में काँग्रेस पार्टी फिर पावर में आती है और अपनी तुष्टीकरण की नीति के तहत इन्होंने कहा कि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनोंरिटी का दर्जा देंगे। इन्होंने 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट को बदल दिया और यह कहा कि यह तो मुस्लिम के लिए है, उनकी शिक्षा के लिए है, उनके उत्थान के लिए है। जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को सुनिश्चित करती है, ओबीसी कमिशन को संवैधानिक दर्जा देती है, वहीं दूसरी तरफ एक पार्टी कानून बना करके दलित, ओबीसी आदि का आरक्षण छीनती है। 1981 में काँग्रेस पार्टी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट में परिवर्तन करके आरक्षण छीनने का काम किया। वह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया, 2005 में जस्टिस अरुण टंडन ने जजमेंट दिया कि यह जो किया गया है, यह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उल्लंघन है और आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। ये फिर डिवीजन बेंच में चले गए। 2006 में जस्टिस ए. एन. रे और जस्टिस अशोक भूषण जी ने जजमेंट दिया कि यह जजमेंट अच्छा है, लेकिन जस्टिस अरुण टंडन जी को, काँग्रेस ने 1981 में परिवर्तन करके जो कंप्यूजन क्रिएट किया, उसको क्वेश कर देना चाहिए। Now, it is hereby quashed. यह क्वेश हो गया और आज वह सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई पूरी हो गई है और जजमेंट रिजर्व है। उनके लिए कौन प्रयास कर रहा है? इसके लिए कौन वकील खड़ा होता है ताकि दलित, ओबीसी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण न मिले? वे लोग काँग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। ये ऐसा नहीं चाहते हैं। एक तरफ तो ये बात करते हैं कि हम दलित, बैकवर्ड के हितैषी हैं और दूसरी तरफ ये कानून बना कर आरक्षण छीनते हैं।

महोदय, दलितों को बहुत भ्रमित किया गया। आप जानते होंगे कि 2019 में संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सीएए पास हुआ। उसमें अगर सबसे ज्यादा लाभान्वित हुए हैं, तो एससी, एसटी लाभान्वित हुए हैं। अभी उनको नागरिकता मिलनी शुरू हो गई है। इसमें सबसे ज्यादा नामशूद्र और मतुआ समुदाय के लोग हैं, जिनको बांग्लादेश से भगाया गया था। जोगेन्द्र नाथ मंडल जी के कारण ये रुक गए थे, जो एक दलित नेता थे और वे पाकिस्तान के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने, लेबर मिनिस्टर बने। आज एक राजनीति चलती है 'भीम-मीम' की और कहा जाता है कि दलित-मुस्लिम मिल जाएँ, तो इस देश पर राज करेंगे, बैकवर्ड मिल जाएँ, तो इस देश पर राज करेंगे। लेकिन हम तो 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' की बात करते हैं। हमारे लिए हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब भारतीय हैं। लेकिन यह जो राजनीति चली, उसी में मंडल जी बड़े विद्वान थे और वे संयुक्त बंगाल में लॉ मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मिनिस्टर थे और 1946 में जब नेहरू जी के नेतृत्व में इंटेरिम गवर्नमेंट बनी, तो वे अविभाजित भारत के लॉ मिनिस्टर थे। उन्होंने बाबा साहेब की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा, बाबा साहेब, हमारे दलित इस्लामिक कंट्री में बहुत अच्छे रहेंगे और उन्होंने पाकिस्तान का ऑप्शन दिया। वे वहाँ के लॉ एण्ड लेबर मिनिस्टर बने। लेकिन उनकी वजह से पाकिस्तान में जो हाल हुआ, जो कल्लेआम हुआ, उसके बारे में सब जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर दलित रुक गए थे। उसके बाद वे खुद 8 अक्टूबर, 1950 को, यानी तीन साल में भाग आए। जब वे भाग आए, तो दलितों में भगदड़ मची। उनको असम, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में बसाया गया। मैं जब 1986-88 तक उत्तर

* Expunged as ordered by the Chair.

प्रदेश के एक जिले का एसपी था, तब मैं उनके बीच भी गया था और वह जिला पीलीभीत था। अकेले पीलीभीत में इस समय ढाई लाख दलित बंगाली हैं, जिनको सीएए के माध्यम से बसाया गया। कांग्रेस ने उनको कभी भी नागरिकता देने के बारे में नहीं सोचा। उनको अगर किसी ने नागरिकता दी है, तो वह इस सरकार ने दी है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी जो सीएए लाये, उससे उनको आज नागरिकता मिली और आज वे भारत के नागरिक हैं। उस सीएए का विरोध कौन कर रहा था - कांग्रेस। यहीं दिल्ली में उसका विरोध महीनों तक चला। लखनऊ में घंटा घर पर भी उसका विरोध चला, जहाँ कांग्रेस के लोग जाकर अपनी हाजिरी देते थे। अरविंद केजरीवाल जी तो खैर यहां के मुख्य मंत्री ही थे, यहां की आप पार्टी, उनका तो सब प्रायोजित ही था। वहां उस सीएए का विरोध होता था, जिससे आज उनको टोटल नागरिकता मिली है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बंगलादेश से भगाए गए हिंदू, सिख, ईसाई और जैन को जो नागरिकता मिली है, उनमें 70 से 75 परसेंट दलित हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। इसलिए इन विरोधी पार्टियों को यह कहने का हक नहीं है कि ये अनुसूचित जाति, एससी-एसटी, ओबीसी के हितैषी हैं। महोदया, ये किसका विरोध कर रहे थे? ये दलित, आदिवासी और बैकवर्ड का विरोध कर रहे थे, लेकिन यहां क्या बोलते थे? ये बोलते थे कि आरक्षण छीन लेंगे। इन्होंने जो यह नैरेटिव गढ़ा, उससे लोगों को काफी भ्रमित किया गया। लेकिन काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, यह काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ने वाली है। जैसा कि हमारे कई मित्रों ने कहा, इन्होंने प्रिंटेड पेपर पर दस्तखत किये, जिस पर माननीय राहुल गांधी जी के दस्तखत हैं और माननीय खरगे जी के दस्तखत हैं। उसमें इन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम पहली जुलाई से साढ़े आठ हजार और एक साल में एक लाख रूपए देंगे। आज कांग्रेसी कार्यालयों में लोगों की भीड़ लग रही है और वे कह रहे हैं कि हमारा पैसा लाइए, लेकिन आज ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को हमेशा * नहीं बना सकते। इस देश की जनता जागरूक है, जिसने इमरजेंसी को भी तार-तार कर दिया। हमारा लोकतंत्र जड़ से जुड़ा है, वह कायम है, इसीलिए आप कुछ नहीं कर पाए और वह आज भी मौजूद है। इन कांग्रेसियों और विरोधी पार्टियों को यह कहने का कोई हक नहीं है कि ये संविधान की रक्षा करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने संविधान को हमेशा तहस-नहस किया है।

माननीया राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में एक और चीज़ को टच किया है और वह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। इंडियन पीनल कोड (आईपीसी) 1860 में तब बना था जब 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। उस समय जब अंग्रेजी हुकूमत की नींवें हिल गईं तो उन्होंने सोचा कि भारतीयों को आखिर हम परमानेंटली गुलाम कैसे बनाएं और उसके परिणामस्वरूप इंडियन पीनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता सामने आई। महोदया, अब जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बना, उसमें मेरा भी थोड़ा योगदान है, क्योंकि मैं पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स का चेयरमैन रहा हूँ और वह मेरी कमिटी से भी होकर गुजरा है। भारतीय दंड संहिता को अंग्रेजों ने दंड देने के लिए बनाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो एक्ट पास हुआ, वह पहली जुलाई से लागू होने जा रहा है। इस पर मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि मैंने भी इसमें काम किया है। अब उसका नाम "भारतीय न्याय संहिता" रखा गया है। हम दंड

* Expunged as ordered by the Chair.

नहीं, न्याय दे रहे हैं। जो सीआरपीसी था, उसका नाम "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता" रखा गया। हमारे कई कांग्रेसी मित्र पूछते थे कि नागरिक सुरक्षा means civil defence? हमने कहा, जनाब, वह सिविल डिफेंस नहीं है। हमारा संविधान 1950 में लागू हो गया। संविधान लागू होने के बाद जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं, वे भारतीय नागरिकों को मिल जाने चाहिए थे, इसलिए जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अंग्रेजों का दिया हुआ था, उसे कांग्रेस को तभी बदल देना चाहिए था, जब देश में आजादी आई और देश गणतंत्र बना था। लेकिन ये लोग तो खुद ही अंग्रेजी मानसिकता के हैं, ये अंग्रेजों के गुलाम रहे और ये चाहते हैं कि आज वही कानून बना रहे, जो अंग्रेजों का बनाया हुआ था। इन्होंने हमेशा इस बात की कोशिश की कि यह न हो, लेकिन हमने कहा कि ऐसा नहीं होगा। चूंकि हमारा संविधान लागू हो गया, तो अब सीआरपीसी का नया नाम "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता" है, जिसके माध्यम से देशवासियों को संविधान प्रदत्त अधिकार देना है। तीसरा है - 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम'। महोदया, मैं बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजों के लिए important था पैसा, देश को लूटना आदि। उनको मानवाधिकार से कोई मतलब नहीं था। जलियांवाला बाग हो या इस तरह के तमाम इंसिडेंट्स हों, वे किस तरह से व्यवहार करते थे। आप मसूरी में जाइए, मैं तो वहां ट्रेन्ड हूँ। "Dogs and Indians are not allowed." यह उनकी मानसिकता थी। इसके लिए उन्होंने एक्ट बनाया। महोदया, दो सबसे बड़े जुर्म होते हैं, पहला मानव वध, हत्या और दूसरा होता है हमारी बहनों, महिलाओं के साथ बलात्कार। उन्होंने बलात्कार को सेक्शन 376, इंडियन पीनल कोड में रखा। वह उनकी प्राथमिकता नहीं थी और मर्डर को 302 में रखा है, लेकिन अब जो नया 'भारतीय न्याय संहिता' बना है, उसमें पहला चैप्टर है - "Offences against women and children". इसमें जो बलात्कार की सज़ा का प्रावधान है, वह यह है कि अगर कोई नाबालिग बच्ची है, 12 साल से कम उम्र की है और उसके साथ गैंगरेप होता है, तो फांसी की सज़ा का प्रावधान है। बलात्कार में आजीवन कारावास की सज़ा है और मिनिमम 20 साल की सज़ा का प्रावधान है। यह सरकार कहती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, महिलाओं को अधिकार देंगे। हमने इसी पार्लियामेंट में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पारित किया है। यह सरकार अपने वादों पर खरी उतरी है। महोदया, जो नया एक्ट आ रहा है, जो 1 जुलाई से लागू होगा, उसमें महिलाओं के लिए पहला चैप्टर है - "Offences against women and children". उसके बाद है - "Offences against human body", जिसमें मर्डर और उससे संबंधित crimes हैं। इसलिए यह जो एक्ट बना है, इसमें हमने न्याय देने की बात कही है, दंड देने की बात नहीं कही है।

महोदया, कई चीज़ें नई थीं। एक था - organised crime. बड़े-बड़े माफिया बने। मुम्बई के हमारे मिलिंद मुरली देवड़ा जी बोल रहे थे, वहां आतंकवाद था और underworld चलता था। वह पूरे देश में था। अंग्रेजों के ज़माने में नहीं था, तो उसके बाद organised crime के खिलाफ जो एक्ट बनना चाहिए था, वह नहीं बना था। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, एक पुलिस अधिकारी, पूर्व डीजीपी रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर्स पर कार्रवाई हुई, हज़ारों करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गईं, क्योंकि हमारे पास उत्तर प्रदेश में Uttar Pradesh Gangster Act था, महाराष्ट्र में MCOCA था, लेकिन अबकी बार यह जो organised crime है, उसे नए अधिनियम में जोड़ा गया है, जिससे पूरे देश से organised crime को उसी तरह से जड़ से खत्म कर दिया जाएगा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर जो कार्रवाई होती है, उसकी

सराहना न केवल हमारे देश में, बल्कि हमारे प्रदेशों में भी होती है और विदेश में भी उसकी सराहना होती है। ऑस्ट्रेलिया के एक एमपी थे, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को हमारे यहां कुछ दिनों के लिए आ जाना चाहिए।

महोदय, टेररिज़्म के बारे में माननीय मिलिंद मुरली देवड़ा जी बता रहे थे। मुम्बई में रोज़ विस्फोट होते थे, उन्होंने 26/11 का जिक्र किया, जावेरी मार्केट और गेटवे ऑफ इंडिया का जिक्र किया, तमाम जगहों पर रोज़ बम ब्लास्ट्स होते थे। हालत यह थी कि जब बम ब्लास्ट्स होते थे, तब नेरेटिव बदला जाता था।

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI MEDHA VISHRAM KULKARNI): Hon. Member, please conclude.

श्री बृज लाल: कि यह तो भगवा आतंकवाद है। हमारे राज्य सभा के एक मेम्बर हैं, अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनको ज़रूर मालूम है कि जब 26/11 का हमला हुआ, तो कहा गया कि इसमें पाकिस्तानियों का हाथ नहीं है, इसमें तो आरएसएस का हाथ है, यह जो इंडियन मुजाहिदीन नाम है, यह बजरंग दल का कोड नेम है। वहां एक किताब लिखवाई गई, '26/11 आरएसएस की साजिश'। इसके अलावा वहां एक रिटायर्ड आईजी थे, उन्होंने भी लिखा था। वे कांग्रेस के राज्य सभा सांसद हैं, एक प्रदेश के मुख्य मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने दिल्ली में उसका विमोचन किया कि यह आतंकवाद तो भगवा है। इसी तरह से गोधरा कांड हुआ। गोधरा कांड का तो लालू यादव जी ने परिदृश्य ही बदल दिया। वर्ष 2005 में वहां चुनाव होने वाला था, वे वर्ष 2004 में रेल मंत्री बने। रेलवे मिनिस्ट्री को अधिकार नहीं होता कि वह कोई judicial commission बनाए।

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI MEDHA VISHRAM KULKARNI): Hon. Member, please conclude.

श्री बृज लाल: केवल राज्य सरकार ही बनाती है या सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है। उन्होंने जस्टिस बनर्जी केस बनाया। बनर्जी जी ने कहा कि रेल भवन में, किस कमरे में लिखा जाता था - वहां का टाइपिस्ट कौन है - मैं भी रेलवे में deputation पर सात साल Chief Safety Commissioner रहा हूं और वहां पर बनर्जी साहब दस्तखत करते थे।...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI MEDHA VISHRAM KULKARNI): Hon. Member, please conclude.

SHRI BRIJ LAL: I am concluding, Madam. उसमें कहा गया कि यह आतंकवाद था ही नहीं, बाहर से कोई अटैक हुआ ही नहीं। यह तो एक्सीडेंट था। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसमें कहा कि बाबा लोग थे, जो अयोध्या दर्शन के बाद चले आ रहे थे, वे चिलम पी रहे थे और आग लग गई। उसमें परिवेश ही बदल दिया। मैं अहमदाबाद हाई कोर्ट को सलाम करता हूं कि इन्होंने जो रिपोर्ट बनाई, उसे ये लोक सभा और राज्य सभा में पेश नहीं कर पाए और उसको अहमदाबाद

हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया। उसमें 11 लोगों को फांसी और 21 को आजीवन कारावास हुआ।
...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI MEDHA VISHRAM KULKARNI): Please conclude.

श्री बृज लाल: आज पूरे देश में कहीं आतंकवाद नहीं है, आज जीरो टॉलरेंस की नीति है, यही हमारी नीति है, इच्छा शक्ति है। अगर शांति व्यवस्था नहीं रहती, तो डेवलेपमेंट नहीं होता, क्योंकि आज पूरे देश में शांति व्यवस्था है, इसलिए भारत आज पांचवीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरी हम अगले दो साल में बनने जा रहे हैं। जो मोदी जी का 2047 तक विकसित भारत का सपना है, उसे हम पूरा करेंगे और 100 परसेंट करेंगे। विकास का मूल आधार होता है कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था और आतंकवाद और अपराध के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण पर बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिन्द, जय भारत!

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI MEDHA VISHRAM KULKARNI): Now, Special Mentions. Dr. Laxmikant Bajpayee.

SPECIAL MENTIONS

Demand for establishment of Sports ground and Racing track in rural areas of Uttar Pradesh under Khelo India

डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): महोदय, उत्तर प्रदेश खेलों का केंद्र है। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश में सर्वाधिक प्रतिभागी उत्तर प्रदेश के होते हैं। प्राप्त पुरस्कारों में भी उत्तर प्रदेश की सहभागिता भी सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश को प्राप्त पुरस्कारों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उसमें भी मेरठ जिले की सहभागिता सर्वाधिक है। मैं माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरठ जनपद में राष्ट्रीय स्तर के खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी मंत्री परिषद में स्वीकृति प्रदान कर तीन सौ करोड़ रुपए का बजट प्रावधान भी इस वर्ष किया गया है। तद हेतु आभार, लेकिन इससे तत्काल की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। मेरी मांग है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ब्लॉक में निशुल्क भूमि उपलब्ध होने पर "खेलो इंडिया" कार्यक्रम के अंतर्गत खेल मैदान, रेसिंग ट्रैक आदि बनाकर विकसित करने का निर्णय कर क्रियान्वित करना चाहिए।

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI MEDHA VISHRAM KULKARNI): Shri K.R.N. Rajeshkumar; not present. Dr. Bhim Singh.

Concern over arbitrariness by dealers under the Garib Kalyan Anna Yojana

डा. भीम सिंह (बिहार): महोदय, भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो राशन दिया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से गरीब, असहाय आमजन को भूखा नहीं सोना पड़ रहा है। ऐसी मानवीय योजना के लिए मैं सरकार का साधुवाद करता हूँ।

परन्तु समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के लिए लागू इस योजना में भी कुछ आदमी अपना हित साधना शुरू कर चुके हैं। समाचार पत्रों एवं क्षेत्र भ्रमण के दौरान जनता से पता चला है कि डीलर तय मापदंड से कम राशन लाभुकों को दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आवश्यक हो गया है कि केंद्र सरकार कोई ऐसी व्यवस्था बनाए कि लाभुकों को उनका निर्धारित राशन मिल सके।

अतएव अनुरोध है कि इस अनियमितता पर रोकथाम के लिए समुचित कदम उठाए जाएं।

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI MEDHA VISHRAM KULKARNI): Sant Balbir Singh; not present. Shri Neeraj Dangi; not present. Shri Samik Bhattacharya.

Demand for a probe into post poll violence against persons belonging to SC and ST in West Bengal after the recently held general elections

SHRI SAMIK BHATTACHARYA (West Bengal): Madam, unspeakable atrocities on people belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Categories and minority community post declaration of results of the General Election to the House of the People are taking place in West Bengal. Right from the beginning of campaigning for the 18th Lok Sabha elections in West Bengal and to the declaration of the results of the General Election to the House of the People, 2024, unspeakable atrocities have been unleashed on the poor people, including women and children belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe categories rendering many of them dead, maimed and homeless. A total of eight innocent people have lost their lives because of this mindless attack.

I would, therefore, like to request the Government to undertake concrete action to protect the lives and properties of persons belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe categories affected by the post-poll violence in West Bengal.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI MEDHA VISHRAM KULKARNI): Dr. Fauzia Khan; not present. Dr. John Brittas; not present. Dr. Sasmit Patra; not present. Shri Ayodhya Rami Reddy Alla; not present. Dr. Ashok Kumar Mittal; not present. Shri Sanjeev Arora; not present. Shri A.D. Singh; not present. Shri Kartikeya Sharma.

Mandatory self-declaration certificates for advertisements

SHRI KARTIKEYA SHARMA (Haryana): Madam, thank you for allowing me to address this critical issue affecting print and digital media. The recent directive requiring self-declaration certificates for all advertisements (print, digital and electronic) aims to safeguard consumer interests and uphold advertisement integrity. However, this directive has introduced several operational challenges.

There remains significant ambiguity, especially regarding non-claim advertisements published by small media houses for SMEs. These advertisers may struggle to comply due to the technical nature of the process and limited resources. Additionally, the handling of Government and Public Sector advertisements under this directive is unclear. Media houses face difficulties in preparing self-declaration certificates, registering on the portal, and troubleshooting issues, which could deter advertisers from using print media and affect revenue.

Storage of self-declarations, weeding out, and handling emergency advertisements pose further challenges, particularly within the digital media ecosystem. Given the potential for legal challenges and technical issues with the portal, it is requested that the Ministry delay the implementation of these guidelines until clear and objective procedures are established. It is also suggested that the implementation be initially limited to medical ads and that a wider consultation with stakeholders be conducted. Thank you.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI MEDHA VISHRAM KULKARNI): With this, the House stands adjourned to meet at 11.00 a.m. on Monday, the 1st July, 2024.

The House then adjourned at forty-eight minutes past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 1st July, 2024.

PUBLISHED UNDER RULE 260 OF RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF
BUSINESS IN THE COUNCIL OF STATES (RAJYA SABHA)